

कहना चाहूंगा कि पुलिस की स्थापना अंग्रेजों ने अपनी दृष्टि से खड़ी की थी, वे डरा कर, धमका कर इस देश के ऊपर अंग्रेजी शासन को लादे रखना चाहते थे इसलिए उन्होंने पुलिस में सेवा की भावना जागृत नहीं की। वह उनकी ट्रेनिंग का अंग था कि जब पुलिस साधारण जनता से बात करे तो गाली गलौच के साथ करे और डंडेबाजी से बात करे जिस से पुलिस का रोब रहे तमाम जनता के ऊपर ताकि कोई विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह न कर सके। आज वह ढांचा ज्यों-का-त्यों बना हुआ है, इस ढांचे में परिवर्तन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके लिये मैं एक सुझाव देना चाहूंगा—लगभग एक शताब्दि पूर्व एक अल इण्डिया पुलिस कमीशन की नियुक्ति हुई थी, उसमें उस कमीशन ने पुलिस के रूप को निर्धारित किया था, लेकिन आज तक कोई दूसरा कमीशन नहीं बना। यह ठीक है कि प्रान्तीय लेवल पर कुछ कमीशन बने या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्मज़ कमीशन ने इस सम्बन्ध में अपने सुझाव दिये थे, लेकिन उन सुझावों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। उसके बाद एक हाई-पावर्ड कमेटी बनी, जिसके चेअरमैन श्री एम० एस० गोरे थे, उन्होंने पुलिस की ट्रेनिंग के बारे में अपनी राय दी, लेकिन उनकी राय को भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। मैं होम मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि आप शीघ्र एक अल इण्डिया पुलिस कमीशन की नियुक्ति करें ताकि वह इस ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन के सुझाव दे सकें।

14.00 hrs.

पिछले सालों में पुलिस की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, और इसके साथ-साथ देश में शिक्षा का प्रचार भी हुआ। आशा यह थी कि इस देश में अपराधों की संख्या में कमी होगी, लेकिन परिणाम बिलकुल विपरीत निकला। मैं इस सम्बन्ध में थोड़े से आंकड़े आप की सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिन से स्पष्ट हो जायगा कि अपराध पहले की अपेक्षा घटे नहीं हैं, बल्कि बहुत ज्यादा बढ़े

हैं। 1963 में अपराधों की संख्या— 6,58,830 थी, 1973 में यह संख्या 10,77, 181 हो गई और 1975 में 11 लाख 75 हजार हो गई।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member will please resume his seat. I want to make an announcement.

14.02 hrs.

ANNOUNCEMENT RE: RESIGNATION OF THE OFFICE OF THE SPEAKER

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have to inform the House that Dr. N. Sanjiva Reddy has resigned the office of the Speaker of Lok Sabha today, the 13th July, 1977, at 1.00 P.M.

DEMANDS FOR GRANTS, 1977-78— Contd.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS—Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Om Prakash Tyagi may continue his speech.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैंने अभी अपराधों की संख्या के बारे में आप को कुछ आंकड़े दिये। दस वर्षों में अपराध 63.5 प्रतिशत बढ़े, जब कि जनसंख्या केवल 25.1 प्रतिशत बढ़ी। शगड़ों में वृद्धि 161 प्रतिशत हुई, डकैतियों में वृद्धि 145 प्रतिशत हुई, धोखाधड़ी में वृद्धि 62.5 प्रतिशत हुई, हत्याओं की वृद्धि 58.7 प्रतिशत हुई। पुलिस की संख्या बढ़ी, शिक्षा में वृद्धि हुई, फिर भी अपराधों में वृद्धि हो रही है।

दिल्ली जोकि सैन्ट्रल गवर्नमेंट के नाक के नीचे है—अब मैं वहां के थोड़े से आंकड़े देना चाहूंगा। 22 जनवरी, 1976 को दिल्ली पुलिस के आई० जी० श्री भवानी मल ने बतलाया कि 1975 में आर्म्ज एक्ट के तहत 1755 कैसेज थे, जब कि 1976 में ये कैसेज

[श्री अमो प्रकाश त्यागी]

1879 हो गये और अफीम के कैंसेज 449 हो गये। 1975 में पुलिस के खिलाफ जो शिकायतें आईं, उन की संख्या थी—5500, उस में से 2600 पुलिस के लोग दोषी पाये गये और उन के खिलाफ कार्यवाही हुई।

इस लिये मैं कहना चाहता हूँ कि इन बढ़ते हुए अपराधों को रोकने की आवश्यकता है, लेकिन प्रश्न यह है कि ये अपराध कैसे रुकेंगे? पुलिस की आज जो मनोवृत्ति है, वह अपराधों को रोकने की नहीं है। अपराध होते हैं तो पुलिस को रिश्वत लेने का मौका मिलता है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है—चोरों और डकैतों को अधिकांशतया पुलिस जानती है, इसीलिये उन में खुले रूप से रिश्वत चलती है।

गुप्तचर विभाग के बारे में भी कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। इस देश में हमारे राजनीतिक और आन्तरिक ढांचे का बहुत बड़ा खतरा है—विदेशी एजेंटों से। इस देश में सी० आई० ए०, के० जी० बी० और पाकिस्तान की ओर से हजारों की तादाद में गुप्तचर आये हुए हैं, बाहर से करोड़ों रुपया उन लोगों के पास आ रहा है। वे लोग न केवल सीमाओं पर, बल्कि देश के हर कोने में फैले हुए हैं। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ सी० आई० ए० और के० जी० बी० के एजेंट न हों, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आज तक उन में से कोई भी पकड़ा नहीं गया। अमेरिका के प्रेसीडेंट ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत में जो मिशनरीज थीं उन से सी० आई० ए० का काम लिया गया और उस काम के लिए उन को इस्तेमाल करते रहे हैं। हमारी सरकार की ओर से इस बारे में कोई पग नहीं उठाया गया है। जब एक प्रेसीडेंट इस बात को स्वीकार करता है, और पेपर्स में वह बात

आ गई है, तो भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है।

अब मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान हरिजनों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। आज तक कांग्रेस सरकार हरिजनों की बहुत दुहाई देती रही है और उन से बोट लेती रही है। हरिजन और मुसलमान, ये दोनों कांग्रेस सरकार के रिजर्व्ड पाकेट्स रहे हैं परन्तु बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 30 सालों में न तो हरिजनों का कोई कल्याण हुआ है और न मुसलमानों का कल्याण हुआ है। हरिजनों के बारे में मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा। हरिजनों की समस्या सामाजिक और आर्थिक दोनों ही हैं। सरकार ने एक पहलू को पकड़ा। सामाजिक पहलू को ले कर उम ने कुछ कानून बनाए। अच्छे कानून बनाए और कड़े से कड़े कानून बनाए लेकिन कानून बनाने के पश्चात् क्रियात्मक रूप में उन का कितना पालन हुआ, यह सब को मालूम है। तमाम प्रान्तों में, मैं खुले रूप में कहना चाहूंगा, प्रान्तीय सरकारों ने उन पर बहुत कम अमल किया। जो लोग वहां बैठे हैं उन के दिलों में वही छुआछूत की भावना है हरिजनों के प्रति। हरिजनों की शिकायतें थानों में लिखी नहीं जाती। अगर शिकायत लिखी भी जाती है तो यही रिपोर्ट आती है कि सबूत नहीं मिला। जब लोगों के दिलों में, दिमागों में छुआछूत की भावना है, तो अपराधियों को दंड नहीं दिया जा सकता। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के चाहे जितने भी कानून हों, उन से इस समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक पुलिस में हरिजनों को उन के अनुपात के अनुसार ही नहीं बल्कि उन के अनुपात से ज्यादा नौकरियां न मिलें और जहाँ पर भी हरिजनों के साथ अत्याचार होता है, वहाँ की जांच हरिजन पुलिस अफसरों के द्वारा जरूर होनी चाहिए ताकि दूसरे पुलिस अफसर गड़बड़ न कर सकें।

जहां तक आर्थिक पहलू का सवाल है, आज सरकारी नौकरियों में 15 प्रतिशत का कोटा इनके लिए सुरक्षित है लेकिन अधिकांश नौकरियां ऐसी हैं जहां पर 2 परसेन्ट, 3 परसेन्ट और कहीं कहीं 8 परसेन्ट ही नौकरियां इन को मिली हैं और कहीं कहीं पर तो शून्य है। अगर कहीं कहीं पर कोटा पूरा भी किया गया है तो वह थर्ड कटेगिरी और फोर्थ कटेगिरी में कर्मचारियों का रख कर किया है। आफिसर्स रैंक में उन को नौकरियां नहीं दी गई।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार अपने को हरिजनों का बहुत हितेषी कहती थी लेकिन नौकरियों में उनका कोटा तक पूरा नहीं किया। इसके अलावा मैं यह कहूंगा कि व्यापारिक क्षेत्र में एक भी हरिजन को गवर्नमेंट की ओर से कोई दुकान नहीं दी गई, कोई इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट का लाइसेंस नहीं दिया गया। आप हिन्दुस्तान में कहीं भी चले जाइए कहीं भी व्यापारिक क्षेत्र में इन को कोई सुविधा नहीं दी गई है। कांग्रेस सरकार कहती थी कि छुआछूत खत्म हो गई है लेकिन हिन्दुस्तान में एक भी रेस्टोरेन्ट आपको हरिजन का देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं हरिजन वर्ग के लोगों को दुकानें हैं, क्यों इस क्षेत्र में इन लोगों को महरूम रखा गया है? क्या इस वर्ग में इस काम के लिए लायक आदमी नहीं हैं?

अछूतों में अगर कोई वर्ग सबसे ज्यादा वरत है तो वह मेहतर वर्ग है। सरकार ने नौकरियों में हरिजनों के लिए कोटा सुरक्षित रखा, दूसरी रियायतें दीं लेकिन हरिजनों में एक विशेष जाति को ही सुविधायें दीं; परन्तु मेहतर वर्ग को कोई सुविधा नहीं मिली। मैं कहना चाहूंगा कि मेहतर अपने सिर पर मैला उठा कर चलता था, वह आज भी उठा कर चल रहा है। जब तक सरकार सिर पर मैला उठाने की प्रथा को बंद नहीं करेगी तब तक लोगों के दिमाग से छुआछूत की भावना नहीं जा सकेगी। इसलिए सरकार इस मैला उठाने

पर प्रतिबंध लगाये। हरिजन वर्ग में इस वर्ग को जो कोटा मिलना चाहिए था, वह इसे नहीं मिला। इनके कोटे की भी पूर्ति होनी चाहिए।

हमारे मंत्रीगण बाहर दौरो पर जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी वे दौरो पर जाते हैं। वहां वे बड़े-बड़े लोगों के यहां जलपान या भोजन करते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि जब मंत्रीगण दौरे पर जाएं तो किसी हरिजन के यहां भी चाय पियें या जलपान करें। चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जेब से ही खुद पैसा खर्च करना पड़े। वे खुद भी वहां चाय पियें और अपने साथ जो अधिकारी होते हैं उन्हें भी पीने को कहें। जब ऐसा होगा तभी इस छुआछूत की भावना को दिमागों से निकाला जा सकेगा।

अध्यक्ष जी, अभी पेपर में आया है कि सिविल राइट कमीशन बनाया जा रहा है जो माइनोरिटीज, बेकवर्ड क्लासिज और शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के सिविल राइट्स के बारे में निगरानी करेगा। मैं ममझता हूं कि यह एक खतरनाक स्टेप है। अब तक जो हमारे यहां शेड्यूल्ड कास्ट्स कमीशनर हुआ करता था, उसके विभाग के सारे अधिकार भी इस कमीशन के पास चले जायेंगे। यह कमीशनर यह देखा करता था कि हरिजनों की क्या समस्याएं हैं, उनकी जांच करता था और उनको दूर करता था। लेकिन जब आप इस विभाग के कार्य इस कमीशन को देने जा रहे हैं तो इस वर्ग के साथ पूरा न्याय नहीं हो सकेगा। मैं समझता हूं कि अल्पसंख्यकों की समस्याएं बिल्कुल अलग हैं, पिछड़ी जातियों की समस्याएं बिल्कुल अलग हैं और हरिजनों की समस्याएं बिल्कुल अलग हैं। इसीलिए जब संविधान बना तो उसमें हरिजनों को बिल्कुल अलग रखा गया। अगर आपने सबको मिला दिया तो कल को यह मांग भी आयेगी कि हरिजनों की तरह अल्पसंख्यकों को भी विशेष कोटा दिया जाए,

[श्री श्रीम प्रकाश त्यागी]

उनको भी सुविधाएं दी जाएं। आपके सामने यह समस्या खड़ी हो जाएगी। मुझे संदेह है इस समस्या का समाधान आप कर पायेंगे। इसलिए इस पर आप गंभीरता से विचार करें।

अन्त में मैं प्रार्थना करूंगा कि आप भारत के माथे से इस अछूतपन के कलंक को धो डालिये और इन हरिजनों को दूसरे बन्धुओं के बराबर लाइये। इसके लिए आप को अन्तर्जातीय विवाहों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। जब तक भारत में यह नहीं होगा, तब तक भारत उन्नत देश नहीं कहा जा सकता।

SHRI F. H. MOHSIN (Dharwar South): I rise here to oppose the Demands for Grants of the Home Ministry.

Sir, it is customary, while submitting the report to the House, to highlight the achievements of the Ministry concerned in the report itself. But, the report that is given to us is most uninspiring and insipid. It has not given the achievements made; perhaps, the intention was that the credit should not go to the previous Government. I can very well understand that game.

However they have tried to denigrate the previous government, condemning the various measures taken during the emergency and so on in spite of the fact our leader has already expressed that the proclamation of emergency was a mistake and he has also expressed the regret for that. What more do you want? The decision to proclaim emergency was itself a blunder. We do agree, but the mistake lies with the constitution-makers. The constitution provides for an emergency and perhaps the Prime Minister and the government of the day thought that circumstances existed for such a proclamation at that time... (Interruptions) Please don't interrupt. I am not yielding.

Mr. Kamath himself said that at the time of the constitution he had warned the then Prime Minister and the then government and yet, the constitution provided for such an emergency. (Interruptions)... Then what did your Minister do at that time? Mr. Jagjivan Ram had himself moved a resolution for the approval of the proclamation of emergency in Lok Sabha. He could have walked out from the Cabinet when the Ministers were not consulted. He could have resigned and now you have made him a Minister... (Interruptions) I am not yielding. You can speak for yourself. I have got a right to speak... (Interruptions)

I say again that the decision to proclaim emergency was a blunder. It is an error. Sir, to err is human. Even Mahatma Gandhi committed errors. Himalayan blunders he committed. I accept it and our leader has also accepted it as a blunder. The emergency gave vast powers to the executive authority and power corrupts the man... (Interruptions) Man includes woman. Mr Suraj Bhan includes the female section also. That is the law.

It is quite natural that when emergency powers were vested in some people, it is quite likely that they must have been misused... (Interruptions) I never interrupted you while your members spoke. Why should you interrupt me?

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member should address the Chair.

DR. HENRY AUSTIN (Ernakulam): Some members cannot speak when interrupted. That is the problem.

SHRI F. H. MOHSIN: At that time it was quite likely that some people might have misused their powers. For that a commission has been set up. Let the commission go into the whole thing and give its verdict. But all the while going on saying that everybody misused the emergency powers

is not fair. When a commission is appointed, why should you not exercise some patience till the verdict is given? You have come to power because of emergency. Had there not been emergency imposed, your party would not have been today in the treasury benches. You want to make capital out of it by again and again highlighting the misuse of the emergency. Let us have patience. We are not here to shield people who have misused the emergency. Let the law take its own course. We are not here to protect those who have misused their powers.

There were some abuses but there were some advantages also, which nobody can ignore. Prices were brought down. Inflation was checked. Can there be any two opinion about that? Now, the prices are rising. You cannot control them. You are helpless. You are only appealing and appealing to the trading community to bring down the prices but you have not been successful. Prices of edible oils, rice, wheat and other essential commodities are going up. You are helplessly looking at it, because you cannot control it. But during emergency they were kept under check. So there were some good uses also, such as an atomic explosion has peaceful uses of atomic energy as also the destructive uses. So, there were advantages of emergency which we cannot forget. The production in all the industries had gone up. There were no strikes. There were no lay offs. There was discipline in universities and even foreign exchange reserve had gone up 400 times. Now you can reap that fruit. We have left a good legacy behind. You can make better use of the foreign exchange reserve. The advantages of emergency cannot be ignored.

We won in South—in Karnataka, Tamilnadu and Kerala on the question of emergency. From Tamilnadu you got only three seats, in Andhra one seat, in Karnataka two seats and in Kerala nil. It was not the fault of

emergency. It was the misuse of emergency in some areas which had gone wrong. Wherever there was no misuse, the Congress has not come to power.

The Home Minister advocated first, "If we come to power, we want to curtail the powers of the President and dissolve the Assembly." It was the avowed policy of the Janata Party. Akali Party included it in their manifesto. The first power that you used was to dissolve these assemblies and bring President's rule. What was the principle behind it? In Lok Sabha poll, because the Congress had been routed, therefore, in Assemblies they cannot remain morally. What is that moral? I cannot approve of that moral. Then whether it is moral on your part to rule over the States, which had not accepted your party? What moral authority have you got to rule over those States? Because you had no moral ground, therefore, you thought of another method of giving notice to the Chief Ministers of certain States and appoint Commissions. Because you have no moral ground, therefore, you are raising that legal ground of appointing Commissions of inquiries.

You are talking of charges. Who are they against whom there are no charges? Charges were against everybody including your party members. Go on appointing commissions against them all.

Where you could not dissolve the Assemblies, you have given notice. You have given notice to Assam, Andhra, Karnataka Chief Ministers. This is the way you profess democratic principles and you adopt undemocratic norms. And you talk of rule of law.

What happened in Jammu and Kashmir? Our party was in majority. It was democratically and constitutionally elected. At the instance of only one individual who had four people in the Assembly, you dissolved Jammu and Kashmir Assembly. Per-

[Shri F. H. Mohsin]

haps, you thought Janata may come to power. You have been ousted. Janata Party workers are being harassed along with the Congress workers. You must be repentent. Now it is too late for you. There may be some serious consequences by the plebiscite plea that has been raised by Sheikh Abdulla. You have been responsible for all this. Otherwise he was keeping quiet all this time. You appoint commissions. There is commission against Nandini Satpathi also. It has been said by her that the judge is a politician and one cannot expect any impartial judgment. Many of the judges were politicians, they had political connections. You appointed Dr. Nagappa Alva for enquiring about treatment of JP. He was President of Congress (O) in Karnataka. He was more a politician than a doctor. He was a Member of the Rajya Sabha and he used to talk in rabid language. How can such a man enquire into the sort of treatment given to JP? What kind of impartial report can you expect from such people? This sort of feeling is there in respect of all those judges whom you have appointed. You have appointed a fact-finding committee about Turkman gate incidents. I don't approve of the incidents. My heart ached at that time. I protested vigorously. Thousands of houses were demolished. You have only a fact-finding committee but no Commission of Inquiry. You want to protect the officers who have done those things. You want to protect Mr. Jagmohan who had done all these things. Tamta has come to your side and suddenly he has become your friend. You shed crocodile tears at the time of election for the Turkman gate incidents. You have now appointed only a fact-finding committee. There is no commission of Inquiry. You will get the report after 1 or 2 years. Many houses were demolished mercilessly. I have no sympathy for those people who did all these things. You must punish them. During election time I learnt that Mr. Charan Singh used to read

out the list of those people who died in Muzaffarnagar during emergency. He used to say, these are the dead persons whose bodies were taken away in trucks and thrown into the river. That is how he got the Muslim votes but he has not appointed a commission to enquire into Muzaffarnagar incidents. Shah Commission is different and they may consider so many things. Here is a big incident where you yourself said that 150 people were killed and you read out the names. Why can't you have a judicial enquiry for this when you have one for Nagara-wala, Maruti and so on? When you appoint commissions for small matters why cannot you have an enquiry for these Muzaffarnagar incidents where according to you 150 people had died?

श्री चरण सिंह : मैं जानना चाहूंगा कि मोहसिन साहब कौनसी घटना का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें 150 आदमी मारे गए हैं ? मैं जानना चाहता हूँ कि यह कहां की बात कर रहे हैं ।

SHRI F. H. MOHSIN: I remember to have read it in the papers. There was a list which you read out during your election tour. You read out that list of persons whom you alleged, have died in Muzaffarnagar firing. You said, these were the persons who have died. All the persons there voted for Janata. Now you have forgotten to appoint a commission to enquire into these Muzaffarnagar incidents.

श्री चरण सिंह : इन्कवायरी हो रही है, हाई कोर्ट का जज कर रहा है, आपको मालूम नहीं है ।

SHRI F. H. MOHSIN: You go into the facts. The official figure was 17 or 18 and at that time you were giving these figures. That is what I am telling you.

Sir, Janata Government professes that it will enhance the prestige of judiciary. Well, that is a good thing.

I am also a lawyer and I want that the prestige of the judiciary must be preserved. But, Sir, their actions have proved this otherwise. The very fact of the withdrawal of the Baroda Dynamite case goes to show that it lacks in confidence of the judiciary. Why could they not wait when the case was before the court with all the facts of the case which could have been proved? The reasons given for the withdrawal of the case were that it was in public interest to withdraw the case; the second reason was the change in the situation because of which, the case has been withdrawn.

What is the public interest involved when a case is filed and when Mr. George Fernandes himself gave an interview to a Foreign Press journalist saying that there had been violent agitations against that regime. (*Interruptions*) If that is so, then where is the need of withdrawing this case? If it were a false case, you could have said that. But, you said that you were withdrawing the case in the public interest. What was the public interest involved in that case and what was the change in the circumstances? Is it because the Janata Party Government has come to power and so, you want to withdraw that case? A case has been filed before the court against the case. Why should you withdraw it?

Does this not prove that you have lack of confidence in the judiciary? You say you profess faith in judiciary; when the case is before the court, why don't you wait till the verdict of the case is known. Why should you withdraw the case?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, you will have to wind up. I am very sorry Mr. Mohsin we are hard pressed for time and so you please conclude.

SHRI F. H. MOHSIN: I shall give only some points before I conclude. Similarly, Badal's case was also withdrawn even though corruption charges were involved in that case. Why was

that withdrawn? I shall again give you the facts about the reservation of quota in the B.S.F. and C.R.P. for the minority community. Muslim minority's representation in BSF is 1 per cent whereas in the C.R.P. it is only 4 per cent. The Janata Party gave a promise in their election campaign that Urdu would be given the status of a second language. After the election you have forgotten that. One Member wanted to take oath in Urdu. But he was not allowed to do so whereas here, in Lok Sabha, the Members are allowed to take oath even in their mother tongue like, Tamil, Malayalam etc. In U.P. where Urdu is an important language—the Home Minister's State—a Member cannot even take his oath in Urdu. Where have your professions gone?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now you should conclude. I shall call the other speaker.

SHRI F. H. MOHSIN: I want a minute more.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am very sorry. I cannot go on like this.

SHRI F. H. MOHSIN: All right, Sir.

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : (गोपालगंज) :
उपाध्यक्ष महोदय, अभी पूर्ववक्ता ने जिन बातों का जिक्र किया, अगर मैं उन सब का खण्डन करने लूँ, तो मेरा सारा समय बीत जायेगा। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि इतना फैलेशज आर्ग्युमेंट मने कोई दूसरा नहीं सुना है। "डेबिल क्वोटिंग स्क्रिप्चर" की कहावत चरितार्थ हुई है। माननीय सदस्य स्क्रिप्चर क्वोट कर रहे थे यह दिखाने के लिए कि जनता पार्टी की सरकार बुरी है और वह अपने वादों पर कायम नहीं रहती है। जब वह मिनिस्टर थे, तो वह कितने वादों पर कायम रह सके और क्या कर सके, अगर मैं उनका वर्णन करने लूँ, तो मेरा समय बीत जाएगा और इसलिए मैं उन का वर्णन नहीं करूँगा।

[श्री द्वारिका नाथ तिवारी]

गृह, मंत्रालय सब मंत्रालयों की धुरी है। अगर उसका काम ठीक तरह से म चले, तो कोई मंत्रालय नहीं चल सकता है। यदि ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था ठीक नहीं रही तो न ऐग्रीकल्चर ठीक चल सकता है, न व्यापार और न इंडस्ट्री चल सकती है, न शिक्षा चल सकती है और न यह हाउस चल सकता है। इसलिए कितना महत्वपूर्ण विभाग है यह आप समझ सकते हैं। अगर इस का कार्य ठीक रहा तो सब अपने अपने काम पर ठीक से चलते हैं। यदि इस का काम गड़-बड़ाया तो सब में व्यवधान हो जाता है और कोई विभाग ठीक से काम नहीं कर सकता है। मोहसिन साहब भी गृह मंत्री थे, उन को मालूम है कि वह विभाग कितना इम्पोर्टेंट है। मैं तो कहूंगा कि यह विभाग ठीक नहीं चले तो देश की प्रगति रुक जायेगी, देश आगे नहीं बढ़ सकता। जहां कानून और व्यवस्था न हो जहां झगड़े होते रहें, मारपीट होती रहे, वहां कोई इंडस्ट्री चलेगी कैसे? घर में जब आग लगती है तो आदमी कोई दूसरा काम नहीं देख सकता है, उसी को बुझाने में लग जाता है। इसलिए गृह मंत्री का काम इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर उस को वह ठीक से नहीं चलायेंगे तो देश की तरक्की रुक जाएगी। जब देश आजाद हुआ था, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बना था, उस समय बड़े बड़े नेता देश के कर्णधार थे लेकिन उस वक्त जो अव्यवस्था हुई, जो हिन्दू मुसलमानों के झगड़े हुए उस से सारी व्यवस्था अस्त-व्यक्त हो गई और कंट्री स्टैंड-स्टिल रहा।

एक किताब बंटी है गृह मंत्रालय की तरफ से—फर्स्ट हन्ड्रेड डेज वाइ दि न्यू गवर्नमेंट—मैंने इसको पढ़ा। मुझे अफसोस है कि इस किताब में कोई ऐसी मूचना नहीं है जिस से हम जाभावित हो सकें या पब्लिक पर कोई उस का असर हो सके। इतनी स्केची रिपोर्ट दी हुई

है, या तो फैक्ट्स को छिपाया गया है या पता नहीं है। इस से यह भी नहीं मालूम होता कि एमरजेंसी में कितने लोग जेल भेजे गए।

श्री चरण सिंह : वह उस बड़ी रिपोर्ट में है।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : जब यह किताब बंटी है तो उस को तो कोई देखने नहीं जाएगा। इसलिए कुछ फिगर इस में होनी चाहिए थी जिस से पब्लिक को भी इन का बेनिफिट होता। केवल यह दिया हुआ है कि सब कैसेज उठा लिए लेकिन कितने थे, कितने उठा लिए गए, कितने लोग जेल में थे, कितने छूट गए हैं, यह उस में एक लाइन में जा सकता था।

एक बात इस रिपोर्ट में है कि डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए विरोधी दल को एक ऊंचा स्थान दिया जा रहा है। यह ठीक है कि कोई डेमोक्रेसी बिना मजबूत विरोधी दल के चल नहीं सकती। उस के बिना डेमोक्रेसी ठीक काम नहीं कर सकती। . . . (व्यवधान) अब मोहसिन साहब मानते हैं लेकिन उनकी सरकार नहीं मानती थी, उन की सरकार विरोधी दल को खत्म करना चाहती थी। लेकिन यह सरकार विरोधी दल को ऊंचा स्थान देने के पक्ष में है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी स्टेट्स को भी ऐडवाइज करें कि यही पोजीशन और यही महत्व अपोजीशन को वहां भी दिया जाए जो आज आप यहां दे रहे हैं। नहीं तो, यह एकांगी हो जाएगा। केवल आपके यहां रहेगा, और जगह नहीं रहेगा तो डेमोक्रेसी ठीक तरह से काम नहीं कर सकेगी।

गृह विभाग का काम इतना फैला हुआ है, इतने उस के अंग हैं कि केवल नाम लिया जाए तो उसी में सारा समब बीत जाएगा। इसलिए सब बातों पर मैं नहीं जाता। विगत

असेम्बली चुनाव में जो घांघली हुई उस की तरफ मैं गृह मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। बिहार में एक बहुत ही खराब प्रथा कहिए या परिपाटी कहिए चलती रही है, बूथ कैप्चरिंग की। लोग वहाँ के बूथों को कैप्चर कर लेते हैं, किसी को जाने नहीं देते और वोट नहीं देने देते। दो चार आदमी जा कर वोट दे देते हैं। इस को आप बन्द नहीं करेंगे तो रियल विश क्या है पीपल की वह आप को नहीं मालूम हो सकती और असेम्बली और पार्लियामेंट में बिल आफ दि पीपल रेफनेक्ट नहीं होगा। मेरे क्षेत्र गोपाल गंज का एक भाग है—कटेयां। जब पिछले असेम्बली के चुनाव हो रहे थे, तो कटेयां में जितने अधिकारी थे, ऊपर से नीचे तक, सब ने तय कर लिया था कि अमुक उम्मीदवार को जितायेंगे। वह उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का था। किसी तरह से वे लोग उस के प्रभाव में आ गये और उन्होंने क्या किया—पिछले लोक सभा के चुनाव में सब पोलिंग बूथ्स ठीक हो गए थे, लेकिन उन्होंने पोलिंग बूथ्स को बदल दिया और उस कैंडिडेट के अनुसार पोलिंग बूथ्स को बनाया। विरोध में दरखवास्तें दी गईं, एन्वयरी हुई, बदलना अनुचित साबित हुआ। फिर भी उन को नहीं बदला गया, क्योंकि उन को उस कैंडिडेट की मदद करनी थी। उस के बाद ऐसे पोलिंग आफिसरों को वहाँ डिप्यूट किया गया जो उस कैंडिडेट के मुताबिक थे, जो विरोधियों की बात को नहीं सुनते थे। पोलिंग में कांग्रेस प्रत्याशी के लोगों ने 25-30 पोलिंग बूथ्स को लूट लिया। लूटने का अर्थ है जबरदस्ती वोट डाल लिया और अफसर कुछ नहीं बोला। हम लोग बिहार के एडवाइजर, चीफ सैक्रेटरी और आई जी० से भी मिले थे और उन से कहा था कि वहाँ का प्रबन्ध कीजिए। वहाँ के लोग जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह की गड़बड़ होने जा रही है। उन्होंने इस सिलसिले में प्रबन्ध भी किया, लेकिन वहाँ के अधिकारियों ने ऐसा किया कि जो एडीशनल अधिकारी भेजे गये, उस को उस जगह भेज दिया जहाँ ऐसी बात

होने वाली नहीं थी। जब पोलिंग हो रहा था मैं खुद उन बूथों पर गया, जो कैप्चर किए गए थे। मैंने देखा कि रिवाल्वर के प्वाइन्ट पर हमारे पोलिंग एजेंट को मार कर भगा दिया, उस के कागज छीन लिए गए। वहाँ के एस०डी०ओ० और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कहा गया पर कोई सुनता नहीं है। हमारे पोलिंग एजेंटों को घर में बन्द कर दिया गया। जब हम ने अधिकारियों से जा कर कहा कि उस को छोड़वाये तो वे जवाब देते हैं कि अभी मेरा काम यह नहीं है, पोलिंग हो जाए, उस के बाद देखेंगे। रात तो 8 बजे के बाद वे घर से बाहर निकाले गए और इस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई।

जहाँ इलेक्शन में इस तरह की घांघली हो कि अफसर खुल कर किसी कैंडिडेट की मदद करें—वहाँ निष्पक्ष रूप से चुनाव कैसे हो सकता है? हम ने होम मिनिस्टर साहब और इलेक्शन कमीशन को लिखा। मैं जानता हूँ जब एन्वयरी होगी तो वहाँ के रिटर्निंग आफिसर लिख देंगे कि कोई नाजायज काम नहीं हुआ, उस पर कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, बस इलेक्शन केम बन जाएगा। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ—होम मिनिस्टर इस की एन्वयरी करा सकते हैं कि इस सम्बन्ध में क्या-क्या घांघली वहाँ पर हुई है। इलेक्शन का रिजल्ट चाहे जो हुआ हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि होम मिनिस्टर साहब इस की जांच करायें ताकि मालूम हो सके कि उन के आई०ए०एस० और आई०पी०एस० आफिसरों किस तरह से बिहेव करते हैं। यहाँ तक हुआ कि हमारे वर्कर्स को पीटा जाता था, लेकिन उसके खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं होता था। इलेक्शन तक ही ऐसा नहीं हुआ, इलेक्शन के बाद भी कई ऐसी घटनायें हुई हैं, जिन की सूचना मैंने गृह मंत्री जी को दी है। हमारे जनता पार्टी के वर्कर्स को दिन-दहाड़े पीटा गया, पुलिस, थाना-अफसर खड़े देख रहे हैं, लेकिन कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो रिपोर्ट लिखी नहीं जाती है,

(श्री द्वारिका नाथ तिवारी)

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इन्फार्म करते हैं तो कोई सुनता नहीं है।

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : वहां जनता पार्टी के लीडर्स हिजड़े हो गए थे।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : हम ला को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं—आप इस को हिजड़ापन कहें या जो कहें। आप बहादुर होंगे, आप ला को अपने हाथ में लेकर खून कर सकते हैं, गोली चला सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आज यहां पर अपनी सरकार है, कल को होम मिनिस्टर साहब कहेंगे, हमारी सरकार थी, तुम ने ऐसा क्यों किया, हम को सूचना क्यों नहीं दी मैंने आप को सूचना दी है, चुनाव के बाद भी घटनायें हो रही हैं, बन्द नहीं हुई हैं और हमारे जनता पार्टी के वर्कर्स डीमोरनाइज़ हो रहे हैं। बाहर घूम नहीं सकते हैं।

श्री चरण सिंह : आप खाली काली तस्वीर खींच रहे हैं। पिछले चुनावों में क्या हुआ ?

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : इस चुनाव में ऐसा हुआ है।

श्री चरण सिंह : पिछले चुनाव में क्या हुआ था ?

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : पिछले चुनाव में इतना नहीं हुआ था। पार्लियामेंटरी चुनाव में इतना नहीं हुआ था जितना अब हुआ है। उन लोगों ने देखा कि कांग्रेस के खिलाफ जनता हो गई है और जनता पार्टी के पक्ष में है, तो जो कांग्रेस वाले थे उन को जिताने के लिए अफमरों ने जोर लगाया और उस कैंडिडेट ने जितना जुल्म हो सका किया। मेरा कहना यह है कि पार्लियामेंटरी चुनाव के बाद ऐसी घटनाएं घटीं क्योंकि उन लोगों ने यह समझ लिया था कि जनता का रुख हमारे लिए

खराब है और हम जीत नहीं सकते। इसलिए उन्होंने जुल्म करना शुरू किया। कटैया में जो गोपालगं संसदीय क्षेत्र में है, ऐसा हुआ है। उस कांस्टीटुन्सी का नं० 21 है। वह बिहार में है। इसलिए मेरा कहना यह है कि मारपीट की जो घटनाएं हो रही हैं इन को आप बन्द करवाइए ताकि हमारे वर्कर्स बाहर निकल सकें और काम कर सकें।

श्री चरण सिंह : वह तो बिहार की गवर्नमेंट बन्द करेगी।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : मैं ने उन को भी लिखा है लेकिन लिखने से कुछ होता नहीं है जब कोई कड़ाई से कुछ न कहे। जब लिखते हैं तो कागज चला जाता और उस पर कुछ रिपोर्ट दे दी जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। इस तरह से वहां पर हमारे वर्कर्स डिमारे-लाइज हो रहे हैं और इस को रोकने के लिए स्टैप्स लीजिए ताकि लोग स्वतन्त्रतापूर्वक विचार सकें और अपना काम कर सकें।

दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ वह आफिशियल लेंगुएज से सम्बन्धित है हमारे कुछ मित्रों ने अपने भाषण में यह कहा कि हम लोगों पर हिन्दी को लादा न जाए। शायद उन्होंने जो आफिशियल लेंगुएज रेज्यो-लूशन हुआ था, उस का अध्ययन नहीं किया, उस को पढ़ा नहीं।

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) : एकट भी है।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : एकट भी है और वे समझते हैं कि एकट और पार्लियामेंट का प्रस्ताव रहते हुए उन पर जबर्दस्ती हिन्दी लाद दी जाएगी। ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा कि हिन्दी सब जगह लाद दी जाएगी बल्कि यह कहा है कि जब तक आप इस को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हिन्दी सब जगह लागू नहीं की जाएगी और अंग्रेज़ी सह-भाषा रहेगी। इतनी छूट देने के बाद भी, इतना कन्सेशन करने के बाद भी यदि आप समझते हैं कि हम हिन्दी

लागू कर देंगे तो दुर्भाग्य की बात है और यह बड़ी अनफार्चुनेट बात है। आप के दिमाग में यह बात कैसे आई, मैं समझ नहीं सका। हम लोग हिन्दी लादना नहीं चाहते। आप कहते हैं कि हिन्दी में मत बोलें। जैसा आप छूट चाहते हैं कि जिस भाषा में आप चाहें बोलें, वैसे हम को भी छूट दें और मैं भी जिस भाषा में चाहूँ बोलें। यहां पर ट्रांसलेशन की व्यवस्था है और आप उस को सुन सकते हैं। आप दूसरी भाषा में बोलेंगे तो हम ट्रांसलेशन सुन लेंगे। अगर आप अपनी भाषा में बोलने की स्वतन्त्रता चाहते हैं तो हमें भी स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। अगर आप स्वतन्त्रता नहीं देंगे तो यह एकांगी बात हो जाएगी। पार्लियामेंट का एजेंडा होते हुए अगर आप कहते हैं कि हिन्दी लादी जा रही है, तो यह सत्य का गला घोटना होगा और ऐसे कभी समझौता नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि हिंदी लादी जाए लेकिन देश में एक भाषा हो जिस को सब लोग समझ सकें। चाहे वह हिन्दी हो और चाहे संस्कृत। अगर आप हिन्दी नहीं चाहते हैं तो तमिल, बंगला भाषा पार्लियामेंट से पास करवा दीजिए।

श्री एफ० एच० मोहसिन : लखनऊ में उर्दू में प्रार्थ नहीं लेने दी गई।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी : आप की बात का भी जवाब दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि देश में विदेशी भाषा चले, तो यह ठीक बात नहीं है और इस को बदलना चाहिए। हमारे शेड्यूल में सभी आफिशियल लैंग्वेजिज हैं, सभी राष्ट्र भाषाएं हैं। लेकिन इनमें से किसी को राष्ट्र के हित में, सह भाषा, लिंक लैंग्वेज या सम्पर्क भाषा तो रखना होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि इससे किसी भाषा का दर्जा कम हो जाएगा। काम की सुविधा के लिए एक लिंक भाषा होनी जरूरी है। इसीलिए हिन्दी को रखा गया है कि वह लिंक भाषा के रूप में इस्तेमाल हो।

आप आफिशियल लैंग्वेज एकट पढ़ लीजिए या जो प्रस्ताव भाषा के सम्बन्ध में पास हुआ है, उसे पढ़ लीजिए। अगर आपको इनमें कहीं कमी मालूम हो तो मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए आपका साथ दूंगा मैं डम पक्ष में नहीं हूँ कि कोई भाषा किसी पर लादी जाए। जब आपको हिन्दी समझ में नहीं आती है तो आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं, तमिल में बोल सकते हैं। इसी प्रकार आप मुझे भी यह इजाजत दीजिए कि मैं हिन्दी में बोल सकूँ या अंग्रेजी में बोल सकूँ। यहां पर तमिल में भाषण हुए हैं, बंगला में भाषण हुए हैं। जब हम उनको सुनना चाहते हैं तो कान में लगा कर उनका ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। इसीलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि हिन्दी और अंग्रेजी का मामला यहां न उठाइये। इस तरह से मामला मुलझता नहीं, उलझ जाता है आप अपने मन से इस अमत्य धारण को भी निकाल दीजिए कि कोई आपके ऊपर हिन्दी थोपना चाहते हैं।

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, some of us have tabled cut motions, but I understand you have no time for us at all. Can we at least have the leave of the House to withdraw our cut motions, because it is no use waiting from morning till evening to be told at the end that we cannot be called at all?

MR. DEPUTY-SPEAKER: You must know the procedure. There is no question of your withdrawing the cut motions because you are not being given time. There is also no question of your pre-supposing that you are not going to be called. The discussion is still going on and the Home Minister is to reply only at 4.30. Shrimati Rano Shaiza.

SHRI RAM JETHMALANI: Hardly 90 minutes are left.

SHRIMATI RANO M. SHAIZA (Nagaland): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am supporting the Demands for

[Smt. Rano M. Shaiza]

Grants and while doing so, I would like our new government to take note of the suggestions I am placing before this august House.

A new party and a new government have come to power and to stay to carry out the task for which the people of our country have given a massive mandate. Merely stepping into the old shoes of the old previous regime is not going to satisfy the aspirations of the people who want a positive change, a change that could cater to the needs of modern India and that change must come swiftly with new purpose, imagination and direction. The old shoes of the old regime have become outmoded and out-dated. The old regime had strayed away from Gandhian path and Gandhian philosophy. Anything, even, the best, done too late and untimely will lose its charm and beauty.

The police force of our country must be re-organized and re-orientated, to suit the needs of the present-day requirements. We should look for quality, rather than quantity. In the past, it had been a force of terrorism, rather than a custodian of law to ensure freedom and protection of citizens. In Nagaland, for instance, the police force was organized and trained to counteract insurgency. In the present changed context, that training is unsuitable to meet political agitations and demonstrations of the nature that require an entirely different outlook. Therefore, in short, I am asking for a re-orientation training to suit the background of a particular State, and also for bringing in the same reorientation for trainees for all the States in India.

During the Emergency, transfers and postings of officers were done with political motives behind them. Because the State of Nagaland is under President's rule, nothing has been done so far to change them, and therefore favouritism, nepotism and corruption

continue unabated. I was most happy that our hon. Home Minister, while sending Advisers to the States whose Assemblies were dissolved, directed them to undo the injustices and excesses committed during the previous regime. This principle must be extended to all the States in the North East, where there is so much of injustice and corruption in high places. I cannot think of our Janata stepping into such dirty shoes and continue to wear those old shoes even for a day.

The old regime perhaps was preoccupied with the problems of their personal interest and security, that they failed to take advantage of the changed situation in the mental attitude of the people of the North East. Those of us who belong to different racial groups have always desired to be grouped together just as Maharashtra and Gujarat were created on linguistic considerations. Affinity in our culture and way of life naturally indicates that such a grouping can help us to develop into a politically and economically viable State. This is quite consistent with our traditions and the Constitution of this country.

If our government has to find a solution to all sensitive issues of the North East region, we have to think and act above partisan spirit. The philosophy of this country, "Unity in diversity", provides an immense possibility for finding solutions to the various problems of the North East in particular, and to the whole country in general. In Nagaland, there is maladjustment between the lifestyle and the system that we practice at present. Inevitably, therefore, there is conflict of some kind or the other.

Under the provisions of the Shillong Accord, there is ample scope for re-adjustments. The parties to the Accord are committed to honour the terms. Once the process of implementation begins, I have no doubt that it could lead to an answer for which

all of us have all along been praying and wishing, so that a happy outcome can be realized. There are 3 clauses, of which some are yet to be taken up. As a party to that Accord and as people determined to pursue a peaceful course, let us do all we can to honour our commitments for implementation of what is yet to be taken up.

To sum up, I would say that the whole of the North Eastern States desire that the police force be re-organized. In North East there is only one training centre in Dergaon. In that centre the officers responsible for training the police force are retired personnel. The training given there does not meet with the demands and requirements of the present force. That should be re-organised and given the best training available in the country so that we can be proud of that police force.

15 hrs.

In Nagaland there are five police battalions. The fourth battalion requires more funds to complete the building projects already taken up. The fifth battalion is yet to take up its building project. There we have no building sheds worth the name.

I would also like to mention something about Manipur. The police force there has become such a force that one is ashamed to mention about it. The higher echelon of officers do not behave well. They expect the junior officers to attend to all the work. They expect the junior officers to meet the expenses not only for cigarettes and other things for the visitors but also for the household expenses of their families. They expect the constables to do the manual job for them at their houses. They keep a few constables at home for this purpose of doing odd jobs. As a result of such practices, the morale in the police units is very very low. Discipline has degenerated into servility. Those who do not conform are transferred or harassed in so many

subtle ways. Without any loss of time, let us start tackling the simple things so that the bigger issues can be taken up later.

Coming to the border disputes in the north-east region, I would suggest that no border issue, be it demarcation or other matters, be taken up without involving the people who are affected by it. So far as Nagaland is concerned, to the east we have Burma, to the north we have Arunachal, to the south we have Manipur and to the west we have Assam. All these border areas are inhabited by no other than Nagas of various tribes. In the past there were many instances where demarcation was done without taking the local people into confidence. As a result of that, some of the Naga villages are both in Burma and in Nagaland. Not only that, half of the house of the village chief in one village is in Burma and the other half is remaining in Nagaland, which is in India. Such things can be avoided if we trust the local people and take them into confidence.

In Meghalaya disputes about Goalpara, Kamrup and Mikir districts with Assam are yet to be taken up. While taking up all these issues, it would be profitable if we go to these people and find out a proper solution.

I thank you for giving me this opportunity.

SHRI KUSUMA KRISHNA MURTHY (Amalapuram): Mr. Chairman, Sir, I rise to offer some observations I made about the functioning of the Home Ministry in India.

It is clear from the successive Budgets of our country that there is a tremendous increase in the cadre of the police force and the consequent expenditure on it. The police cadres like the CRP, BSF, Indo-Tibetan Police, Assam Rifles, Central Industrial Security Forces, etc., have been created by this House and consequently the expenditure also increased. In the 1950-51 Budget the expenditure

[Shri Kusuma Krishna Murthy]

of the Home Ministry on the police was Rs. 0.5 crores, but now it has risen to Rs. 3.5 crores, i.e., seven times more than what it was in 1950-51.

No doubt, a lot of modernisation has been gradually introduced in the training methods of the police, but we do not find that much of change in the living conditions of the police. So far, only 15 per cent of the police have been provided with housing facilities. The rest of them live in unhealthy slums which makes them quite unfit to work. They live consequently in scattered places, so that they cannot be summoned at the hour of the need. Their salaries are the lowest in relation to the duty they are called upon to discharge—probably made them highly corrupt. Since the Janata Government is committed to give the country a clean government, it is of imperative necessity to this Government that they should attend to these urgent problems of their housing etc. And more particularly their pay-scales must be realistic and need to enable them to be really effective and service-minded.

Coming to the performance of the police, it is quite distressing to note that the incidence of crimes is ever increasing in India when compared to some of the Western countries. The police quite often adopt uncivilised and inhuman methods to torture in the guise of third degree methods. They very often lose their sense of responsibility in controlling brutal atrocities committed against two innocent children, women, the old and the helpless and the weak in our society.

In this regard, the plight of the scheduled castes and scheduled tribes in particular is really miserable because we often hear of the inhuman acts of rape, murder, looting, beating setting fire to their houses and burning them by tying their arms and legs and throwing them into the burning fire. I made an attempt to know the

number of Harijans who had been killed brutally in the country after independence but I was not successful in getting these statistics. I could get some statistics only up to 1969. It is quite interesting to know that the home State of our Home Minister i.e. U.P. tops the list in this regard. In that State, 322 persons had been murdered until 1969. There is the recent example of the incident of Belchi in Patna district happened on 27-5-77, which is still green in our memory, in which one Harijan was shot dead and 13 Harijans with them hand and feet tied were thrown into the burning fire. But the offenders always successfully escape punishment because of the callous attitude of the police, their complaints are often received in a half-hearted manner and investigations are made either with preconceived notions or with carelessness. It is a curious fact that the enforcement officers go scot-free because they enjoy the immunity from the provisions of the Cr. P. C. and other provisions. It is our distressing experience that the superior police officers who are supposed to check up their lower staff are found to be absolutely caste-biased whenever a scheduled caste problem crops up. Therefore, I request the hon. Minister to give special preference to the suffering class to represent in services of all the cadres of the police, particularly in view of their basic need of security.

In the case of recruitment, the recommendations of the Kaleklar Commission, that is, 33 per cent reservation of posts for SCs and 25 per cent for STs, may be implemented because the Janata Party in its manifesto has stated clearly that they are going to give the top priority in implementing the recommendations of this Commission.

The other important function of the Home Minister is the one that deals with the Executive. The Executive is manned mainly by the higher civil services delivered by the autonomous body viz., the U.P.S.C. of the country.

The All-India Services Act, of 1951 which was amended in 1963 provides for all-India services in the field of medicine and health and engineering. But some States are not in favour of creating these services. I urge upon the hon. Home Minister to see that these services are created immediately for the benefit of those who study these subjects.

Now, I come to an important aspect of this issue namely the glaring regional imbalance in the representation of higher civil services in our country. We know that there are of all-India in nature, but why should there be such a glaring difference in getting three or four services to most of the States and 60 to 70 services to some States in every selection of these All-India Services for the last one decade or so?

15.17 hrs.

[SHRI SONU SINGH PATIL in the Chair]

Apart from this, in the qualifying examination for All India Services, there are almost very good number of intelligent students who are getting through the examination from the South with very good percentage in the written test, but in the *viva voce* conducted by the UPSC, they are dropped out and most of them are missing the selection very narrowly. Therefore, I request the Minister earnestly to look immediately into these urgent tasks, namely (1). The selection commission of the UPSC must be reconstituted giving equal representation to the South. (2) The basis, if there is any, to constitute this Commission should be changed in view of the increasing regional imbalance in the representation of higher civil services in the country. The commission i.e., the UPSC meant to select the candidates for all India services, should hold its interview sittings in Bangalore, Hyderabad and Madras for the entire South and Bombay, Delhi and Calcutta for the entire north regularly in alternate years. For the smooth functioning of a federal set up in a country

like ours, this kind of adjustment needs to be necessarily provided with even if it causes a little administrative difficulty, in order to avoid the sense of domination in the field of higher civil services in our country.

Regarding the performance of the executive, they very often play the game of 'hide and seek' under the elusive clauses of 'ifs' and 'buts' in regard to appointment of SC & ST either to a direct post or any kind of appointment. The question of "Suitability" plays a dominating role particularly in regard to the selection of SC & ST candidates. It is late Shri Damodaran Sanjivayya who aptly questioned the question of suitability. He was brutally frank in making his point clear by saying that from whose point of view this suitability is decided? Certainly from the point of view of those who are basically caste-biased. Let an SC Member, of the selection Commission, if at all there is,—generally there would not be a SC member—decide the suitability of an SC candidate. I would like to give an instance to substantiate this point that how much destructive role the clause of suitability played during the last 30 years in the recruitment of SC & ST to All India Services. As on 1-7-76 the total number of I. A. S. officers in India was 3235 out of which the representation of SC was only 277 instead of at least 450 as per the reserved quota provided in the Constitution. In regard to STs the representation was only 132 instead of at least 200 as per the minimum reserved quota. Regarding I.P.S. officers, in the same year, the total member of I. P. S. in India was 1761 out of which the representation of the SCs was only 147 instead of at least 247 and STs were only 54 instead of at least 104 as per the minimum reserved quota provided in the Constitution.

Besides this, I would like to give another example of a candidate with frustrating experience in the prime of his Youth with the UPSC. This

[Shri Kusuma Krishna Murthy]

candidate passed the examination for some of the services conducted by the UPSC for All India Services in 1964 but the candidate was not selected by the UPSC. The same candidate passed the same examination again in 1965 but again he was not selected by the UPSC. Again, the candidate passed the same examination in 1966 and again he was not selected by the UPSC. The same candidate passed the same examination again in 1968, he passed but again, he was not selected by the UPSC, again the same candidate passed the same examination in 1969, but again he was not selected by the UPSC. The Hon. House may be surprised to know that, the candidate is no other than myself.

If we go a little further, regarding promotions, we will find that over-dependence on confidential reports and special assessment reports is completely erroneous as long as the caste system exists in this country. Innumerable complaints received by the Commissioner for S. C. & S. T. by the Government and by the voluntary organisations about the atrocities committed on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes by the executive, would speak volumes. There is not a single employee belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in this country who is not been humiliated and who is not harassed and who is not ill-treated. But there is not a single employee belonging to a category against whom these complaints have been made has been punished so far in India. The bureaucracy with all this attitude has want only neglected the economic interests of the weaker sections for three decades in this Country. As such, the economic democracy in India has remained a nightmare so far.

Another important function of the Home Ministry is one that deals with the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This problem

needs to be looked at from all angles. The spirit of the "Poona Pact" imbibed in our Constitution and stoutly supported by Mahatma Gandhi found in the form of safeguards for the weaker sections has not been properly understood and realised by its significance by the implementing class and more particularly the Indian Judiciary so far. It is the Judiciary which is supposed to understand and realise the spirit of the Constitution in relation to the safeguards given to these weaker sections. I can give some instances out of many I know which will make the House understand very clearly the mind and attitude of the Judiciary. For example, the High Court of Orissa in 1973 struck down the concession allowed by the Comptroller General of India in favour of SC and ST candidates to the extent of 3 per cent in aggregate and 2 per cent in each part of the S. A. S. examination on the ground that "the standard of efficiency affects".

In another judgment given by the A. P. High Court in 1973 it has been held that "so long as seats are reserved fixing up the lower percentage does not in any way affect the interests of the candidates who do not belong to SC and ST." A very important case is that of *Arti Ray Vs. the Union of India* in which it has been clearly held that "the reservation is so excessive as to create in Government employment a monopoly in favour of backward classes." If we see the judgement given by the Chief Justice Shri Koka Subba Rao in the case of *Devdasan Vs. the State of Mysore*, it has been very clearly observed in his dissenting judgment that "the reservations can be made on the basis of the total strength of the cadre, instead of only on the maintenance vacancies." This clearly establishes the factual need for "proportional representation on the basis of the total strength of the establishment", at all levels. These self contradictory and divergent judgments of the Judiciary would clearly speak about the mind

more particularly the attitude of judiciary in India.

The First Constitutional Amendment Act of 1951 adding clause '4' to article '16' passed by the Parliament in order to ensure what is guaranteed in article '46' is made enforceable through a court of law. This amendment provided for discrimination in favour of backward classes. Thus, the judiciary has failed to realise the purpose of these safeguards and also failed to interpret the word "represented" appearing in article 16(4) of our constitution. The meaning is, sharing, "earning", "serving" and getting a chance to move forward hand in hand. For all these 30 years, the judiciary with its social prejudice has wrecked the Constitutional safeguards meant for these classes, who were required 'human dignity' and 'civil rights' several centuries in this country. These safeguards have not been properly implemented at any time, anywhere in this country so far.

So long as all these things go on like this and unless there is a proper representation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes lawyers in the class of judges, we will not be able to get any kind of justice. As on today, in the entire country, of all the 18 High Courts of our 22 States, consisting of 351 judges including 64 vacancies and excluding 13 judges of the Supreme Court, there is not a single representation from Scheduled Tribes except the microscopic minority of three judges from the Scheduled Castes. This is a glaring situation existing at all times in this country. Even if there is a deserving man from SC & ST in India, he will not be allowed to become the Prime Minister. This is the position in India with all its prejudicial set up. If we go further in regard to this matter of services of SC & ST, it would be very clear how far the reservations are so excessive as to create a monopoly in favour of these classes.

As per the report of the Commissioner for SC & ST, it is very clear that representation of SC & ST in higher civil services is negligible even after 30 years. Not even a marginal increase is found in their representation. But in class IV posts there is growth and particularly in the menial services and more so in the sweepers and scavengers there is complete monopoly of the SC & ST, because nobody would like to go to that kind of services. Thus the reservations have not been implemented properly so far.

At this rate it will take 200 years for SC & ST to come at least to their prescribed limit of the reserved quota in Services. Thus it is very clear to this August House that the police, the executive and the Judiciary put together did not allow, all these 30 years after independence the SC and ST to get their legitimate share of the benefit in the national life in India.

Regarding the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as it is provided under Article 338 of the Constitution. In 1967, after abolishing the zonal office of the Deputy Commissioners for SC & ST, this office of the Commissioner for SC and ST has become an ivory tower and consequently has become ineffective. Therefore, I would request the Home Minister to see that the zonal and sub-zonal offices for this office of this Commissioner for SC & ST must be provided to make this office really effective and also the report of the Commissioner is to be made compulsory to discuss in this House annually and thirdly an officer with a sense of dedication must be posted to this office.

Recently, there is a proposal to amalgamate this office of the Commissioner for SC & ST with the pro-

[Shri Kusuma Krishna Murthy]

posed Civil Rights Commission. This is a clever device of the Janata Party to show to the world that there are no SC & ST in India and consequently there are no SC & ST problems here. But this does not mean that these SC & ST want to remain forever as SC & ST.

What exactly the need is the betterment, the human dignity through proper representation in the main stream of national life for SC & ST in this country. The safeguards provided in the Constitution have been violated time and again. Consequently, these classes could not come up as expected by the founding fathers of the Constitution. In this connection, I am reminded about the history of negotiations in which they want to prevent the participation of Ireland. In that connection, Redmond said to Carson, "ask for any safeguards you like for the Protestant minority, but let us have a "united Ireland." But Carson thundered with his reply that "damn your safeguards, we do not want to be ruled by you."

Thank God no leader from the minority section in India has taken this stand so far. The minorities have loyally compromised with the majority to have some "safeguards", but the majority which is a "communal majority" have never attempted to implement these "safeguards" properly so far. Sooner the majority realises its committed responsibility towards the minority, better it is for the majority, better it is for the continuance of their independence, better it is for the very structure of our democracy. Let us carry out the unfinished task of restoring human dignity to SC & ST with all humility and nobility.

SHRI B. C. KAMBLE (Bombay South-Central): Mr. Chairman, Sir, I am grateful to you for the opportunity that is given to me, because I may say that to get elected is

not more difficult than to get an opportunity to speak in this House.

The Congress Party had an opportunity for the last 25 years to make India a united and prosperous nation, but what the Congress Party has done?

The Home Minister has huge powers. 30 States of Europe put together constitute India. Therefore, the huge powers with the former Home Ministers had been used properly or had been misused is a question to be considered. When the emergency was proclaimed, this Indian nation was completely crippled. There is some misunderstanding with regard to the emergency. In our Constitution, there is no provision for breakdown of the Constitution. The Constitution makers envisaged that there must be always a peaceful constitutional Government, but the Congress Party used emergency as a sort of constitutional break-down.

And with regard to emergency, even the Janata Party appears to be in some misunderstanding. It speaks about the excesses of emergency whereas emergency itself is an excess. There is nothing like excess of emergency. When hon. friends on this side asked the Congress Party about it, they said that the emergency was a blunder; they accept it. When they accept it, I must thank them for this. I say that the 42nd Constitution (Amendment) Act must be annulled. They cannot oppose it because whatever has been embodied in Emergency has also been put into the Forty-Second Constitution Amendment Act. The Congress Members cannot blow hot and cold; they cannot say that declaration of the Emergency was a blunder and at the same time say that they would oppose the annulment of the Forty-Second Constitution Amendment Act. Therefore, my submission to them would be that they should see that the Forty-Second

Constitution Amendment Act is annulled.

Mr. Chairman, did the Congress Party use all these huge powers for the welfare of the Indian people as a whole? I submit, they did not. So far as the welfare of backward classes is concerned, with which this Department is entrusted, I would ask this question: has there been welfare or has there been 'ill-fated?' Whatever organisation was there for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are completely demoralised. The members belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are completely demoralised. There is no organisation worth the name for people belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Most of the seats which were reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes were captured by the Congress Party without knowing what an amount of responsibility this capturing of such seats placed on them. Similarly, the Janata Party has captured certain seats which were reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. So, it would be their responsibility to see that the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is properly attended to.

I find that the poor people are becoming poorer. Who are they? They are no other than the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This is a fact which will go unchallenged. What is the present position so far as backward classes are concerned? The hon. Home Minister is sitting here. Still I have not formulated my opinion with regard to the hon. Home Minister. I feel that the former Home Ministers, hon. G. B. Pant and hon. K. N. Katju, had their own style. So far as the present hon. Home Minister is concerned, let us see what he does.

There was an incident at Belchi where nine persons belonging to the Scheduled Castes were shot dead. In the ancient days, Shambuka was kill-

ed by an arrow. You can compare these murders that have taken place in independent India with the killing of Shambuka. I submit that India is being taken back to the pre-Shambuka barbaric age. If India is to be a civilized nation, then every one must have the necessary protection. The good hon. Home Minister was pleased to say that there was a clash between two hardened gangs of criminals. I had gone there personally along with some other hon. Members of this House, and I must submit to the hon. Minister that there was no clash: those persons were tied together and shot dead during broad day-light and burnt. The hon. Home Minister seems to have relied upon wrong information that might have been supplied by the Bihar Government.

Now I come to the expenditure on the welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes. On page 57 of the report the expenditure for the years 1966-69 has been shown as Rs. 68.50 crores. On page 83 of the said report, you will find that the expenditure in 1974-75 was Rs. 36 crores and the outlay recommended for 1977-78 is Rs. 18 crores. This will show whether this Government is sympathetic or has no sympathies for the backward classes. On an average, it comes to Rs. 2 per head annually. Can we have welfare of backward classes with such a meagre amount? Even assuming, for a moment, that we are satisfied with the amount, the question is this. You are giving various amounts to the voluntary agencies. Have they any concern with welfare? Whatever the amount, let us have Parliamentary Committee to suggest how best the amount that has been provided can be utilised for the welfare of the Backward Classes or the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. These people are all Harijans. How long will they go on being called Harijans—for ten years, a hundred years or two hundred years? Someday, are they

[Mr. B. C. Kamble]

going to cease being Harijans or are going to be perpetual Harijans? So long as they continue to be Harijans they are bound to be ill-treated and there are bound to be atrocities on them. Therefore this Government should formulate a clear policy with regard to the welfare of these people.

So far as, public security and social security are concerned, Government has no conception with regard to social security. If we compare it with other countries, it is hardly anything which has any substance.

So far as Union Territories are concerned, the Union Territories should either be given Statehood or they should be treated as Union Territories. They are now neither Union Territories nor States.

Finally, I would once again submit that at least so far as the present Janata Government is concerned, whatever mistakes might have been done by the Congress Government should be undone and it should be seen that effective representatives of these Classes are consulted and, whatever the amount, it is properly utilised for the welfare of these people.

SHRIMATI RENUKA DEVI BARKATAKI (Gauhati): Sir, I rise to support the Demands that have been placed before the House by the Home Minister. Sir, I need not remind the House that this year the Home Ministry's demands are being discussed in a context which can be described as almost unprecedented. It is for the first time that we are discussing the demands of this Ministry after the country passed through the nightmare of the Emergency that rocked the very basic structure of our Constitution and our polity and made the common people of our country realise what they have lost with the eclipse of their Fundamental Rights and freedom. Sir, the nineteen months of Emergency marked the culmination of a concerted effort to undermine demo-

cracy—first through surreptitious means that enabled the conspirators to retain the letter of the Constitution while crucifying its spirit and, later, after the opposition had been thrown into Jail, the reign of terror clamped on the people through the bold and shameless effort to convert our democratic Constitution into a totalitarian Constitution through the 42nd Amendment. Sir, it was the culmination of the effort to destroy democracy in the country—to equate the State with the Government, the Government with the Party, the Party with the Caucus and the Caucus with the individual and, finally, to the Hon'ble Members opposite, the individual became synonymous with the nation. The Mantra which Mr. Dev Kant Borooah gave to the nation viz. 'India is Indira and Indira is India' will continue to be a haunting and humiliating confession of the enormity (magnitude) of the conspiracy against democracy.

Those who wanted to destroy democracy and convert our system into a totalitarian system had looked upon the Home Ministry as the main instrument for forcing their will on the nation. They wanted to substitute the Rule of Law with a reign of terror, to place individuals above the Law, to provide immunity to those whom the caucus liked and to persecute all those who were looked upon as dangerous to the monopoly of power that the extra-constitutional caucus wanted to preserve. The then Home Minister was himself a captive of this caucus. It was practically a totalitarian regime and was, therefore, bound to be a police regime. That is why, I would request the Home Minister that the whole police department should be thoroughly overhauled.

Sir, I do not want to take the time of the House by listing the various agencies and organizations that were set up in the Police Department and the Home Department during emergency and before that. I also do not want to take the time of the House

in describing the fabulous amounts of money that had been placed at the disposal of RAW and other agencies. Even the money was placed at the disposal of certain individuals and that was exempted from the scrutiny of the Comptroller and Auditor General of India or the Parliament. I do not want to go into all these details, but I would only request the Home Minister to go into these things and ensure that such things do not happen in future.

Under the circumstances, Sir, the task of the Home Minister is, therefore, one of dismantling the Leviathan police State that was built up by the previous Government and of restoring to the police the functions in line with the democratic set-up that we have. The police men should know what their duties are towards the citizens and for maintaining law and order with impartiality.

Sir, I must congratulate the Home Minister for the excellent beginning that he has made and for the speed that he has acquired to restore the Fundamental Rights to the citizens and to appoint Commissions of Enquiry to go into the excesses of the Emergency as well as the shocking scandals that had characterised last years of the Congress regime. However, in all humility, I must confess that it is not enough. The obnoxious Forty-second Amendment of the Constitution should be withdrawn immediately: the Fundamental Rights will have to be fully restored; the role and power of the judiciary must be restored immediately.

Then, the necessary correction in the attitude of the police cannot be achieved if, at this moment, we do not differentiate between those officers and men who acted on instructions and those who went out of their way to persecute and harass people during the emergency. If we do not differentiate between these people and do not give to the guilty exemplary punishment that would serve as deterrent and corrective, we would

not be able to reorganise the police department.

Now, I come to the area of general administration, for which the Home Minister is wholly responsible. Our public offices have not earned a great reputation for efficiency. Public petitions and letters remain unanswered and under consideration for months and months together. Public petitions and letters written by the public representatives, councillors, legislators or Members of Parliament even to the Ministers, leave aside the officers, remain unanswered or under consideration for years together. Sometimes, we do not get a reply at all to our letters. Our people have to suffer because of this. We hope, the Home Minister will see that these public offices function efficiently. Even after 30 years of our own government, these public officers especially officers like Tahsildars, Block Development Officers and the police officials do not behave properly and they even behave arrogantly to the public. The Home Minister should look into that so that the public officers behave properly and in a manner as to instil confidence in the people that it is their own government which wants to serve them and not to terrorise them.

Within the time you have given, I want to draw the attention of the hon. Home Minister to a very important matter. I know the law and order is a State subject. Hon. Member, Mr Mohsin was telling that our Home Minister has encroached upon this state subject. Sir, if some State governments and their Chief Ministers and Ministers behave in such a way which is against people's interests, naturally, government of India have to take action.

A similar thing happened in Assam, the State to which I belong and things have come to such a serious pause there. The members of the State legislature have levelled 70 charges of gross abuse of power and misuse of public funds against the

[Smt. Renuka Devi Barkataki]

State Ministry. Now, the state government is trying to destroy the documents and other evidence in the Secretariat by burning the files. So, naturally, it is the Home Minister's responsibility now to see that the evidence is not destroyed. Because they thought that there would be a commission of inquiry against them, they want to destroy all evidence before the commission is appointed. What are the charges? Can you imagine that Rs. 57 crores from plan and non-plan provisions have been diverted to hold an AICC session in Gauhati. ... (Interruptions) Can you imagine that special government guest houses were built to lodge the then Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi and the then Congress President, Shri Devakanta Borooah at a cost of Rs. 1 crore—all within a short of period of three months.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): They are all a part of socialism.

SHRIMATI RENUKA DEVI BARKATAKI: I would like to ask you one question. Suppose any Janata Party state government in UP, Bihar, Himachal Pradesh or Madhya Pradesh or Rajasthan spend this much amount in the name of a session of the Janata Party to be held in their state, will you excuse us?...

SHRI K. SURYANARAYANA (Eluru): No, no.

SHRIMATI RENUKA DEVI BARKATAKI: No, it is not. That is why the need for a Commission of Inquiry. It is good for the Congress Party, it is good for the Janata Party and for that matter, it is good for all parties. So I want everything should come out and whether they have spent that money for political ends or not.

I would not take much time of the House. Regarding the eastern re-

gion, I would like to draw the attention of the Home Minister that so far as the North-eastern Council is concerned, the purpose for which it was formed, has not been fulfilled. It has not got sufficient administrative and financial powers to implement its schemes like the bridge over Brahmaputra, an alternative National Highway and the major hydro-electric projects on rivers like Subansiri, Pagladia and many announcements made about these magnificent and big schemes have turned out to be only a vote-catching device. I hope the Home Minister will give more powers to the North Eastern Council as also more finance so that they can fulfil the aspirations of the people.

So far as our neighbours are concerned, the hon. Member from Nagaland spoke about Nagaland. In Nagaland, even after the Shillong Accord, no peace has come. So far as the Mizoram is concerned, after the cold-blooded murder of the IGP, SP and SDP in Aijawal, there was some lull for some time after the arrest of hundreds of innocent people in the name of security. The situation has since then deteriorated and I hope the Home Minister will take action and see that all those innocent people who were arrested under the MISA are released so that peace may return to the Mizo Hills.

Similarly, in Arunachal Pradesh, people are very unhappy. There is a strong resentment against the present administration there. I hope the Home Ministry will look into it.

Last but not the least, I would like to refer to the speech made by the hon. Member opposite, Dr. Karan Singh. Yesterday he spoke as the first speaker from the Congress Party. I heard him telling that whatever happened in the 19 months, one should forget and that should not bring it in the House again and again. I heard him telling about a reconciliation. I remember the facts. When we were

inside the jail, some of our friends who were outside brought a proposal of that sort and I still remember the attitude of Dr. Karan Singh's party and his leader when it was referred to them by none other than Sheikh Abdullah of Kashmir. But here I found that the attitude of our leaders including the Home Minister and the Prime Minister was somewhat different. I may not be misunderstood. I have seen that the leaders of Janata Party have shown soft corner to those who were responsible for emergency. Dr. Karan Singh and his party leaders have forgotten one thing—i.e. the ideals of Gandhiji. Our leaders have not forgotten that. We have still faith in Gandhiji and in the Gandhian ideals.

श्री राममूर्ति (बरेली): सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रालय की डिमांड्स के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। हिन्दुस्तान को आजाद हुए 30 साल हो गए, लेकिन पिछले ढाई साल में जो कांग्रेस के जरिए से कार्यवाही हुई है और इससे देश की बर्बादी हुई, उससे बड़ी तकलीफ हुई है। तकलीफ इसलिए हुई है कि कांग्रेस के साथ 60 साल का इतिहास जुड़ा हुआ है, इसके साथ गांधी जी, लोकमान्य तिलक के नाम जुड़े हुए हैं। न मालूम कितने और सैकड़ों लाखों नेता व कार्य करता है जिन्होंने अपने खून और पसीने से इस कांग्रेस को बनाया और इस कांग्रेस ने बेहतरीन मान्यताएं इस हिन्दुस्तान को दीं।

यहां पर राजा-महाराजा, ताल्लुकेदार, जमींदार इन सब के शोषण के सिवाय कुछ नहीं होता था। उन हालात में गांधी जी ने और इस कांग्रेस की संस्था ने हिन्दुस्तान में कुछ वैल्यूज क्रीएट कीं। ऐसी मान्यताएं जैसे हरिजनों का उधार, स्त्रियों का उत्थान कैसे हों, जो मजबूत थे, उनको बताया कि कमजोरों के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए, गवर्नमेंट को बताया कि आपोजिशन के साथ सद्भावना

और उदारता का व्यवहार होना चाहिए। तो ऐसी ऐसी वैल्यूज कांग्रेस के जरिए से इस हिन्दुस्तान में बनाई गईं। मुझे इसलिए तकलीफ होती है कि मेरी सारी जिन्दगी कांग्रेस में गुजरी और विधिवत् रूप से मैं 1 मई, 1977 को कांग्रेस छोड़कर इधर आया यह इतिहास है कि ऐसी हालत कांग्रेस ने पैदा कर दीं कि सैल्फ रैस्पैक्टड आदमी के लिए वहां कोई जगह नहीं रह गई सिवाये इसके कि कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी में आये।

एमजॉन्सी हमारे मुल्क में लगा दी गई, कांग्रेस के जरिये और इनके द्वारा बनाई गई प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जरिये। कौन से हालात मुल्क में हो गये थे, जो एमजॉन्सी लगानी जरूरी हो गई? क्या मुल्क पर पाकिस्तान या चीन ने हमला कर दिया था? कौनसी ताकत हमारे मुल्क को बर्बाद कर रही थी? कांस्टीट्यूशन में प्रावधान है कि जब कोई बाहर की ताकत मुल्क पर हमला करे तो एमजॉन्सी लगाई जा सकती है। लेकिन उस वक्त यहां कोई ऐसी हालात नहीं थी। सरकारी अफसरों से पूछा गया कि एमजॉन्सी लगाई जाए, तो दिल्ली के बड़े सरकारी अफसरों ने इस बात से इन्कार कर दिया और कह दिया प्राइम मिनिस्टर से कि ऐसी कोई हालात नहीं है जिसमें एमजॉन्सी लगाई जाए। इसके बावजूद भी एमजॉन्सी लगाई गई। इसलिए लगाई गई कि श्री जयप्रकाश नारायण या कृपलानी जी दिल्ली में कोई जलूस निकाल रहे थे या एजीटेशन करने वाले थे।

इन्दिरा जी ने सन् 1971 के चुनाव में इस बात का ऐलान किया था कि गरीबी, बेकारी और जहालत को दूर कर देंगे। लेकिन

[श्री राममूर्ति]

5 साल की हकूमत में बजाय गरीबी दूर करने के गरीबी बढ़ी और बेकारी बढ़ी ।

इतना ही नहीं, मुल्क में अराजकता की हालात पैदा हो गई । जो गरीब थे, वे और गरीब होने लगे । यह अपेक्षा की जाती है कि सरकार का ऐपेरेटस लोगों की तमन्नाओं की तर्जुमानी और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए रेसपांसिब होना चाहिए ? लेकिन जब सरकार के लोग मुख हो जाते हैं और तकलीफात बढ़ने लग जाती हैं, तो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीज में यह मानी हुई पद्धति और परम्परा है कि मुखालिफ लोग जलसे करें, जुलूस निकालें, स्पीचिज दें, इश्तहार छापें । यही तो हिन्दुस्तान में हो रहा था ।

हम ने दिल्ली में श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला, जिसमें दस लाख आदमी शामिल हुए । इन्दिरा गांधी और कांग्रेस ने उसके बदले में एक जुलूस निकाला । मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हम ने तो इसलिए जुलूस निकाला कि हमारी कुछ तकलीफात थीं, और हम उनको हाईलाइट करना चाहते थे, लेकिन उन की क्या तकलीफात थीं । वे तो अपनी, और सरकार की, ताकत का मुजाहिरा करना चाहते थे ।

जब पंडित नेहरू प्रधान मंत्री थे, तो कम्युनिस्टों ने दिल्ली में एक जुलूस निकाला, जिसमें एक लाख आदमी थे । सरदार करों ने पंडित नेहरू से कहा कि मैं सात दिन के बाद यहां ऐसा जुलूस निकालूंगा, जिस में दस लाख आदमी होंगे । पंडित नेहरू ने उन्हें रोक दिया । उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में सरकार है, उन के हाथ में सरकार नहीं है, वे अपनी शिकायतों और मांगों को ले कर मुजाहिरा करते हैं, हम जिस बात का मुजाहिरा करें । इन्दिरा गांधी ने वे हालात पैदा किये

जो उन्हें पैदा नहीं करने चाहिए थे, और उन्हें कांग्रेस पार्टी की बैकिंग थी ।

मुझे एक कथा याद आती है । महाभारत में जब महाराज धृतराष्ट्र की सभा में द्रोपदी का चीर-हरण हो रहा था, तो वहां पर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामाह भी बैठे हुए थे । अगर वे इसका विरोध करते और ललकारते, तो सारा कौरव वंश ध्वंस हो जाता । लेकिन वे चुपचाप बैठे देख रहे थे और उस अबला स्त्री की दुर्दशा हो रही थी । जब वह मामला खत्म हो गया, तो कुछ लोगों ने उन से पूछा कि आखिर आप क्यों नहीं बोले । उन्होंने कहा कि हम धृतराष्ट्र के लड़के का नमक खाते हैं ।

मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि वे किस का नमक खाते थे—क्या वह इन्दिरा गांधी का नमक खाते थे ? टी० ए० और डी० ए० तो उन्हें सरकार से मिलता था । इन्दिरा गांधी की तन्ख्वाह भी सरकार से निकलती थी । उन में यह कहने की ताकत क्यों नहीं पैदा हुई कि इमर्जेंसी क्यों लगाई जा रही है ?

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस पार्टी के बड़े-बड़े महारथी तो इस समय बैठे नहीं हैं ।

श्री राममूर्ति : श्री अलगेशन बैठे हुए हैं । वे यह कहने के लिए क्यों नहीं खड़े हुए, कि इमर्जेंसी का लगाना गलत है । एक-एक कर के वे इस्तीफा देते, प्रोटेस्ट करते । आखिर हम लोगों ने क्या किया ? जब इमर्जेंसी आई, तो हमारे जैसे लोगों के लिए, जो कांग्रेस संगठन में थे, हुकम हो गया कि उन्हें न पकड़ा जाये । लेकिन जब हमने इमर्जेंसी के विरुद्ध प्रोटेस्ट करने के लिए जुलूस निकाले और सत्याग्रह किया, तो हमें भी पकड़ना पड़ा । हम ने सिर्फ यही कहा कि जो नेता

पत्र ड़े गये हैं, उ हें छोड़ दिया जाये, इमजप्सी लगान की जरूरत नहीं है, भ्रष्टाचार को दूर किया जाये, जिस से हिन्दुस्तान का भला हो। इस बात पर हमें, और लाखों आदिमियों को, जेल में बन्द कर दिया गया। सरकार ने यह नहीं सोचा कि उन लोगों के बाल-बच्चों का क्या होगा, कैसे उन की रोजी-रोटी चलेगी। एक रोलर सा चला दिया गया।

जब देश में इस तरह के हालात हुए, तब भी सारी कांग्रेस पार्टी ऐसे बैठी रही, जैसे वह किसी एक व्यक्ति की गुलाम हो। आखिर हमारे पास क्या संकशन है?—यह कि पब्लिक ने हमें चुन कर यहां भेजा है। मिनिस्टर साहब की क्या संकशन हैं?—यह कि सारी पार्टी उस के पीछे है। लेकिन इन्दिरा गांधी के बेटे के पीछे क्या संकशन थी? क्या वह चुन कर आया था? क्या वह मिनिस्टर था? इस के बावजूद इस पार्टी ने उसे टालरेट किया। यह हिम्मत नहीं थी इन की कि उन की मां से कहते कि आप क्या कर रहीं हैं और उन की मां जो इतनी बड़ी नेता थीं कि सारा हिन्दुस्तान उंगली के नीचे दबा लिया, उन को वह साहस नहीं हुआ अपने बेटे से कहने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो? लाखों इंसानों के साथ संजय गांधी ने वह बर्ताव किया जो जानवर के साथ नहीं किया जाता। ऐसे हालात इस मुल्क में, कांग्रेस पार्टी और उस समय की प्रधान मंत्री के जरिए हुए। और मुझे कितनी तकलीफ होती है यह कहते हुए, आज महाराष्ट्र के वह माननीय सदस्य यहां बैठे नहीं हैं—संजय गांधी पालम एयरोड्राम से जा रहे थे, उन का पास पोर्ट 20 मिनट के लिए रोक कर छानबीन की गई, कुछ मालूमात की गई तो इतने गुस्से में आ गए इतने उत्तेजित हो गए कि यहां हाउस में आ कर उसी वक्त इस मामले को उठाया और उन की सारी पार्टी इस बात पर उत्तेजित हो उठी जैसे कोई बहुत बड़ा गजब हो गया। अफसोस होना चाहिए इस बात पर। आज भी इस पार्टी के अन्दर कोई प्रायश्चित्त की

भावना नहीं दिखाई देती, गुजरी हुई बातों के लिए कोई इन को अफसोस नहीं है। आज भी कांग्रेस का नाम है, गांधी जी का नाम उसके साथ लगा हुआ है लेकिन दिल में यह ख्याल पैदा नहीं होता है। अखबार में जरूर लिखा है कि मिसेज इंदिरा गांधी को बिल्कुल कांग्रेस से हटा दिया जाय, वहां तो चर्चा जरूर हुई है लेकिन इस पार्टी के लोगों के अन्दर अभी तक प्रायश्चित्त का ख्याल पैदा नहीं हुआ। इस तरह की छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाते हैं और वह भी उन्हीं लोगों के पीछे जो इतनी तबाही मुल्क के अन्दर लाए। सिर्फ पन्द्रह मिनट पालम एयर पोर्ट पर छानबीन करने के ऊपर इतनी उत्तेजना हाउस में पैदा कर दी। कितनी तकलीफ होती है इन बातों से।

एमरजेंसी के जरिए से, उस की आड़ में जो यह डेमोक्रेटिक इंस्टीच्यूशंस हैं हमारे मुल्क की, पंचायती राज की इन को जिस तरह से विध्वंस किया गया उस की तरफ मैं गृह मंत्री का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि कोई ऐसा प्राविजन जरूर हमारे कांस्टीच्यूशन में होना चाहिए, यह दो तिहाई की मंजारिटी काफी नहीं है, ऐसा कोई तरीका निकालना चाहिए जो कानूनदां हैं उन की सलाह से कि कोई भी आदमी आगे चल कर इस तरह की हिम्मत न करे और कानून को तोड़े और इस तरह से कांस्टीट्यूशन को तोड़ कर हिन्दुस्तान के अन्दर बरबादी लाए।

कल बिहार के एक माननीय सदस्य ने कहा कि पुलिस बड़ी कांस्ट्रेंट्स में काम करती है, बड़ी मुश्किलता के साथ काम करती है, उन की बड़ी दुश्वारियां हैं। मैं उन से इत्फाक करता हूं। अगर दुश्वारियां हैं तो उन दुश्वारियों को सरकार को दूर करना पड़ेगा। लेकिन दुश्वारियों के नाम पर जो पुलिस की ज्यादातियां हैं जो आज समाज के लोगों की रक्षा नहीं हो रही है वह दिमाग से ओझल नहीं की

[श्री राम मूर्ति]

जा सकती। पुलिस के लोगों की हालत खराब है, उन की जिन्दगी अच्छी नहीं गुजरती तो उस के लिए हालात अच्छे किए जायें, उन के मकान के, रहने के, सवारी के, छुट्टी के लेकिन उस के साथ साथ जो उन का काम है वह भी ठीक होना चाहिए। आज जो एक साइंटिफिक ज्ञान हमारे मुल्क के अन्दर है और हर तरक्की-पसन्द मुल्क के अन्दर है, जो हमारे, पास वायरलैस, रेडियो, टेलीफोन और जीपें वगैरह हैं इन सब का उपयोग करते हुए कोई ऐसा तरीका जरूर निकालना चाहिए जिस से लोगों की रक्षा हो। आज वह नामुमकिन है कि कोई रात को अपने घर से बाहर चला जाय। उस आदमी को डर है कि वह लूट लिया जाएगा। हम जब यहां से घर जाते हैं तो पांचसौ आदमी अगर मिलने के लिए आते हैं तो उस में से साढ़े चार सौ पुलिस की शिकायत ले कर आते हैं। तो हमें अपने अफसारान को भी गृह मंत्री के जरिए जागरूक करना पड़ेगा इस बात के लिए कि जो पब्लिक की जरूरियात हैं उन को वह रेस्पॉंड करें। इस चीज को सब इन्स्पेक्टर या दूसरों के ऊपर डालते हुए केवल टालना नहीं चाहिए। अगर जनता की तकलीफें हम दूर नहीं कर पायेंगे, तो जनता पार्टी भी उसी तरह बदनाम हो जायगी जिस तरह कांग्रेस पार्टी हुई।

एक और बात है।

सभापति जी, सन् 1942 तक हम जेल जाते रहे थे, उस के बाद अब श्री जय प्रकाश जी के आन्दोलन के सिलसिले में जेल जाना पड़ा। मैं चौधरी साहब से अर्ज करना चाहता हूँ—जेलों की हालत बड़ी खराब है, दीवारों के अन्दर एक अलग किंगडम बनी हुई है....

16 hrs.

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : भ्राम हिन्दुस्तानियों को जो सहूलयतें हैं, उस से ज्यादा नहीं है।

श्री राममूर्ति : यह ठीक है कि रोटी अच्छी है, लेकिन रोटी के बनाने का तरीका खराब है

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (गोड्डा) : जहां जेल में 200 आदमियों की जगह है, जब वहां 800 या 1000 आदमी रखे जाते हैं, तो लोगों को पाखाने के पास सोने के लिये जगह मिलती है।

श्री चरण सिंह : आज 40 प्रतिशत आदमियों को इतनी रोटी भी नहीं मिलती है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : लेकिन 40 प्रतिशत आदमी पाखाने के पास जा कर नहीं सोते हैं।

श्री राममूर्ति : मैं यह मानता हूँ कि रोटी और दाल वहां पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन उनके बनाने का तरीका, उनका बटवारा, सब बहुत खराब है। अगर दालों की सफाई हो जाय, आटे को ठीक तरह से छान कर बनाया जाय, तो काम ठीक हो सकता है। इस सिलसिले में यह सुझाव है कि आप वहां एक पोलिटीकल क्लास बनाइयें। जब तक पोलिटीकल क्लास नहीं बनायेंगे यह समस्या हल नहीं होगी। आज तो हम सत्याग्रह कर रहे थे, कल ये भी सत्याग्रह कर सकते हैं, उन को पुर-अमन सत्याग्रह करना पड़ सकता है। इसलिये यदि पोलिटीकल क्लास बन जायगा तो यह दिक्कत नहीं रहेगी।

मैं जब जेल में था तो वहां पर बहुत से पाकिस्तान के लोग भी थे। जो हिन्दुस्तान के रहने वाले थे, लेकिन यहां से पाकिस्तान चले गये थे। बाद में यहां आये तो जो उन के पासपोर्ट या विजा था, उस को भ्रवहेलना कर के रुके रहे। बाद में जब गवर्नमेंट आफ इण्डिया का ध्यान इस तरफ गया तो उन सब को राउण्ड-अप कर के जेल में बन्द कर दिया

गया। वे गरीब यह नहीं जानते कि उन को कब तक जेल में रहना होगा, उन की पोजीशन क्या है, उन को छोड़ा जायगा या नहीं छोड़ा जायगा? मैं इस के बारे में सरकार से कहना चाहता हूँ—आप को इन लोगों के बारे में कोई न कोई पालिसी जरूर बनानी चाहिए। यह मुनासिब बात नहीं है कि उन को हमेशा हमेशा के लिये जेल में रखा जाय। अगर आप उन को पसन्द नहीं करते हैं, तो उन को ले जा कर पाकिस्तान की बाउण्ड्री पर छोड़ दिया जाय, लेकिन जेल में हमेशा के लिये रखना गैर-मुनासिब है। इस मसले पर जरूर ध्यान देना चाहिये।

मैं भाषा के सम्बन्ध में भी दो शब्द कहना चाहता हूँ—हमारे उस तरफ के भाइयों ने भाषा के बारे में कहा—मेरा कतई यह ख्याल नहीं कि हिन्दी जुबान को किसी भी प्रदेश पर थोपा जाय। हमारा यह फर्ज है कि अनुनय-विनय से, समझा-बुझाकर उन को हिन्दी पढ़ने के लिये राजी किया जाय, उस में भी ज्यादा हिन्दी पढ़ने की बात मत कीजिये, सिर्फ दज पांच तक हिन्दी सीख लीजिये, ताकि यह न हो कि जब आप उधर आय और हम उधर जायें तो अंग्रेजी के सहारे से तबादलाये-ख्यालात करें। मैं श्री-लैंग्वेज-फार्मूले के हक में हूँ, इसको सारे मुल्क में लागू करना चाहिये। हिन्दी प्रदेशों में हिन्दी के साथ हमें दक्षिण भारत की कोई भी भाषा पढ़नी चाहिये, गुजराती सीखें, मराठी सीखें और इसी तरह से उधर के लोग अपनी भाषा के साथ हिन्दी सीखें। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो काम हम करना चाहते हैं, वह पूरा नहीं होगा, इस से किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं आना चाहिये, इस में यह ख्याल नहीं आना चाहिये कि हिन्दी थोपी जा रही है।

आप याद कीजिये—शंकराचार्य केरल के थे और उस जमाने में जब पढ़ाई-लिखाई कम थी, आने जाने के रास्ते नहीं थे, मीन्च-

आफ़-कम्प्यूनीकेशन नहीं थे। ऐसे वक्त में शंकराचार्य जी ने सारे मुल्क को एक सूत्र में बांध दिया। आज उत्तर भारत का आदमी रामेश्वरम् जाना चाहता है—वह जानता है कि अगर मैं रामेश्वरम् नहीं जाऊंगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। इसी तरह से जब मैं साउथ में जाता हूँ और लोगों से मिलता हूँ, उन से काशी की बात करता हूँ, प्रयागराज की बात करता हूँ—तो ऐसा मालूम पड़ता है कि कलेजा बाहर निकाले दे रहे हैं, वे कहते हैं—हमारी भी इतनी तकदीर होती कि हम भी वहां जा सकते। ऐसा हमारा दर्शन है, जिस ने सारे देश को एक बना कर रख दिया है। आज की दुनिया बड़ी फास्ट है, मीन्च आफ़ कम्प्यूनीकेशन भी बहुत ज्यादा है, दौलत भी बहुत है—ऐसी हालत में जो काम हम आसानी से कर सकते हैं उन को जरूर करना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्री जी का मांगों का समर्थन करता हूँ।

DR. HENRY AUSTIN (Ernakulam):
Mr. Chairman, Sir, our sages and seers had been involved in the never-ending pursuit of cosmic unity. At the political level, our emperors, kings and statemen were in constant quest for achieving unity and integrity in our sub-continent. Except for a brief period, that is, during the period of Asoka and Akbar, this ideal has always eluded the Indian people. It was left to the late gardar Patel who brought about a sort of unity belying the prophets of doom, particularly, the British Imperialists who were thinking that the country would collapse after a few years of independence. Our esteemed Home Minister is a leader of long standing with wide experience in administration. I wish him success in further pursuing this ideal.

One of the more important forces which helped in the making of modern India was the Indian National Congress, a great instrument of national

[Dr. Henry Austin]

integration. The fact that it has paved the way for a healthy unity which this country would otherwise have never achieved, cannot be overlooked. History shows that no Government by itself achieve this goal. The effort has to be made at the people's level and at the level of national consensus. In the wake of the slight decline of the Congress party in certain regions of the country, as a result of recent elections, the unity of the country has been to an extent affected. I do not want to say that because the Janata Party has now come to power, the whole edifice of unity is collapsing. In the emerging political situation, the Janata Party is having certain influence or control, may be momentary control only in certain regions, and the rest of the country is not affected. I do not suggest that the emergence of a regional party in a particular State symbolises disintegration. However, divisive forces are raising their ugly heads down below the superficial facade of unity. This aspect may be ignored only at our peril. One of the major problem the Congress to faced during the post independence period was that it did not pay proper attention to the instruments of implementation of their policies. I mean the amorphous body of what you call the bureaucracy which the British people left and which we have inherited from them. It still remains practically the same. It has not been an instrument for the socio-economic transformation of our society, it was an instrument for the suppression of the Indian people by the British and we have not taken care to transform it as an effective instrument for the service of our people.

Many things have been said about the emergency. I am not a champion or a defender of the emergency. I feel that we have faltered at times during the emergency. Nevertheless, when the occasion comes the scholars would evaluate and find out whether

the fault was at the implementation level or at the policy making level.

The declaration of emergency was a constitutional device. Whether it was necessary or not, it was a different matter. I do not blame the individual members of bureaucracy, most of whom constitute the cream of our society. Go to the United States, so much reference is made to that country. When I was an employee of the Indian Embassy in Washington, several Indian visitors wanted me to show them the Secretariat of the Government. The fact, there is no Secretariat with so many under secretaries or deputy secretaries in the United States. Each ministry or department sees to it that the money allotted to it is spent in the manner intended. We take the queue from the United Kingdom and even there you do not find a big top-heavy secretariat as we have here in our country. Even for the Home Minister who has already made an impact on the administration, I am afraid, it would be difficult to handle the bureaucracy as it exists today. It is the ramification of the central situation that is reflected at the village level. The Home Ministry is in charge of law and order. But how can it be claimed that law and order are maintained when speaker after speaker representing one-sixth of our population, the Harijans and the Girijans say that their villages are being razed to the ground, and that they do not have any protection and the police are not available when they are needed. I congratulate the Home Minister for his humane approach, for visiting the police stations in the capital. That is a place where the forgotten citizens expect some sympathy and understanding. The poor village peasants, most of our people are living in the villages, do not want big palaces and houses, they expect some little justice meted out to them, a little kindness to be shown to them. Do you think that our police are discharging this duty? I suggest that 30-40 per cent of the people manning the police departments should come from the backward classes who

had been oppressed for centuries. Harijans should be made police officers like DSP; they should be given adequate training; IAS and IPS training should be so modified as to make it simpler so that Harijans and backward class people could come in. We hear so many things about atrocities. Do you think Indira Gandhi or Sanjay Gandhi went and told a police officer: beat this man or that man. Those in power may have given a general direction to enforce law and order. The lapse comes more from our bureaucracy. It is your duty as Home Minister to remove this lapse. I am glad to hear that you are going to appoint a commission to streamline the functions of our Police. I should also like a commission to reform our jail and lock-up apparatus.

Another important matter that arises for consideration is that political murders that are taking place in different parts of the country. We have all been accusing the Naxalites and denouncing their violent programmes. What is the reason for the emergence or recrudescence of the Naxalite movement? Mighty socio-economic transformation has taken place in our country though you may decry thirty years of congress rule. Harijans and Adivasis, people belonging to vulnerable sections of society have gained moral courage and strength and political will to give expression to their opinion. They think of speeding results to change the present socio economic set up. Some misguided among them take to violence. It is in this context that I want to refer to the social awakening even in U.P. You do not see now the U.P. of 50 years ago. The hon. Home Minister himself knows the magnitude of the transformation that has taken place in U.P., a new class is coming up. You have to change the socio-economic institutional framework in tune with the mighty changes and awakening among the backward classes who had been suppressed for a long time. For this the Home Ministry has to give an impetus, it has to give pro-

tection to those people who fight against time for a better day.

I do not want to make a lengthy speech. Nevertheless, I would like to say that this country's unity is paramount. When a close friend of late Pandit Jawaharlal Nehru told him that the country was not making strident strides towards the road of socialism, as expected under his leadership, he is reported to have replied that he no doubt was a socialist and he wanted the pace of socialism to be accelerated, but as a student of history he knew that the country disintegrated from want of unity and therefore unity was an essential prerequisite of socialism. Whenever India was conquered by foreign powers, it was because of internal weakness and due to our dissensions as seen at the battles of Panipet, Plassi or Seringapatam. If Janata Party or any other political force tries to make capital at the expense of the unity of the country, I am sorry to say, that our future will be bleak. Sir, the Home Ministry is a pivotal Ministry. It is the fulcrum on which the entire administration of the country revolves. It is your duty to impart an element of impartiality, an element of objectivity in the affair of your Ministries.

Most of the Members on that side, I know, have suffered during the Emergency. Naturally you will be angry. But it is time for the anger to subside and let us work together towards the regeneration and rejuvenation of our country, let us march forward towards our socialist destiny. To this end, I hope the Home Minister will strive to streamline our Home Ministry.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Mormugoa): Mr. Chairman, Sir, I am fortunate enough to be the only representative of a Union Territory who had a chance to speak today and that is precisely what we were discussing just now. May I say on behalf of the Union Territories that we strongly disagree and that we wish to express our strong disapproval of the policy of the Government of India, in particular of

[Shri Eduardo Falliro]

the Home Ministry towards the Union Territories and their demand for greater autonomy and self Government? There are Union territories so styled elegantly like Andaman and Nicobar, particularly Lakshadweep and Minicoy, where even panchayat system is not functioning. From Delhi they are being ruled. This is a system which, I say painfully, an elegant expression to express a much more crude fact and a much more crude situation—is that of a colony and colonial system. It is a forgotten territory even after thirty years of independence. We in those pockets, still remain in the same circumstances as we were three decades ago under the Portuguese, under the French and under the British. All are responsible. (Interruptions) I would like to say that Congress Government is partially responsible. Mr. Morarji Desai, today's Prime Minister is greatly responsible for this situation because hon. Prime Minister was one of those who opposed small states and who opposed statehood to Union territories. Mr. Charan Singh is one of the great offenders of small States. But I hope he will consider favourably giving statehood to the union territory. So, we had all types of people everywhere. It is also not correct to say that Smt. Indira Gandhi and Shri Jawaharlal Nehru are responsible for this because they were all for small States. They were for the partition of UP as Mr. Charan Singh was. (Interruptions)

I would like to say that even in those territories like Pondicherry and Goa where there are legislatures and legislative assemblies, these are only colonies and not free States. Now, the Presidential election is soon approaching. You know, Sir, that while all the MLAs of the States will be entitled to vote in the Presidential Election, our MLAs in Goa are not entitled to vote. Even MLAs in Pondicherry are not entitled to vote. If this is not second class citizenship, then what else? Our re-

strictions are so many that there is no point in mentioning them. I would like to say this much that the Government in the Union territory of Pondicherry and Goa, though they have legislative assemblies, are not entitled to bring any legislation without the prior sanction, prior scrutiny and prior approval of the Home Ministry here.

The council of ministers has no great powers. The Lt. Governor is not bound by the council's advice and in case of disagreement between the Lt. Governor and the council of ministers, the matter has to be referred to the Government of India.

I do appreciate that all the union territories do not stand on the same footing. I suggest that Lakshadweep and Amindivi islands and Andaman and Nicobar islands should have legislative assemblies on the lines of the union territories of Goa and Pondicherry at the earliest. In the case of Goa and Pondicherry, nothing short of full-fledged-statehood will do. Delhi and Chandigarh stand on a different footing. Delhi is the capital of the country and Chandigarh is the capital of two States. But the demands of these union territories also for Statehood deserve to be favourably considered.

The greatest objection to the granting of statehood to union territories lies in the fact that they would constitute small States. On this, I can quote no better statesman than what my friend the other day described as the patron-saint of the Janata Party, Shri Jayaprakash Narayan, who is one of the greatest advocates of small States. In an article he wrote in the *Hindustan Times* dated 17-1-69, he said:

"An obvious corollary of this process is breaking up of the over-sized States such as UP, Bihar, MP and a few others... The breaking up of the large States, apart from resulting in more compact efficient and close-to-the people administration, should also go far to mitigate linguistic jingoism."

So here we have a staunch advocate of small States, which when taken to its logical conclusion, would mean granting of statehood to union territories. Acharya Kripalani, another father figure of the Janata Party, has also supported the demand for small States and statehood for the union territories. Our distinguished Home Minister, Shri Charan Singh, when he was Chief Minister of Uttar Pradesh said in 1970 that the size of U.P. was greatly responsible for the extreme backwardness of the State. He could not administer the State properly because it was too big and he suggested it should be broken up. So, here in our very honourable and distinguished Home Minister, we find an advocate of the very theory we propound, which we fervently hope will see the light of reality.

About Goa, I can speak with more confidence, because I know I have the support of my friend from the other side also. At the time of the assembly elections, a host of ministers descended there and made promises, the main among them being statehood of Goa. Our very respected and serious-minded Railway Minister, Shri Madhu Dandavate, who is not known for indulging in cheap gimmicks and making vague futile promises, said on 30th May 1977 that Goa would get statehood:

“Railway Minister Madhu Dandavate yesterday gave a pledge to the people of Goa that the Union Territory would soon be granted Statehood by the Centre. Mr. Dandavate told newsman that it would be the endeavour of the Janata Government at the Centre to see that Goa attained Statehood in time I want to emphasise this to enable it to participate in the election to the Rajya Sabha along with the 10 other States which are going to the polls shortly.”

I hope they are still in time to give statehood to the people of Goa. The other day when our senior colleague Shri Kamath asked what Mr. Vajpayee

had to do with some matter not concerning his ministry, Shri Shanti Bhushan said,

He said that a Minister speaks not for himself, speaks not only for his portfolio, but he speaks for the Government. Has Prof. Madhu Dandavate been speaking for Government when he said that Goa would get Statehood before the next Rajya Sabha elections? Similarly, Mr. Raj Narain, Mr. Ramakrishna Hegde, Secretary of the Janata Party made all these promises. I only hope that they will implement these promises soon, if not before the next Rajya Sabha elections

With these words, I thank you.

श्री सूरज भान (अम्बाला) : सभापति महोदय, निवेदन यह है कि 6 साल में शङ्खूल्ड कास्ट्स और शङ्खूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट पर एक भी डिस्कशन यहां नहीं हुआ। आज भी अगर टाइम नहीं बढ़ाया गया तो इस पर डिस्कशन रह जायेगा। मेरा निवेदन है कि टाइम बढ़ा दिया जाये।

MR. CHAIRMAN: We will consider it.

श्री सूरज भान : वायदा दीजिये कि कमीशन की रिपोर्ट पर डिस्कशन होगा।

MR. CHAIRMAN: I will consult the Minister concerned whether the time can be extended and whether it is suitable for him or not. Now, I call upon Mr. Jethmalani.

SHRI RAM JETHMALANI (Bombay North-West): Mr. Chairman, Sir, the Ministry of Home Affairs is undoubtedly a key Ministry and perhaps the most important Ministry that we have. But there is one fact which seems to be forgotten, particularly by my hon. friend from the other side that in the nature of things the work

[Shri Ram Jethmalani]

of the Home Ministry is a silent work, it is unassuming work and its achievements are not capable of being described in spectacular terms or in expensive pamphlets containing sonorous language. Its achievements must necessarily be of a negative kind. Its achievements must be measured by the absence of wrong doings, by the fewness of the wrongs and the fewness of its ills. We went through a revolution recently. That we succeeded in staging a peaceful transition to the democratic way of life is the greatest achievement of the Home Ministry and after having established democracy in this country we stuck to the democratic way of life and there is not one thing which can be termed as undemocratic, which has not been done by this Ministry and I think it is a great tribute to this Home Ministry. There was one criticism levelled against this Ministry that we dissolved the legislatures of the States. but I hope these novices in democracy will appreciate that the people of the country have ratified that decision of the Home Ministry. I hope you will learn gracefully to accept the democratic verdict of this country. The people of this country had shown that the decision of the Home Ministry was right and these legislatures in their original form and composition had no right to continue even for a single day or a single minute.

I heard yesterday with great interest and amusement the speech of Dr. Karan Singh. He spoke in his usual, suave, sophisticated and deceptive style. But am not a trained politician and being a humble lawyer, the House will pardon me for being a little relevant. I have failed to understand what Dr. Karan Singh meant by his 'call for unity' when discussing the demands for grants of the Home Ministry. In the abstract nobody can object to any call for unity coming from any quarters, but I am wondering what he really intended to insinuate. If he wanted to convey that

the Congress Party stood for the unity of the country and the Janata Party was doing something to destroy that unity, I think the claim was false and the insinuation was equally false. But I have something to say. He told us in the next breath that he is anxiously waiting for the work of the Commissions which we have appointed to be over and he said he is waiting for the Commissions to disclose the truth. I am all with him that the Commissions must speedily conclude their task, but being a criminal lawyer, I have one suggestion to make to this House. Often crimes cannot be proved except through the evidence of accomplices and the best evidence can often come from those who have participated in the crimes. I understand the call for unity; I understand the call for forgiveness. I understand the call for skipping over the wounds of the past. But there can be only one condition: those who collaborated closely with those crimes, and the distinguished leader of the Opposition—I speak parliamentary language—was the most loyal collaborator. He must first undertake to give evidence before this Commission. And I hope Dr. Karan Singh will do likewise, because he enjoys the confidence of the inner circle of the Congress Party (*Interruptions*).

SHRI K. LAKKAPPA: This is the most important statement that a criminal lawyer is making. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: Mr. Lakkappa, please don't interrupt.

SHRI RAM JETHMALANI: Let me say for the benefit of my friends opposite.... (*Interruptions*).

SHRI K LAKKAPPA: He must maintain decorum and decency.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: (Badhgara) : He is a novice to this House.

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Order, order.

SHRI C. M. STEPHEN: (Idukki) After having attacked the Leader of the Opposition in such a manner, he must be prepared to take his words back.

AN HON. MEMBER: Is he sure there is no collaborator in his party?

MR. CHAIRMAN: Don't try to be provocative, Mr. Jethmalani.

DR. HENRY AUSTIN: What is your commitment to democracy, when you run down the Leader of the Opposition like this? Is this a democratic practice to run an Opposition leader? (Interruptions)

SHRI C. M. STEPHEN: I would invite the hon. Member to look to the treasury benches first, and see whether there are no accomplices and collaborators there. (Interruptions) Let him start there.

SHRI K. LAKKAPPA: We demand that he should withdraw his remarks.

MR. CHAIRMAN: Please sit down. I have already asked the hon. Member to be less provocative. Let us proceed. (Interruptions)

SHRI RAM JETHMALANI: Let me say what I have claimed before and what I wish to claim before this House; if democracy and the rule of law have been restored in this country, it is because some people were adequately provoked by their misdeeds; and if we had not been provoked, democracy would not have been restored. (Interruptions)

SHRI C. M. STEPHEN: You were giving lectures in the United States.

MR. CHAIRMAN: May I request the hon. Members to cooperate with the Chair? Please be patient. May I request all the hon. Members on both sides to let him proceed?

SHRI RAM JETHMALANI: It is time my friends on the opposite learnt to respect democracy and to learn a few lessons. (Interruptions) You will not suppress my right to free speech. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Mr. Jethmalani, you can proceed.

SHRI C. M. STEPHEN: We know the background. There are persons.. (interruptions) but the people are supreme in this country....(interruptions)

DR. HENRY AUSTIN: We are for democracy....(interruptions)

SHRI RAM JETHMALANI: The greatest tribute that you can pay to the Home Ministry and its work is that people who have never believed in parliamentary life and democracy are still continuing to exploit democratic processes in this country..... (interruptions)

16.35 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

If Congressmen today are anxious to give evidence..... (interruptions) I am coming to it in two minutes. Give me only half a minute and I can come to it. If these gentlemen opposite want to make good their claims to the newly-kindled democratic spirit in their hearts, first of all they have to come and tell this House that they are prepared to collaborate in reversing the constitutional amendments which have defiled and disfigured our country. On the very first day we met in this House, the Leader of the Opposition got up and said that he will consider each constitutional amendment proposal on its merits. I have not yet seen either the Leader of the Opposition or his loyal followers coming up and telling us that they are prepared to collaborate in reversing this particular constitutional amendment.... (interruptions).

SHRI VASANT SATHE (Akola): First of all, you must say that you will not collaborate with smugglers and their collaborators like Haji Mastan or have contacts in America.... (interruptions)

MR DEPUTY-SPEAKER: Mr. Sathe, please resume your seat.

SHRI VASANT SATHE: Sir, he is questioning our leader. We will not tolerate this nonsense. First of all, his remarks will have to be expunged.... (Interruptions).

SHRI RAM JETHMALANI: These interruptions will only prolong my speech.... (interruptions) The charge levelled against our party by Dr. Karan Singh was.... (interruptions)

SHRI T. BALAKRISHNIAH (Tirupathi): The Chairman has already given a ruling that the hon. Member should not make a provocative speech but in spite of the ruling, the hon. Member is continuing that way. Will you kindly restrain him? They must be ashamed of the atrocities on Harijans.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are provoking others now. Please do not get provoked.

SHRI T. BALAKRISHNIAH: Ours is a democratic country and there must be democracy for all, but for Harijans there is no democracy. In these 100 days of their rule, Harijans have been tortured and butchered, they must be ashamed.

SHRI VASANT SATHE: On a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please resume your seat.

SHRI VASANT SATHE: I rise on a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am not going to allow. This is not the way to conduct the proceedings of the House. Please take your seat. When

I am on my legs, you must sit down. If you do not take your seat, I will have to take some other action.

SHRI VASANT SATHE: Now that you have sat down, I will get up on a point of order, under rule 376. He made a remark that the Leader of the Opposition was a collaborator against democracy. Have you expunged it or not? That is the question. Please tell us your ruling on this.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not a point of order. If anybody has asked for anything to be expunged by the Chair, it will be considered but you cannot rise again and again.

SHRI VASANT SATHE: I want information.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No. you will not be given any more information.

SHRI RAM JETHMALANI: Another change was solemnly made by Mr. Karan Singh that we are encouraging defections, and he talked of this as a minor point of interest. If there are some people amongst you who come and tell us that they have been sinning in the past and that they want to stop sinning, are we supposed to tell them to continue to sin, not to stop sinning? You are right that we shall not entice anybody from your party. We shall not holdout attractions or promises for anybody to leave your party. Let me tell you something. One of your distinguished ex-Ministers who ceased to be a Minister as a result of the last electoral verdict was trying to get into the Janata Party, and those who did not want him had to find out material which was passed on to the head of the Janata Party, and the Party ultimately rejected his overtures for joining our party.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: You are a novice in Parliament and this kind of thing will not work here. What about Asoka Mehta's letter to the Home Minister?

SHRI RAM JETHMALANI: I hope I am speaking for the large majority of my colleagues on this side when I say that we who belong to the Janata Party refuse to give any unqualified admissions to those from the other side. We will examine your antecedents, we will ask for evidence, and only when we are satisfied that there is a genuine change of heart will we admit you, and you will be admitted on probation. Anybody and everybody who wants to come to this party is not going to be admitted. Dr. Karan Singh made the third charge. He told us why is it that the Police is misbehaving in this country. Let me remind him that the Government of the day, for good or for bad, is the teacher of public morals. It sets standards by which the lower officers, the bureaucracy, are guided. For ten long years, the police in this country has been exposed to the corruption, to the illegality, to the lawlessness of its masters, the political masters and I am surprised that a man of Dr. Karan Singh's intellect should complain why the police is behaving in this manner. The police is behaving in this manner because it has taken a cue, it has taken its lessons from its previous political masters. I hope, the distinguished Home Minister will not take long time to set things right: (Interruptions) I am surprised that the police force in this country continues to have a large number of competent and incorruptible officers. (Interruptions) Let me give you an illustration, an illustration which is the subject matter of my cut motion, which is a token cut motion. I am not raising it to criticise my party but I am only raising it because I wish to warn my Home Minister of the pitfalls which have been created by the previous Government. I do not want my Home Minister to let into those very pitfalls which have been created by the previous Government. On 7th December, 1974 against some very rich people whose money was circulated in the last election particularly in the North.... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Sathe has special love for you.

SHRI RAM JETHMALANI: On 7th December, 1974 a solemn First information Report was lodged with the Central Bureau of Investigation. I am mentioning this because every time when there is difficulty, we make an announcement that we have sent the case to CBI for investigation. I am conscious that the CBI has also some incorruptible and competent officials but, by and large, this instrument has been corrupted by the previous Government; it requires to be cleaned; it requires to be disinfected before it can become an effective instrument of our policy. When a FIR is filed, normally a person goes to the police and makes a complaint that he suspect that some offences have been committed and people are to be arrested. In this case—I say this with the responsibility of a criminal lawyer and the erstwhile Chairman of the Bar Council of India—we presented to the CBI conclusive evidence of the guilt of those accused persons who, by substituting one false agreement for another, by showing to the Government one agreement when the secret agreement of different kind existed, have persuaded the Government of India to release millions of foreign exchange. We gave the police conclusive evidence that by these various methods, they have succeeded in accumulating huge foreign exchange abroad. I want the Home Minister to listen to this. The CBI solemnly wrote a letter, not because the law said it but because Mrs. Gandhi through Om Mehta said and ordered that the police shall not investigate this offence. Why? Because by cheating, you have obtained foreign exchange; the CBI is powerless to investigate in these offences. I state my reputation as a lawyer; there are Supreme Court Judges here; we have the Law Minister; we have the distinguished Attorney-General. I want any lawyer who can tell me whether the CBI can refuse to investigate a

[Shri Ram Jethmalani]

serious offence of cheating merely because by cheating, you have obtained foreign exchange and this case must go to some other authority, I will withdraw. From 7th December, 1974 not even one of those rich men has been arrested. Those are the rich men coming from the notorious Mody empire whose money, as I have said, was circulating freely in the elections to the detriment of democracy and to the detriment of the Janata Party.

There are two cut motions of mine. I wish to draw the attention of the Home Minister to those facts. The other day, when I mentioned the matter in Parliament, the Prime Minister got up and said that in the matter of arrest of responsible people, like, the ex-Prime Minister or, perhaps, her son, the Government has to proceed with great caution. I have the greatest respect for the Prime Minister. But I have one slight amendment to make and, I hope, the Home Minister will take note of. The amendment which I wish to make is that you have to show greater care and caution when a poor man is being arrested and not when a rich man is being arrested.

जब आप किसी गरीब को गिरफ्तार करने हैं, गिरफ्तार करके लाते हैं तो उसके पास अपनी रक्षा करने का कोई साधन नहीं होता। उन मुलाजिमों और अफसरों के सामने जो इंदिरा गांधी के चमचे थे, जो उनकी ताबेदारी करते थे, वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता था। जब आप किसी साहूकार या पॉलिटिशियंस को गिरफ्तार करेंगे

Hundreds of people will rise to defend a rich man. But there is nobody to defend a poor man when he is marched to Kotwali. Therefore, I hope, the Home Ministry will adopt this norm to show greater care and caution in the matter of arrest of poor people.

I want to ask: How does it happen that Mr. Sanjay Gandhi every time comes to know that somebody wishes

to arrest him? How does it happen that every time he walks up to the court? I want to know who are the lawyers who are appearing for the Government. Does the Government give them instructions to oppose the bail application? To my mind, no honest investigation, no effective investigation, can proceed unless the accused is in custody and is continuously interrogated. (Interruptions) I have never heard this nonsense. I call it an unadulterated nonsense that you allow an influential accused person to roam about, to destroy the evidence of his crime.

I can give an illustration. When I asked the Minister of Information and Broadcasting, Mr. Advani, that the public wants to be satisfied that the investigation by the CBI is proceeding effectively, he gave me an answer which amazed me. The answer was that the container of the film was found somewhere about 15 Km. away from the Maruti factory near a pond. That shows how effective investigation is going on. To my mind, the CBI has already made it sure that nobody can be convicted in the case because the incriminating article is found about 15 Km. away from the Maruti factory, that no responsibility can be fixed on anybody for that incriminating article and that the case cannot be proved against anybody. I do not want lies to be concocted by the police. But surely this does not show that effective investigation is going on.

I would like the Home Minister to assure us because this is disturbing us greatly as to how it is that an influential man is able to get off in spite of a wide variety of crimes of which he is accused. If the rule of law has to be preserved... (Interruptions).

SHRI VASANT SATHE: On a point of order, Sir. Allow me to raise a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is the point of order?

SHRI VASANT SATHE: First ask him to sit down. I am on a point of order. My point of order is that on a matter which is *sub judice* if anyone casts an aspersion on the investigating authority, he is prejudicing the case. This cannot be done.

SHRI RAM JETHMALANI: I am the last man to comment on the merits of the investigation. I do not wish to go into the facts of the case. The allegations against Mr. Sanjay Gandhi may be all false. He may be innocent and, I hope, he will be able to establish his innocence. But the country must be sure that the investigation is proceeding on the right lines and that it is not already loaded in favour of those accused persons about whom the entire electorate of this country is anxious to know the truth.

If the truth is suppressed and the investigations are conducted on the wrong lines, it will be a great fallacy of justice. If the rule of law has to be established in the country, we have got to adopt one action, that is, before the law, the rich and the poor are alike, the powerful and the weaker are alike and Mr. Sanjay Gandhi and the beggars are equal. That is the principle which we should adopt in maintaining the rule of law in this country.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): We note with great dismay that there is a provision in the statute in the country against massive invasion of democracy and violation of the Constitution.

There is a very glaring example in a foreign country which took place in 1960, that is, the trial of ex-President Calal BAYAR of Turkey, along with former Premier Andan Menderes and 600 Members and supporters of the former Ruling (Democratic) Party, opened on 14th October, 1960 on YASSIADA Island, Sea of Marmora.

The Court was presided over by Mr. Salim RASHOE, President of the First Division of the Court of Appeal assisted by Five Judges of the Court of Appeal and State Court and Three Military Judges. Military Judges were required on the Tribunal because the Accused included Military Officers. Out of 19 charges, the gravest one was violation of Constitution which was considered to be the most important. That is the thing that has been done by Mrs. Indira Gandhi, the former Prime Minister and her Government, supporters and the collaborators.

It is punishable by death, according to the law of Turkey. It is not considered to be a country which is advocating socialism or democracy. Other charges included, "Organisation of Anti Greek Riots of 1955."; "Attempted Assassination of Elder Statesman Ismet Inonu"; "Forcible wrongful Restraint of Opposition Leader"; "Forcible Repression of Student Demonstrations of April 1960". "Misuse of Public Money". Well, nothing is lacking in our instance.

The Court delivered Judgement on 15th September, 1961. You kindly see KEESINGS CONTEMPORARY ARCHIVES 1961 October 14-21, pages 18375-7. It says:

"The Court delivered judgment on 15th September 1961. Menderes was found guilty of Violation of the Constitution." Along with Ex-President Bayar, Mr. Zorlu and Mr. Polatkan Menderes was condemned to death by a unanimous vote. Others were condemned by majority votes. Yet others were sentenced to Life and other Terms of Imprisonment.

While the sentence of Death against ex-President Bayar was, on the grounds of his age, etc, etc."

Have we got to draw a lesson from what happened in Turkey which had never claimed to say really that they were going for socialism or that had never been great advocates of democracy?

[Shri Jyotirmoy Bosu]

17.0 hrs.

About suitable legislation, you must bring a suitable legislation to punish the guilty who had violated the Constitution, subverted democracy in a massive way and it should be made effective from 24th June, 1977. The country can sit in judgment for those who subverted the democracy in a massive way and violated the Constitution beyond recognition.

As far as majority and the minority issues are concerned, we the majority community have a duty and absolute obligation to wards them and protect 20 per cent of our population who constitute minority of the Muslims to ensure for them fair share of business, jobs, Police, Defence, para military forces, seats in educational institutions, preservation of Islamic culture which has rich heritage, mak-tabs, Maktabs and teaching of Arabic, Persian and Urdu and their growth has to be assured. There are great possibilities for the oil rich countries to help. They are looking for persons who are economically backward of backwards.

When the National Integration Council was constituted the first meeting was held in 1961 and the second was held in 1962 and the third and the last was held in 1968. What did they do? They circulated some papers and passed resolutions and nothing beyond that was done. It says, "The National Integration Council, however, notes with concern the increase in communal incidents in different parts of the country over the last few years." Organised killings were seen in Sadar Bazar and Jama Masjid in the very nose of Indira Gandhi.

Sir, the Indira Government made a false statement regarding Farida, and the Home Minister at that time, Mr. Brahmananda Reddy had to make an apology-statement on the floor of the House.

The National integration Council set up a Working Group under the chairmanship of the Home Minister in June, 1976, to consider certain urgent problems relating to national integration. The Group included some Chief Ministers. What did they do? The Working Group suggested a seven-point action programme for promoting the communal harmony. The Group also made recommendations for dealing with extremists' violence, students' violence and labour troubles. What a wonderful way of diluting the particular issue and side-tracking the whole thing!

In 1971-76, there had been 1,256 riots in the country. In 1976, there had been 169 riots in the country, and the Sambal-Moradabad riot was very serious. I would only give a friendly advice to my friends on the left: forget what they had done but beware, the Muslims feel insecure; do not make it a Hindu State, if you do it, that will be the end of democracy in the country.

The Scheduled Castes and Scheduled Tribes are also in a miserable plight. The 1971 census shows that they constitute about 22 per cent of our total population. In 1976, in Bihar alone, there have been 1,133 atrocities—upto September. In the same period, 57 Harijans and Adivasis were murdered. There has been an increase in the number of atrocities in Bihar alone; In 1972 it was 98, in 1973 it was 103, in 1974 it was 259 and in 1975 it was 300. Economically also they are backward because unless you have genuine land reforms, you cannot improve their lot. There has been extensive bonded labour. The Congress Government, with a fanfare had said that 70,000 had been identified. But what happened? Only 3,000 of them were claimed to have been rehabilitated. The rest have gone back to the bondage—from where they came.

The North-Eastern Region is very important. It is a multi-national country we live in. This is a very sensitive area. They are simple, straight forward and proud people. In the name of national mainstream, they have been bulldozed. They must be allowed to retain all the good things they had. It has to be 'unity in diversity'.

The special power that the Governor of Nagaland has is something which is unconstitutional and undemocratic. The Governor is called not the Governor of a particular State, but Governor of the North-Eastern Region. We have to find a political solution for this sensitive area, for these good people. They are being scared. During the election, the bad people scared them by saying, 'A Hindu Raj is coming; A Hindi-Raj is coming; the ban on cow-slaughter is coming'. We do not want any of these things. We want to keep the country together. We want a really secular and a really democratic state. I am sure, the Janata leaders will keep this in mind and will never lose sight of it.

The North-Eastern Council was a subsidiary of the Research and Analysis Wing. Under the garb of 'development', they have been doing more policing than development. Much more money has been spent on police and security forces than for development.

The Partition affected the communications of the whole North-Eastern region. The Government should come forth with proposals to subsidise transport. Otherwise, the cost of living will go up. They should also encourage internal tourism, especially for Manipur.

In the end, Sir, I would only make an appeal to the Home Minister on the case of Mr. Varsnoi, Director of Planning Commission (Metals), who is still in jail under the Official Secrets Act. This is one of the legislations which had been abused to the greatest

advantage of the erstwhile ruling class. The Home Minister should take note of it and look into it personally and see that Mr. Varsnoi does not get any injustice from their hands also.

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले यह जानना चाहूँगा कि आप मुझको कितना समय देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : 6 बजे से आठ घंटे का डिक्शन लिया जाना था। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपका जब रिप्लाय खत्म हो जायगा तब वह होगा।

श्री कंवर लाल गुप्ता (बिल्ली सबर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसका फोरमल प्रस्ताव कर दीजिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will take the sense of the House. The proposal is that the Home Minister will be enabled to reply, then the demands for Grants of the Home Ministry will be voted and then we proceed with the half-an-hour discussion. I think, it is agreeable to the House.

The Home Minister.

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन के सदस्यों का बहुत कृतज्ञ हूँ कि कुछ थोड़े समय के लिये जो भावनाएं भड़क गई थीं, उनको छोड़ कर बाकी दोनों ओर से बहुत अच्छी बहस हुई है और आलोचना के साथ रचनात्मक मुझाव भी दिये गये हैं। मैं इसके लिये उनका बहुत-बहुत मशकूर हूँ इतनी बातें कही गई हैं, जैसे मैं अभी अर्ज कर रहा था, कि अगर मैं उन सब का जवाब दू तो 3 घंटे कम-से-कम मुझे चाहिये, लेकिन मैं समझता हूँ कि सब का जवाब देना जरूरी नहीं है। कुछ ही बातों का जवाब मैं दे सकूंगा, जिनको कि मैं अहम समझता हूँ। अगर इसके बाद कोई माननीय सदस्य कोई विशेष बात मुझ से जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट का दृष्टिकोण उस विषय में क्या है, तो मैं उसके ऊपर भी अपनी राय देना चाहूँगा।

[श्री चरण सिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, कल माननीय डा० कर्णसिंह जी ने विरोध की तरफ से बहस शुरू की। जिस लहजे में उन्होंने बात कही उसके किये में उनको धन्यवाद देता हूँ। निहायत ठंड के साथ, शांति के साथ उन्होंने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने इस बात को तसलीम किया है कि कांग्रेस ने गलती की है, लेकिन फुल थ्रोटेड नहीं, पूरे तरीके से नहीं कहा। उन्होंने ऐड्ज और मीन्स, साध्य और साधन की बात कही, साधन पक्का होने चाहियें थे, इसकी गलती हुई है, साध्य वह कहते हैं कि सही थे। मैं कहता हूँ कि साध्य भी सही नहीं था। साध्य था एकतंत्र राज्य का स्थापित करना, वह कैसे सही हो सकता है? साधन था इरोज्जन आफ दी रूल आफ ला, कानून या विधि के राज्य को खत्म कर के, वह साधन ही होता है, साध्य था कि डिक्टेटरशिप करने जा रहे हैं। तो उनका यह कहना कुछ बहुत ऊंचा या सही नहीं था कि सिर्फ एक गलती हुई है। एक गलती नहीं हुई है, और केवल गलती ही नहीं हुई है, वह क्राइम था, अपराध था मानवता के विरुद्ध और इस देश, देश के भविष्य और डेमोक्रेसी के विरुद्ध।

इसलिये पूरे तरीके से कोई बात कही जाये तो असर होता है, लेकिन कंडीशनल या मशरूत बात कहें, क्वालीफाइड बात कहें, तो जो असर वह चाहते हैं कि देश पर पड़े, हम लोगों पर तो पड़ना मुश्किल है, क्योंकि हम बहुत बातें जानते हैं, लेकिन अगर वह देश पर डालना चाहते हैं तो उसमें इफ्स एंड बट्स, मगर और लेकिन न कहा जाये तो अच्छा है।

बाद में भी मेरे एक दोस्त बोल रहे थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, माफ करें, उन्होंने यह कहा है कि ब्यूरोक्रेसी इस सब के लिये

जिम्मेदार है। जो मैजिस्ट्रेशन, कदम उठाये गये, कानून जो बनाये गये, अध्यादेश जो जारी हुए, वह सब सही थे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने ठीक अमल नहीं किया। उन्होंने यह राय दी। तो ब्यूरोक्रेसी दोषी नहीं है, दोषी वही है, जिन्होंने इस तरीके से अध्यादेश या अध्यादेश जारी किये हैं। आप अपनी गलती को या अपने पाप को, अपराध को छिपाने के लिये स्केप गोट ढूँढ़ने की कोशिश करें तो यह कहां तक ठीक है?

अभी हमारे डा० कर्णसिंह जी ने तथा मेरे और मित्रों ने माना कि गलती हुई, लेकिन आपकी इस स्वीकारोक्ति का उन पर क्या असर पड़ेगा जो हम सब के लिये जिम्मेदार थे, हमारी बहिन इन्दिरा गांधी का क्या दृष्टिकोण है और उनके साहबजादे का क्या दृष्टिकोण है?

इन्दिरा जी ने आज तक एक शब्द इस बात का नहीं कहा है कि उनमें गलती हो गई है। उन्होंने मुल्क के साथ क्या कर डाला, कितने लोगों को तकलीफ हुई, कितनी तकलीफें हुई बाप, बच्चों और स्त्रियों के साथ, निरपराध लोगों के साथ, गरीबों के साथ और उन लोगों के साथ जिनकी सेवा का रिकार्ड देखा जाये तो उनसे कहीं ऊंचा रिकार्ड है। और इस पर कोई रिपेटेंस, कोई पछतावे या प्रायश्चित की बात उनकी जवान से आज तक नहीं निकली। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मजबूर होकर जिक्र करना पड़ेगा।

श्री सजय गांधी ने अभी कहा है कि मैं तो दोषी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। उन्हें यह कहने का हक है। हो सकता है कि वह निर्दोष साबित हो जाये। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मेरी माताजी आज भी हिन्दुस्तान में सब से सर्वप्रिय नेता हैं। अभी तीन महीने की बात है कि

बहनजी उस व्यक्ति के मुकाबले में हार गई, जो साधनहीन था — उस के पास सिर्फ दो साधन थे ; उस का सेवा का रिकार्ड और चरित्र । उस के मुकाबले में बहन जी हार गई, जो सब तरह से साधनों से सम्पन्न थी । मालूम होता है कि तीन महीने में ही वह फिर हिन्दुस्तान में सब धिक प्रिय हो गई ! अगर वह इस का इम्तहान करना चाहती हैं, तो उस के लिए भी हम में से हर एक तैयार हैं । अगर वह तीन-तीन महीने के बाद इम्तहान लेना चाहती हैं, तो वह भी हो सकता है ।

लेकिन मैं सिर्फ दृष्टिकोण, एटीच्यूड, की बात कह रहा हूँ । इतनी बड़ी गलती—मैं उसे गलती ही कहना चाहता हूँ—, जो शायद इतिहास में किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हुई है, सिवाय उस के, जो हिटलर वंगरहा ने किया । लेकिन हिटलर में भी यह विशेषता थी कि वह अपने मुल्क को प्यार करता था, अपने मुल्क को बड़ा बनाना चाहता था, अपने मुल्क के लिए स्वप्न देखता था । मगर यहाँ वह डिक्टेटरशिप तां स्थापित करना चाहती थीं, मगर मुल्क के लिए कोई स्वप्न नहीं देखती थीं—सिर्फ अपने लिए और अपने वंश के लिए । इसी लिए मैं कहता हूँ कि इतिहास में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी । यह सब कुछ होने के बाद भी कोई रिपेंटेंस नहीं, कोई एहसास नहीं कि गलती हुई है । वह कुछ ही कह देतीं, हल्के से ही कह देतीं कि अब मैं रीयलाइज करती हूँ कि मुझ से गलती हुई है । लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ ।

// मैं मानता हूँ कि डा० कर्ण सिंह और कुछ दूसरे दोस्तों को शायद धीरे-धीरे यह एहसास हो गया है कि गलती हुई है ।

एक मामनीय सबस्य : वं शरीफ हैं ।

श्री चरन सिंह : हां, वं शरीफ लोग थे—फंसे हुए थे । //

एक दोस्त ने कहा कि एचीवमेंट्स देखो, जवाहरलाल जी तो पुराने हो गये, लेकिन इन्दिरा जी के जमाने की क्या-क्या एचीवमेंट्स हैं । क्या गरीबी मिटी है ? 1954-55 के यू० एन० स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक उस वक्त गरीबी के लिहाज से 80 मुल्कों में हमारे मुल्क का 54 वां या 52 वां नम्बर था — 51 मुल्क हम से मालदार थे और 25 मुल्क हम से गरीब थे ।

आज की फ़िगरजं देखिये । 146 मुल्कों में से कोई 20 मुल्कों के आंकड़े नहीं मिले हैं । 125 मुल्कों में से हमारा नम्बर 105वां या 106वां है । वे मुल्क जो जाहिल और वहशी माने जाते थे, अफ्रीका के वे मुल्क जो हमारे साथ या हम से दो-चार साल बाद आजाद हुए, जिन के यहाँ सड़क या बिजली नहीं थीं, न मेडिकल कालेज थे, और किसी तरह के कोई विकास के साधन नहीं थे, आज वे हमसे आगे निकल गए हैं ।

जैसा कि मैं ने पहले भी अर्ज किया है, गरीबी के माने है धन की कमी, और धन के माने करेन्सी नहीं, बल्कि वह वस्तु है, जिस को इस्तेमाल करने से मनुष्य की कोई आवश्यकता पूरी हो जाती हो, और मनुष्य की सब से बड़ी आवश्यकता है भोजन । आज कम से कम 40 फ़ीसदी, और कुछ इकानो-मिस्ट्स का खयाल है कि 60 फ़ीसदी आदमियों को बेयर फूड नहीं मिलता है । और गरीबी मिट गई ! हमारी और आप की तो मिट गई । दिल्ली में जो रहते हैं, उन में से 80 फ़ीसदी की मिट गई । लेकिन खुद गवर्नमेंट के आंकड़ों से साफ़ होता है कि 50-60 फ़ीसदी लोगों को बेयर फूड नहीं मिलता है । अगर यह गरीबी मिट गई है और हमारे दोस्तों को उस से तसल्ली है, तो उन को मुबारक हो ।

जहाँ तक बेरोजगारी का ताल्लुक है, प्लानिंग कमीशन ने तस्लीम किया है — मेरा

[श्री चरण सिङ्ग]

दयाल हैं कि मुझे सही याद है—कि फर्स्ट प्लान में 5 मिलियन के लगभग अनाम्पलायड से और आज 11 मिलियन नाम एम्पलामेंट एससेंजों में दर्ज हैं। इसके अलावा ऐसे भी लोग हैं, जो कहते हैं कि नाम दर्ज कराने से क्या फायदा है। शहरों में ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, देहात में उस से कई गुना हैं। क्या गरीबी मिटी है ?

गरीब और अमीर का फर्क कभी भी पूरी तरह से नहीं मिटेगा सब की आमदनी एक हो जाये, यह एक स्वप्न है। आदर्श है। आदर्श ले कर चलना ही चाहिए। लेकिन कभी पूरी तरह मिट जाय यह तो संभव नहीं है। लेकिन उस गवर्नमेंट को क्या कहेंगे, उस खाई को पाटने की बजाय जिन के अहद में खाई और चौड़ी हो जाये। अंग्रेज जब गए हैं तो एक गरीब आदमी की अगर हम सौ रुपये सम्पत्ति मान ले तो मालदार आदमी जो हिन्दुस्तान में था उस की जायदाद 30 करोड़ की थी। आज एक तरफ सौ रुपये की जायदाद है और दूसरी तरफ 12 अरब की जायदाद है और यह सब सोशलज्म के नाम में हुआ। बराबर यह कहते रहे कि हम सोशलिस्टिक हैं, मोशलिस्टिक हैं। आज 95 घराने इंडस्ट्रियल मनेट्स के वह हैं जिन में 20 करोड़ से 50 करोड़ की जायदाद होगी और फिर भी हम कहते रहे कि गरीब के फर्क को मिटा रहे हैं, कंसेन्ट्रेशन आफ एकोनामिक पावर को हटा रहे हैं। आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण को मिटाने की यह कोशिश कांग्रेस ने की। यह पहलू तो हुआ गरीबी मिटाने का, आर्थिक समस्या का।

चौथा है करशन। हम सब लोग अपने सीने पर हाथ रखें। हम तो रखते ही रहे हैं बराबर। मैं डा० कर्ण सिंह से कहूंगा कि वह अपने सीने पर हाथ रखे और साठे साहब से खास तौर से कहना चाहूंगा क्योंकि उस की वजह है कि जब मैं जेल में था तो मैं ने अखबारों में

पढ़ी कि साठे साहब ने एक पेपर तैयार किया है जिसमें उन्होंने यह सिद्ध किया है कि दो प्रतिशत आदमियों के पास ही आज हिन्दुस्तान में परचेजिंग पावर है। तो मैं ने जिस साठे साहब की तस्वीर अपने मन में बनाई थी जेल के अंदर यहां मैं ने उस से दूसरी तस्वीर देखी। मेरी समझ में नहीं आता कि गरीबी को इतना समझने वाला आदमी जितना साठे साहब हैं वह किस तरह से उस जगह बैठा है जहां कि वह आज बैठे हैं। वह तो आर्थिक पहलू की बात हुई।

मैं करप्शन की बात कह रहा था। करप्शन की बात लीजिए तो मैं समझता हूं कि सब मेरे दोस्त यह मानेंगे, बहस के लिए चाहे न मानें और मुझे अन्देशा है कि लकप्पा साहब तो कभी मानने वाले नहीं हैं कि करप्शन बढ़ा है। बढ़ा ही नहीं बल्कि बल्लियों बढ़ा, गैलपिंग इन्क्रीज हुई। अंग्रेज के जमाने में हम स्वप्न देखते थे कि जब हिन्दुस्तान आजाद हो जायगा तो सब-इंसपेक्टर रिश्वत नहीं लेगा। अब सब-इंसपेक्टर कौन कहे, उससे बड़ा लेता है, उससे बड़ा लेता है, उस के भी ऊपर जो उस से भी बड़ा है, वह ले रहा है। पोलिटिकल लीडर्स ले रहे हैं। तो करप्शन तो टाप से शुरु होता है। नीचे से ऊपर को नहीं जाता। यह ऊपर से नीचे को फिल्टर डाउन करता है। यह करप्शन आज क्यों सोसाइटी के अंदर है ? उस का जिम्मेदार कौन है ? मैं आप के जरिए डा० कर्ण सिंह से सिर्फ यह सवाल पूछता हूं, जवाब की मैं उम्मीद नहीं करता हूं। कभी अलग बात करेंगे तो पूछ लूंगा। लेकिन अपने मन में सोचें कि हू इज रेस्पॉसिबल ? मैं यह समझता हूं कि हिन्दुस्तान का आदमी एक बार गरीबी बर्दाश्त कर सकता है लेकिन करप्शन नहीं। सब से बड़ा पाप हमारे दोस्तों ने और मैं तो कहता हूं हमारे लीडरों ने माननीय जवाहर लाल जी तो हमारे लीडर थे ही लेकिन करप्शन के खि लाफ उनको गुस्सा नहीं था, खुद इन्करेन्टेबल थे लेकिन करप्ट आदमी को सजा दे ने

में उनको बहुत दिक्कत और कठिनाई होती थी तो तब से बराबर कर शन बढ़ता चला गया, बढ़ा चला गया। आज देश में सब मारल फाइवर हमारा खत्म हो चुका है। यह चौथी देन है कांग्रेस की।

पांचवी चीज है डेमोक्रेसी के मुताल्लिक। डेमोक्रेसी को इरोड करने की, खत्म करने की इतनी कोशिश की? 72 हजार आदमी डी० आई० आर० के अन्दर डाल दिए और 35 हजार आदमी मीसा के तहत इस बीच में डाल दिए गए। अंग्रेज के जमाने में सन् 42 में जो उस वक्त के मिस्टर क्रेग या कौन थे होम सेक्रेटरी, उनके बयान के मुताबिक केवल 60 हजार जेल गए। अब 1 लाख 7 हजार गए। क्या कुसूर किया था इन लोगों? ने हो सकता है मुझ से कोई कुसूर हो गया हो, लेकिन जय प्रकाश जी ने क्या कुसूर किया था, उस सात साल की बच्ची का क्या कुसूर था, जिस का जिक्र सुब्रह्मण्यम स्वामी जी ने किया, उस पर आप को अफसोस नहीं हुआ, किसी की इतनी मारल करेज नहीं हुई जो यह कहता कि यह गलत हुआ, उस पर भी आप यह कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ।

इस मुल्क को स्लेव बना कर रख दिया गया था। स्लेव और फी-सिटिजन में क्या फर्क है? स्वतंत्र नागरिक के कुछ अधिकार होते हैं, जो सरकार के जरिये से एन्फोर्स किये जाते हैं, लेकिन आप ने तो—दूसरा फण्डामन्टल राइटजीने बात तो छोड़ दीजिये। राइट-टु-लिव, जीने के अधिकार को भी सस्पेंड कर दिया था। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ—आप के एटार्नी जनरल ने कहा था। आप नवम्बर, 1975 के अखबारों को निकाल कर देख लीजिये। जब हम लोगों की तरफ से हैवियस कार्कंस की एप्लीकेशन दी गई और

हमारी तरफ से नामी-गरामी वकील पेश हुए, तब नीरेन डे साहब ने कहा था—

To-day, under the law as it stands, nobody in this country has even the right to live.

फिर भी आप कहना चाहते हैं कि उस वक्त डेमोक्रेसी थी और मुश्किल यह है कि पढ़े-लिखे लोग, शरीफ लोग, पार्लियामेन्ट के मेम्बर, जिम्मेदार लोग ऐसी बात कहते हैं—'नहीं थोड़ी सी गलती हो गई थी।' बतलाईये स्लेव में और फी-सिटिजन में क्या फर्क है? रोम में स्लेवरी थी, यू० एस० ए० में 1866 तक स्लेवरी रही। —They were treated as chattel, property of the employers.

उन को कोई अधिकार नहीं थे, वे जायदाद समझे जाते थे, मारा जाय तो अदालत नहीं जा सकते थे, पीटा जाय तो अदालत नहीं जा सकते थे यहां पर भी यही था, हम भी अदालत में नहीं जा सकते थे। अगर लोग यहां जिन्दा थे तो अधिकार के तौर पर जिन्दा नहीं थे, श्रीमती जी की की नजर इनायत के तौर पर जिन्दा थे। तैयारियां हो रही थीं उस दिन की कि चन्द आदमियों को शूट कर दिया जाय, जैसे ढाका की जेल में शूट कर दिये गये थे। जरूरत पड़े तो जयप्रकाश जी से लेकर सब को शूट कर देने का विचार था। मैं आप के जरिये डा० कर्ण सिंह जी और दूसरे दोस्तों से पूछना चाहता हूँ कि गुस्सा क्यों न आये, खून में गर्मी क्यों न आये? यह गलती बहुत बड़ी गलती है, मामूली गलती नहीं है, इस को फुल—थाट स्वीकार करो कि बहुत बड़ा पाप हुआ है, उस में हम भी शामिल थे।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कहा गया है कि क्राइम बढ़ रहा है। ठीक है, जरूर बढ़ रहा है मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन यह कोई मामूली चीज नहीं है, अकले मेरे बस की बात नहीं है, कोई एक व्यक्ति इस को ठीक नहीं

श्री चरण सिंह—जारी

कर सकता। जहाँ तक क्राइम का सवाल है, मैं आप की इजाजत से बतलाना चाहता हूँ...

डा० कर्ण सिंह (उधमपुर) : अभी अभी आप ने एक बड़ी गम्भीर बात कही है कि पिछली सरकार का सब नेताओं को जय प्रकाश जी समेत, शूट कर देने का प्रयोजन था। यह सुन कर मैं आश्चर्य चकित रह गया हूँ। आज तक कोई ऐसी बात हमारे कानों में नहीं पड़ी। यदि कोई ऐसी बात हो तो आप हमें इस के विषय में बतलायें—हम इस के लिये आप के बहुत कृतज्ञ होंगे।

श्री चरण सिंह : मैं ने प्रयाजल नहीं कहा है, मैंने कहा है—विचार था। उन के यहाँ अगर कोई प्रयोजन भी होता था तो वह आप के नोटिस में नहीं आती थी। जब एमरजेन्सी जारी की गई, तो क्या आप से पूछ कर जारी की गई थी? यह उन के मन का विचार था, अगर प्रयोजन भी होता तो उस को करने के बाद—मैं आप को यकीन दिलाता हूँ—आप सब उसको एप्रूव कर देते।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आप के जरिये जानना चाहता हूँ—राइट टु लिब को सस्पेंड करने की क्या मंशा थी? पुलिस जो क्राइम कर रही थी, किस के लिए कर रही थी? जब आप के एटार्नी जनरल ने इस बात को माना कि इस अधिकार को खत्म कर दिया गया है, तब भी आपमें से किसी को यह ख्याल नहीं रहा कि वह कहता कि कम से कम इस राइट को तो रस्टोर कर दिया जाय। मैं अनुमान करता हूँ कि उन का विचार यह था। मैं ने यह नहीं कहा कि प्रयोजन था।

श्री बांबर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) तयप्रकाश जी के जनजाे की तैयारी कर रहे है।

श्री चरण सिंह : हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय मैं जरा वह को गज दूँ रहा था। जिसमें वर्ल्ड भर के जो बड़े-बड़े मुल्क हैं, उनके यहाँ के क्राइम्स के स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं। वे यह जाहिर करने हैं कि जिस रफ़्तार से यू० एस० ए० फ्रांस जर्मनी वगैरह सुसंस्कृत, शिक्षित और मालदार देशों में क्राइम बढ़ रहा है, उस से बहुत कम रफ़्तार से हिन्दुस्तान में बढ़ रहा है। मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, नतीजा आप चाहे कुछ निकालें। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से माननीय मित्र यह कह रहे थे कि अगर साइंटिफिक इन्क्वियमेंट्स पुलिस को मिल जाएं तो क्राइम्स कम हो सकते हैं। इस में मैं आप से मदद चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए। साइंटिफिक इन्क्वियमेंट्स और टेक्नोलोजी की जितनी भी सहूलियतें हो सकती हैं, वे सब सुविधाएं वेस्टर्न कंट्रीज में प्राप्त हैं लेकिन वहाँ पर जिस रेट से पापूलेशन बढ़ रही है उस से पांच गुना, छः गुना क्राइम बढ़ रहा है। जापान को छोड़ कर और सब जगह क्राइम बढ़ रहा है।

श्री ज्योतिमय बसु : इकोनॉमिक रीजन्स हैं ?

श्री चरण सिंह : एकोनॉमिक रीजन्स नहीं है। मैं अर्ज करता हूँ कि जापान को छोड़ कर जितने भी इन्डस्ट्रियलाइज्ड और रिच कंट्रीज हैं, उन सब में क्राइम बढ़ रहा है। तमाम देशों में जापान की ही ऐसी विशेषता है कि वहाँ क्राइम नहीं बढ़ रहा है। यह ख्याल है कि गरीबी में क्राइम होता है, गलत है और अमीरी में क्राइम नहीं बढ़ता है, यह भी गलत है। मैं आप को दूसरे देशों की मिसाल दे चुका हूँ। मैं यू० पी० की मिसाल और आप को देता हूँ। ईस्टर्न यू० पी० के मुकाबले वेस्टर्न यू० पी० के अपेक्षतया गरीब हैं लेकिन क्राइम वेस्टर्न यू० पी० में ज्यादा है

[श्री चरण सिंह]

बे मुकाबले ईस्टर्न यू० पी० के। इस तरह से क्राइम का जो सम्बन्ध गरीबी से जोड़ा जाता है, वह खत्म हो जाता है और उस आर्गुमेंट में कोई जान नहीं है। मैं पूरे ज्ञान के साथ तो नहीं कह सकता लेकिन मेरा अनुमान है कि किसी कौम के ट्रेडीशन, उस की कल्चर, उस की हिस्ट्री, उस की एजुकेशन उस के बच्चे घर पर क्या सीखते हैं, यह सब बातें इस बात की जिम्मेदार हैं कि क्राइम मोसाइटी में बढ़ेगा या घटेगा। लिहाजा मैं हूँ या कोई और साहब हों, यह कहना कि क्राइम बढ़ रहा है, उस को जवाब दे सकता हूँ कि दुनिया भर में जिस रेट से क्राइम बढ़ रहा है, उस से कम हिन्दुस्तान में बढ़ रहा है लेकिन मैं इस से सेटिसफाइड नहीं हूँ। इस पर विचार करने की जरूरत होगी और हम पुलिस कमीशन भी बैठा रहे हैं। इस चीज़ को भी हम देखेंगे।

इस समय श्री द्वारिका नाथ तिवारी जी सदन में नहीं हैं। वे चले गये हैं। उन्होंने बिहार का किस्सा उठाया था और कहा था कि एक कांस्टीट्यून्सी में अक्सरान ने यह गलती की और उन के भाषण का सार यह निकल रहा था कि जब की बार इलेक्शन में कहीं पर क्राइम ज्यादा बढ़ा है और कहीं कहीं ज्यादा जुर्म हुए हैं। वे मेरे पास भी आए थे और उन को मैं ने बता दिया था लेकिन मैं आप के जरिये माननीय सदन को बताना चाहता हूँ और पहले भी कह चुका हूँ कि अब की बार इलेक्शन में बेमुकाबले 1971 के, 1972 के और मार्च 1977 के क्राइम घटे हैं दो स्टेटों को छोड़ कर और वे उड़ीसा और पंजाब की स्टेट्स हैं। और जगह क्राइम कम हुए हैं।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी (अनन्तनाग): जम्मू व काश्मीर में क्या हुआ? लोगों को वोट नहीं डालने दिया। बहुत से लोग वहाँ पर मर गये और आप वहाँ पर मौजूद थे? (व्यवधान)

श्री चरण सिंह: मैंने थोड़े ही लोगों को मार दिया। मैं मानता हूँ कि काश्मीर

में क्राइम हुआ और उस क्राइम को रोकने की कोशिश की गई लेकिन क्राइम में केवल एक फरीक का दोष हो, ऐसी बात नहीं। कुछ कमोन्ट्रेश गलती, हमारी तरफ से भी हुई, इसको मानना पड़ेगा। इसके लिए मैं अपने को जिम्मेदार करार देता हूँ। लेकिन काश्मीर से और तिवारी जी ने जो बिहार की मिसाल दी, उसके सारे हिन्दुस्तान के बारे में नतीजा निकाल लेना गलती होगी। कहीं कोई क्राइम हो जाए और उसके लिए यह कह दिया जाए कि सब जगह यही हो रहा है तो ज़रा मानना मुश्किल होगा।

कल डाक्टर साहब ने कहा कि दिल्ली में रोज मर्डर हो रहे हैं। अगर रोज मर्डर होते तो 26 मार्च से अब तक 110 मर्डर हो जाते। मैं इसके आंकड़े बतलाता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, पहली अप्रैल से 30 जून, 1977 तक के तीन महीनों में और पहली अप्रैल से 30 जून, 1975 के तीन महीनों में -76 के साल को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि 75 में आपकी टप रही थी—जो मर्डर हुए वे इस प्रकार हैं—आपके जमाने में 1975 में 63 सीरियस मर्डर हुए और 1977 में 51 हुए। अगर रोज मर्डर होते तो 110 हो जाते। पहले डेढ़ दिन में एक मर्डर हो रहा था अब तीसरे दिन एक मर्डर हो रहा है। अक्टूबर मर्डर पहले 59 हुए। अब 58। रायट्स पहले 56 हुए और अब 32। डकैती पहले 6 हुई और अब 4। अब अगर दो और हों तब आपके बराबर आ सकती हैं। राबरीज पहले 97 हुई थी और अब 81 हुई हैं।

मुझे अफसोस है कि इतना भी क्यों हो रहा है। इसकी वाकई मुझे तकलीफ है। लेकिन इसके लिए आपको कहने का हक नहीं है अगर इधर वाले कहें तो उनको हक है।

अध्यक्ष महोदय, जो सीरियस क्राइम्स हैं उनको छिपाया नहीं जा सकता। लेकिन

[श्री चरण सिंह]

कुछ क्राइम्स जो छोटे होते हैं, जिनको एस० एच० ओ० छिपा सकता है, वे जरूर बढ़े हैं। इनका क्या कारण है? इसका कारण है कि हमने चारों जिलों के डी० आई० जी० को बुला कर कहा कि कितने भी इस तरह के केसिज आयें उन्हें दर्ज करो, एक भी छिपाया न जाए। इस तरह के केसिज छिपाये जाते हैं और दुनिया भर में छिपाए जाते हैं। इसका एक कारण तो यह है। इसका दूसरा कारण यह है कि अब मीसा उठाया गया तो पांच सौ लोग जो इस तरह के क्राइम करने के आदी हैं, वे एकदम बाहर आये इसका असर पड़ना लाजमी था। गुण्डा एकट जो हमने यू० पी० में बनाया था, राजस्थान में भी था, बम्बई में जो गुण्डा एकट है वह बिल्कुल नाकिस है, उसको लागू करने के बारे में सोचा गया। अफसरों की मीटिंग हुई। उसमें उन्होंने कितने ही इंस्टांसिज देकर गुण्डा एकट की खामियां बताईं। हमारे लेफ्टीनेंट गवर्नर ने एक मेजिस्ट्रेट को और एक सीनियर पुलिस अफसर को बाहर भेजा। बम्बई में जो पुलिस एकट है उसकी वजह से वहां इंसिडेंस आफ क्राइम्स कम है बनिगबत दिल्ली के। यहां वे स्टडी करके आए हैं। वहां का एकट लागू है तो फिर काबू यहां क्यों नहीं कर पाते हैं? वे गए। कुछ गलतियां यहां हो रही थीं उनकी तरफ ध्यान नहीं था। बम्बई वाले एकट के तहत कितनी पावर्ज दिल्ली वालों को हैं वह पता नहीं था। हम कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही यहां की क्राइम सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होगी। अब क्या क्या कार्रवाई की जाती है यह बताना जरूरी नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं है।

हमारे देश में मेट्रोपोलिटन टाऊज 8 हैं जिन की आबादी एक मिलियन से ज्यादा है। उन में छः में पुलिस कमिश्नर है, बम्बई कलकत्ता, बंगलौर, हैदराबाद, मद्रास और अहमदाबाद, कानपुर और दिल्ली में नहीं हैं। अब खयाल यह है कि पुलिस कमिश्नर

की नियुक्ति के बाद क्राइम्स पर और ज्यादा अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। श्री कंवर लाल गुप्त को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा अभी यह खयाल है कि यहां पुलिस कमिश्नर हो लेकिन जरा मुझे अपने जो सहयोगी हैं, अक्सर जो मुझ से ज्यादा तजुर्बा रखते हैं प्रशासन का, उन से बात करनी है। मैं समझता हूँ कि मैं उनको मना लूंगा ऐसा मेरा खयाल भी है। पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति का विचार चल रहा है। जिसे एक्टिव कंसिड्रेशन अक्सर गवर्नमेंट कहती है, यह मामला एक्टिव कंसिड्रेशन में है। उससे शायद फर्क पड़े।

कंवर लाल जी ने कहा कि जो कम्युनल केसिस चल रहे हैं हिंदुओं की तरफ से और मुसलमानों की तरफ से उन को वापिस ले लिया जाए, दोनों फरीक तंग आ चुके हैं और चाहते हैं कि उनको वापिस ले लिया जाए। यही लील पहले भी दी जाती रही है। 1947 से अभी तक यही कहा जाता रहा है कि हिन्दू लोग भी तंग आ गए हैं, उनके घर वाले भी चाहते हैं और मुसलमान भी तंग आ गए हैं उनके घर वाले भी चाहते हैं, दोनों चाहते हैं लिहाजा केसिज वापिस ले लिए जाएं। लेकिन उससे नतीजा अच्छा नहीं निकलता। नेशनल इंटेग्रेशन कार्जिसिल ने यह रिपोर्ट किया है कि उनको कभी वापिस नहीं लिया जाना चाहिए? लिहाजा वापिस लेने की बात एक दम तो नहीं हो सकती है लेकिन हमारी तरफ से इस बात को एग्जैमिन किया जा रहा है कि अगर कमजोर केसिस हों या गवाहियां न हों तो उनको वापिस लेना ठीक होगा या नहीं होगा। लेकिन क्योंकि दोनों फरीक चाहते हैं यह कोई आर्गुमेंट नहीं है।

उन्होंने दिल्ली के सैट अप को रिवाइज करने की मांग भी की है। वह बात बहुत हद तक ठीक है। मैं सहमत हूँ। यह सोच रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और मौजूदा सैट अप के बीच कोई रास्ता निकल आए तो शायद

उनको मंजूर हो जाए। यहां मल्टीप्लिसिटी आफ आयोरिटी हो गई है। वह किसी प्रकार कम हो जाए और पावरज ज्यादा मैट्रोपोलिटन काउंसिल को मिल जाए तो शायद मुनासिब होगा। इस पर उन से हम बातचीत कर लेंगे। विचार हमारा पहले से चल रहा है।

यह भी कहा गया है कि कमजोर वर्ग के खिलाफ क्राइम्ज बढ़ रहे हैं, बड़े हैं या घटे हैं इस में मैं नहीं जाता हूँ —

कुछ माननीय सदस्य : बढ़ रहे हैं।

श्री चरण सिंह : मान नेता हूँ। चारों तरफ बढ़ रहे हैं, मान नेता हूँ किसी माननीय सदस्य ने आंकड़े दिए भी थे। वे आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं। लेकिन जनरल इनक्वीज हर तरह के क्रा म्ज में हैं और उस में वीकर सैकशंज में भी बढ़ रहे होंगे। इसको मैं मान लेता हूँ।

बेलची की बात कही जाती है। यह कहा गया है कि हरिजन होने के नाते सवर्णों किया। लेकिन क्राइम हुआ इससे मैं इ कार नहीं करता हूँ। फैंक्ट्स एंड फिगर्ज उस रोज मैंने दे दिए हैं। हरिजन होने के नाते किया या नहीं किया इस में दो राय हो सकती है। मोटिवेशन क्या था इस में शायद दो राये हों। लेकिन गवर्नमेंट के पास जो रिकार्ड है वह बताता है कि दोनों गिरोहों में पुरानी रंजिश थी, दोनों के खिलाफ कई मुकदमे पहले से ही विचाराधीन थे या जेरे तजबीज थे। अब जब उन में आपस में रंजिश इस तरह की थी तो कोई और भी मोटिवेशन हो सकता है, और इससे मैं इन्कार नहीं करता हूँ। ग्यारह आदमी जो मारे गए हैं उन में तीन सुनार हैं, आठ हरिजन हैं। जो मारने वाले हैं उन में सात एक बिरादरी के हैं और दो एक बिरादरी के हैं यानी तीन बिरादरियों के हैं। तो वहां से हमारे पास यह रिपोर्ट आयी थी कि यह

सवर्ण और हरिजन का सवाल नहीं है क्योंकि हरिजनों के साथ सवर्ण भी 3 मारे गये। एक गिरोह था लेकिन अगर मान लो कि यही है कि हरिजनों को ही सवर्णों ने किन्हीं कारणों से मारा तो सारा सवाल यह है कि सरकार इस से ज्यादा, जो कि किया है, जो हमारे हाथ में पावर थी र्थू गवर्नर इससे ज्यादा क्या कर सकते थे।

श्री राम विलास पासवान : वह तो रिपोर्ट ही गलत की थी स्टेट गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट भेजी है कि दो जातियों का झगड़ा है। दूसरी रिपोर्ट दी कि ऐक्सचेंज आफ फ़ार्यरिंग हुआ है। वह हुआ नहीं। उसको घर से पकड़ कर जलाया गया। द्यबधान

श्री चरण सिंह : आपने वह रिपोर्ट देखी होगी, मैंने नहीं देखी। जो मैंने यहां बयान किया था और जो रिपोर्ट मेरे सामने थी उसमें ऐक्सचेंज आफ फ़ार्यरिंग नहीं थी। मैंने ऐक्सचेंज आफ फ़ार्यरिंग का जिक्र ही नहीं किया। अगर कोई रिपोर्ट आयी होगी तो या तो फ़र्जी है, या मैंने देखी नहीं। लेकिन हो नहीं सकता कि ऐसी रिपोर्ट आयी हो। मान लो कि हरिजन होने के नाते उन पर जुल्म किया गया तो सवाल यह है कि सरकार इससे ज्यादा कुछ और कर सकती थी? या मान लो कि वह सवर्ण था, सवर्ण से झगड़ा था तो क्या उसमें कोई कमी फ़ोड़नी चाहिये सरकार को? और क्योंकि हरिजनों के साथ हुआ तो कोई और नया ला बन सकता है, या और इससे ज्यादा हो सकता था? इसलिये मैं माननीय मित्रों से कहूंगा कि सवर्ण सवर्ण के साथ रोज जुल्म करता है, एक बिरादरी वाले उसी बिरादरी वालों के साथ लड़ते हैं, यह नहीं कि सवर्णों के दूसरी बिरादरी के साथ झगड़े होते हैं। हरिजनों के हरिजनों के साथ झगड़े होते हैं, सवर्णों के हरिजनों के साथ होते हैं

[श्री चरण सिंह]

श्री चांब राम (सिरसा) : चौधरी साहब एक बात का हमें अफसोस है कि राष्ट्रपति का राज्य था, चाहे कांग्रेसी राज्य था, क्या गवर्नर मौके पर गया ?

श्री चरण सिंह : इससे क्या फर्क पडा ? गवर्नर क्यों जाते ? और गवर्नर कैसे जा सकता है ? रिपोर्ट तो अफसरों के जरिये ही हुई। तो मैं यह कह रहा था कि हरिजन हरिजन के साथ करता है, सवर्ण सवर्ण के साथ करता है, सवर्ण हरिजनों के साथ करता है क्योंकि वहां स्ट्रॉगर पार्टी है इसलिये वह शायद ज्यादा करता है और गरीब शायद कम। लेकिन सवाल यह है कि ला तो सब के साथ एक सा ही व्यवहार करेगा। और अगर मान लो जंसा कि मेरे दोस्त कह रहे हैं कि हरिजनों की वजह से हुआ, तो मैं जानना चाहता हूं कि इससे ज्यादा क्या हो सकता था ?

श्री अमृत नाहाटा (पाली) : यह टीक नहीं है, यह अन्याय की बात है। . . (व्यवधान)

श्री चरण सिंह : नहीं है तो बीच में जवाब देने का भी कोई तरीका नहीं है . . (व्यवधान)

श्री बाई० पी० शास्त्री (रीवा) : बहुत गहराई में जाने की बात है। क्या कोई आदमी किसी गरीब आदमी को इस तरह से जिन्दा जला सकता है ? इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिये कोई असाधारण उपाय करने होंगे।

एक माननीय सदस्य : बेलची जंसा कोई उदाहरण दें जो हरिजन हरिजन के बीच में हुआ हो ? . . .

श्री चरण सिंह : मैंने यह कब कहा बेलची जंसा ही उदाहरण हुआ हो ? . .

SHRI T. BALAKRISHNAIAH (TIRUPATHI): Sir, I have got a submission to make (Interruptions). Why don't you give me a chance?

SHRI CHARAN SINGH: I am not yielding.

अगर आप खड़े होंगे तो इधर से भी लोग खड़े हो जायेंगे। यह तरीका क्या हुआ ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is not yielding. Please take your seat.

SHRI T. BALAKRISHNAIAH: I have got a submission to make.....*

MR. DEPUTY-SPEAKER: You don't interrupt like this. If you do, what you say will go off the record.

श्री चरण सिंह : कोई किसी के साथ जुर्म करे तो पुलिस का फर्ज है कि जितना भी कानून उसको इजाजत देता है, उतना काम करे और सजा दिलाये जो जुर्म के मुर्तेकिब हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो कुछ किया गया है अब तक . . . (व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : पालियामेंट को लेकर जांच करने के लिए . . . (व्यवधान)

श्री चरण सिंह : मैं यह अज्र कर रहा था था कि 29 आदमियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई है, 23 आदमियों ने . . . (व्यवधान)

SHRI M. KALYANASUNDARAM: May I say one thing?.....*

श्री चरण सिंह : मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is not yielding; what is the use? It will be off the record.

श्री चरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अज्र कर रहा था (व्यवधान)

मैं यह अज्ञ कर रहा था कि 29 ब्रादरियों का चालान हुआ है, उसमें से 23 गिरफ्तार हो चुके हैं, 6 गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उनको गिरफ्तार करने के लिये ढाई-ढाई हजार रुपये का रिवाइड रखा गया है। (व्यवधान)

मैं बीच में नहीं सुनना चाहता।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Just ignore that.

श्री चरण सिंह : जो लोग मर्डर हुए हैं, उनके घर वालों की जो क्षति हुई है, वह तो कमी पूरी नहीं होगी। लेकिन गवर्नमेंट उनकी जो आर्थिक तरीके से मदद कर सकती है, वह बिहार की गवर्नमेंट ने की है। इसके अलावा बिहार असेम्बली के कुछ दोस्त मौके पर गये हैं, उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। इसके अलावा बाकायदा और भी लैजिस्लेचर्स की कमेटी एन्वाइन्ट करने का उनका इरादा है। मैं यह कह रहा था कि जितना संभव था, वह किया जा रहा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिये। (व्यवधान)

श्री रामधन (लालगंज) : अगर माननीय गृहमंत्री महोदय मौका दें तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं खुद वहाँ गया था और मेरे साथ पार्लियामेंट के और सदस्य भी गये थे। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ . .

श्री चरण सिंह : मैं तो ईल्ड नहीं कर रहा हूँ, आपको बहुत से मौके हैं कहने के लिये (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: When a Minister is replying or when a Member is speaking, unless he yields you cannot interrupt. (Interruptions). Do not get excited now. There is no use getting excited like this. If the Minister wants to yield, he can and he may yield. If you go on interrupting, he will not yield. Let him complete his speech. There is not much time left.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: Please listen to Mr. Ram Dhan at least.

(Interruptions)

श्री चरण सिंह: जब उधर से मेरे दोस्त खड़े हुए थे, तब मैं ने योल्ड नहीं किया था, और जब मेरी पार्टी के सेक्रेटरी खड़े हुए हैं, तब भी मैंने योल्ड नहीं किया है।

यह जरूरी नहीं है कि मैं जो बात कहूँ, वह सब दोस्तों को स्वीकार हो। और अगर किसी को स्वीकार नहीं है, तो क्या उसका उसी वक्त टोकने और स्पीच देने का अधिकार है? अगर यह तरीका अपनाया जायेगा, तो हाउस का काम नहीं चलेगा। या फिर ऐसा नियम बना दिया जाये कि अगर किसी को कोई बात पसंद न आये, या कड़वी लगे, तो उसे फौरन खड़े होकर हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा। ऐसा नियम बना कर यह सदन नहीं चल सकता है। तो फिर इतना हस्तक्षेप क्यों किया जाये? (व्यवधान)

SHRI SURATH BAHADUR SHAH (Kheri): Are they trying to teach us Parliamentary ettiquette?

श्री चरण सिंह : कल राजस्थान के माननीय सदस्य, श्री भानु कुमार शास्त्री, ने कहा—और वह बिल्कुल ठीक बात है—कि जैसे हम उम्मीद करते थे कि स्थिति में तब्दीली होगी और देश की शान्ति-व्यवस्था में एक दम इम्प्रूवमेंट हो जायेगी, वैसे नहीं हुआ। मैं तस्लीम करता हूँ कि नहीं हुआ—और होना सम्भव भी नहीं था। आखिर गवर्नमेंट आफ इंडिया के होम मिनिस्टर के पास कितने अधिकार हैं? ला एंड आर्डर तो स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में हैं। सिर्फ दिल्ली की पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कुछ कारणों से बेशक होम मिनिस्टर के हाथ में है। बाकी सारे देश भर की ला एंड आर्डर की प्राबलम स्टेट गवर्नमेंट्स का सर-दर्द है। यह फ्रैक्ट है कि मेरे हाथ में कुछ

(श्री चरण सिंह)

ज्यादा नहीं है। मैं गाज़ियाबाद-या आगरा के सब-इंस्पेक्टर का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, जवाब भी तलब नहीं कर सकता हूँ। अगर बड़ बड़े फ़ंक्शनरीज़ के खिलाफ कोई शिकायत आये, तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को लिख सकता हूँ।

हमारे फ़डरल कांस्टीट्यूशन के मुताबिक इस बारे में पूरी पावर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। अगर मैं उन्हें कुछ कहूँ, तो उन की पावर का इरोज़न होता है। अगर यह आशा की जाये कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के होम मिनिस्टर के चेंज होने से देश में कोई एक दम तब्दीली हो जायेगी, तो वह हो नहीं सकता है। मैं हूँ या कोई और सज्जन, क्या सारे देश की शान्ति-व्यवस्था दिल्ली से गवर्न हो सकती है, क्या वह सुधारी जा सकती है? नहीं। इसलिए यह आशा नहीं करनी चाहिए कि एक दम कोई क्रांतिकारी परिवर्तन हो जायेगा। अब उस में यह हो सकता है, बेशक, वर्ष दो वर्ष में यहां से जो ट्रेन्ड कायम किए जायें, जो कमीशन वगैरह मुकर्रर हों, जो दोस्तों से बातचीत हो, जो होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरीज़ से बातचीत हो उस का धीरे धीरे असर पड़े। लेकिन यह केवल एक फ़ंक्टर है देश की शांति व्यवस्था को सुधारने के लिए। कोई एक व्यक्ति यह कर सकता है या एक दम उस में रैडिकल चेंज हो जाय, ऐसा नहीं हो सकता और मैं तस्लीम करता हूँ अपनी इनएबिलिटी को। और मुझ से क्या क्या उम्मीद की जाती है? मेरे पास शिकायतें आती हैं, एम पीज़ भेजते हैं और दर्जनों शिकायतें भेजते हैं कि सब इंस्पेक्टर ने यह किया, यह हुआ, वह हुआ। अब मैं क्या कर सकता हूँ सिवाय चिट्ठी चंडीगढ़ या लखनऊ या पटना भजने के? हम यह समझते हैं कि हम यहां एम पी हैं और होम मिनिस्टर एक शब्स हैं तो क्यों जाय पूर्णिया, मेरठ या चण्डीगढ़ यहीं से काम कर दो, चिट्ठी चली जायगी। नहीं, दिस इज़ एक्सपेक्टिंग टू मच। यह नहीं संभव है।

अब माननीय डा० कर्णसिंह ने एक सवाल उठाया था और बहुत अच्छा सवाल था। उस का जवाब मेरे पास कुछ ज्यादा है नहीं। उन्होंने कहा कि पुलिस का यह क्या एटीच्यूड है कि जरा से बहाने पर फोर्स इस्तेमाल कर लेती है? फोर्स इस्तेमाल करने का बहाना ढुंढती है और जितना जरूरी है उस से ज्यादा फोर्स इस्तेमाल कर लेती है। है ऐसा। उन्होंने सवाल तो मुझ से कर दिया लेकिन उस का जवाब आसान नहीं है। उस के पीछे बहुत से हिस्टारिकल काज़ेज़ हैं। एक सज्जन उधर के ही कह रहे थे कि अब तक जो पुलिस थी वह कलोनियल पावर की इस्ट्रमेंट, उस की हथियार थी। है यह बात। उस की ट्रेडींग्स हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि सारी पुलिस को एक दम कंडम कर देना कहां तक ठीक होगा? पुलिस में उसी तरह के लोग हैं जिस तरह के हम लोग यहां बंठे हैं। हाई कोर्ट के जजेज़ जिस मैटीरियल के, जिस स्टाफ के बने हुए हैं। उसके व; भी बने हुए हैं। मुझे पुलिस अफसर ऐसे मालूम हैं कि जो उतने ही ईमानदार हैं जितने ईमानदारी की हम एक हाईकोर्ट के जज से आशा करते हैं। लेकिन आम तौर पर हमें उन कारणों में जाना चाहिए कि ऐसा क्यों है? एक आदमी मुंसिफ हो गया तो बड़ा अच्छा आदमी है और उसका भाई डी वाई एस पी हो गया जो उन्हीं सरकमस्टांसेज़ में, उन्हीं एनवायरमेंट्स में पला-है तो वह कानून को अपने हाथ में लेकर ऐसे काम करने लगा जिस से जनता को शिकायत होती है तो उस के कुछ कारण होंगे। सारी फोर्स को कंडम कर देना यह तो मुनासिब नहीं होगा। लखनऊ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बैंच है, एक दफा उसके एक जज ने यह फंसला दे दिया कि इस से बड़ा क्रिमिनल गैंग हिन्दुस्तान में दूसरा नहीं है जैसी कि पुलिस है। खैर, उस की हम ने मुप्रीम कोर्ट में अपील की। तो यह बहुत अनफैयरनेस की बात है। पुलिस में भी अच्छे से अच्छे लोग हैं। लेकिन ऐज़ ए

फोर्स शिकायतें मिलती हैं तो उस में हमें विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है, उस की क्या वजह है ?

उस में आप देखेंगे कि हमारी बहुत गलती पायी जायेगी। जेठमलानी जी ने बहुत कुछ कह दिया कि एक हिसाब से जो पोलिटिकल मास्टर्स हैं उन का बड़ा असर पड़ता है, हर चीज पर पड़ता है, पुलिस पर भी पड़ता है, आइ० ए० एस० पर भी पड़ता है। अब तो मैं नहीं कहता लेकिन जो मेरा पुराना एक्सपीरिअंस है यू० पी० का उस आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि :

Police Superintendents as a class were perhaps more scrupulous than District Magistrates as a class.

ज्यादा उसूल को मानने वाले लोग उस में थे। सारी ही ऐडमिनिस्ट्रेशन बिगड़ गई तो देखना चाहिए कि उस के लिए हम जिम्मेदार हैं या नहीं ? मैं अपने मित्रों से जो इधर बैठे हैं यह कहता हूँ, जो उधर बैठे हैं उन से तो कहने का मेरा साहस नहीं है, लेकिन इन से कहता हूँ कि यहां की पुलिस, राजस्थान की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस, बिहार की पुलिस और सारे ऐडमिनिस्ट्रेशन में अंतर पड़ जायेगा अगर हम कांग्रेस वालों के पैमाने की नकल स्वयं न करें। उस को हम छोड़ दें। कोई बात वेसी है तो मैं आप के जरिए अर्ज करूंगा अपने दोस्तों से कि पार्टी की तरफ से एक कमेटी बनालें और विचार करें, हर आदमी अपनी तरफ देखे। हम समझते हैं कि हम एम० पी० हो गए, हम मिनिस्टर हो गए तो हमारे रिश्तेदारों को हक है सब—इंसपेक्टर से कुछ न कुछ कराने का वरना फायदा क्या हुआ एम० पी० होने से? अगर हम भी आम जनता की तरह हो गए तो क्या फायदा हुआ ? हम कितने बड़े हो गए ? ऐसे नहीं चल सकता ऐडमिनिस्ट्रेशन। अंग्रेज कभी ऐसी आशा करता था ? चंचल की लड़की का एक मामूली कांस्टेबल ने तीन बार चालान कर दिया कि ड्राइव कर रही थी

जब वह ड्रक थी। मामूली कांस्टेबल ने जुर्माना कर दिया और परवाह नहीं कि चंचल की लड़की है और चंचल ने इस बात की परवाह नहीं कि कि मेरी लड़की का चालान कर दिया। आज सब इंसपेक्टर की हिम्मत है कि हमारी लड़की का चालान कर दे ? या मेरा लड़का किसी की कार चुरा कर ले जाय, तो क्या वह चालान कर सकता है ? डा० कर्णसिंह जी, चालान हो सकता है—क्या ? मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जो गलतियां उधर से हुई हैं कम से कम इधर से नहीं होनी चाहिये। मैं चाहता हूँ कि पुलिस ऐसी हो जाये कि जो मिनिस्टर के लड़के का भी चालान कर दे। रेलवे क्रासिंग पर मिनिस्टर की कार देख कर जो छोटा आफिशियल बहां होता है, वह दो मिनट पहले फाटक न खोले। सब के साथ एक सा ट्रीटमेन्ट हो। मैं इस के लिये पुलिस वालों को हरगिज दोषी करार नहीं देता, इस के लिये हम सब दोषी हैं। पुलिस पर सारी चीजें डालने से पहले हम को अपने गिरहवान में निगाह डाल कर देखना चाहिये।

18.00 hrs.

पुलिस कमीशन मुकर्रर करने का हमारा विचार है, लेकिन इस में एक दिक्कत हमारे सामने आ रही है। इस वक्त ला एण्ड आर्डर स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर हम यहां कमीशन को एप्वाइन्ट कर देते हैं तो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्ज कह सकते हैं कि आप हमारे जूरिशिडिक्शन में क्यों एन्क्रोच कर रहे हैं। हम ने इस की एक तरकीब सोची है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे माननीय सदस्य इस से सहमत होंगे। हम चीफ मिनिस्टर्ज को एक चिट्ठी लिखना चाहते हैं कि हम देश भर की पुलिस की जो कामन प्रॉबलमज है, उन में क्या-क्या सुधार हो सकते हैं, इस के बारे में एक कमीशन एप्वाइन्ट करना चाहते हैं। अगर आप इसके लिये राजी हो तो हम इस तरह का कमीशन मुकर्रर कर दें। इस के अलावा अगर कोई और रास्ता आप के ख्याल में हो तो बतलाइये।

(श्री चरण सिंह)

इस वक्त अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई कांस्टीचुशनल ग्रांजेशन उठाये, तो वह हक-ब-जानिब होगी। इसी लिये मैंने यह तरीका सोचा है। इस में किसी का वेस्टेड इटरेस्ट नहीं है, सब चाहते हैं कि पुलिस में सुधार हो, इस लिये मुझे उम्मीद है, इस में सब सहमत हो जायेंगे। इस के बाद हम ऐसा कमीशन बैठायेंगे और मैं माननीय चव्हाण साहब, डा० कर्णसिंह जी, साठे साहब और इन सब से ज्यादा माननीय लक्ष्मण साहब से कहना चाहता हूँ कि इस बारे में जितने भी सुझाव हम दे सकेंगे, उन के लिये मैं बहुत-बहुत मशकूर होऊंगा। यह कोई पार्टी की बात नहीं है, देश की बात है, एक इंटीग्रेशन को सुधारने की बात है। हमारे माननीय तिवारी जी भी कह रहे थे कि पुलिस की एम्प्लॉयमेंट ठीक नहीं होती है तो देश की इकानामिक प्रोग्रेस या किसी भी प्रकार की प्रोग्रेस नहीं हो सकती है - यह बात ठीक है - हम इस दिशा में जरूर बढ़ेंगे।

हमारे बसु साहब ने कहा कि पुलिस से ज्यादा रुपया डबलपमेंट पर लगाइये। लेकिन पुलिस पर रुपया लग कहां रहा है? अगर आप वाकई चाहते हैं कि पुलिस अच्छी बने, तो चोगुना रुपया चाहिये। मैं अभी हाल में चांदनी चौक थाने में गया था - वहां मुझे पुलिस आफिसर ने बतलाया कि तीन चीजें देखनी चाहिये, जिस से मालूम हो जायगा कि कितना काम ठीक चल रहा है। वहां पर दो रोज-नामचे होते हैं - जब कोई पुलिस आफिसर जाता है या आता है तो उस का ठीक वक्त उस में दर्ज है या नहीं या कोई जगह खाली पड़ी है। इसी तरह से जो इन्फार्मेशन रिपोर्ट्स हैं वह दर्ज है या नहीं, या जगह खाली पड़ी है। तीसरे लोक-कंप वेखना चाहिये कि लोक अप की क्या हालत है? मैंने इन तीनों चीजों को देखा और मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि इन तीनों चीजों में मुझे कोई मिस्टेक नहीं मिली। लेकिन जहां तक चांदनी चौक के थाने का सवाल है, वह बड़ा क्रैम्पड है, बहुत कम स्पेस है

इतनी कम है कि हम में से किसी आदमी के लिये वहां रहना मुश्किल है। वहां पर 60 कांस्टेबिल एक ही बैरक में थे। उन के पाखान को भी देखा वहां भी वही हालत थी। एक बात जरूर थी लोक अप में जो कम्बल या चादरें थीं, वह ठीक नहीं थीं। मैं फिर उसी बात पर आता हूँ उन की हाउसिंग कण्डीशन में सुधार होना चाहिये, लेकिन क्या इस के लिये आप रुपया दे सकेंगे?

श्री ज्योतिर्भय बसु : चौधरी साहब, दिल्ली पुलिस के बारे में एक कमीशन की रिपोर्ट है, लेकिन उस का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ।

श्री चरण सिंह : मुझे मालूम है। कुछ इम्प्लीमेंट हुई हैं। कमीशन की रिपोर्ट के इम्प्लीमेंट न होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण स्टैट सर्वनमेंट्स के पास फाइनेन्शियल रिसोर्स की कमी है।

दिल्ली की पुलिस में 90 परसेन्ट कांस्टेबिलों के पास रहने के लिए मकान नहीं है या शायद 80 परसेन्ट अपने बच्चों के साथ, अपनी गृहिणी के साथ नहीं रह सकते। इस का असर उन की जो मेन्टैलिटी है, उन की जो काम करने की कैपेसिटी है, उस पर पड़ेगा। इस को आप इमेजिन कर सकते हैं। आप पुलिस के खिलाफ शिकायत करते हैं? करना चाहिए और जो वे गलती करते हैं उस की उन को सजा मिलनी चाहिए लेकिन जो बेयरस्ट फैसेलिटीज हैं, कन्वीनियेंस का सवाल नहीं है, नेसिसिटीज भी अगर पुलिस फोर्स को प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो हम को उन की शिकायत करने का क्या हक है?

SHRI SAMAR GUHA (Contai):
How will you prevent MLAs and MPs and political people influencing them? They are also the corrupt people.

श्री चरण सिंह : ठीक है। उन की प्राब्लम्स बहुत सी हैं। उन को छुट्टी भी नहीं मिलती है और 1861 का पुलिस एक्ट है। 1902 में

उन की प्रावज़म्स को हल करने के लिए एक एक्ट बना था। मालम नहीं उस में क्या किया गया है। यह कहा गया कि पुलिस एक्ट में तरमीम होनी चाहिए। पुलिस एक्ट में तरमीम करना आसान है लेकिन आप के जरिये से में माननीय सदन को बताना चाहता हूँ कि एक्ट में अगर तरमीम करनी है तो बहुत सोच समझ कर करनी पड़ेगी। हम को यह तस्लीम करना पड़ेगा कि अंग्रेजों के जो एक्ट बनाए हुए हैं, उन्होंने जो लेजिस्लेशन बनाये थे, वे बहुत अच्छे थे और उन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन को बदला नहीं जा सकता। मैकाले के जमाने में जो आई० पी० सी० बना था, उस में दो चार सेक्शन्स को छोड़ कर एज ए व्होल वह बहुत अच्छा कानून था और अब तक हमारे देश में चल रहा है और दूसरे देशों में ऐसा कानून नहीं है। इसी तरह से एक्टिस एक्ट, 1872 का जो है, जिस को फिट्स जीराल्ड फ्रेजर, ला मिनिस्टर ने दिया है, उस में आज तक किसी की हिम्मत कुछ जोड़ने की नहीं हुई है, उस में कोई संशोधन, कोई तरमीम करने की नहीं हुई है आप चाहे उस को कोलो-नियल जमाने का कहें। इसलिए मेरा कहना यह है कि पुलिस एक्ट में तरमीम हमें बहुत सोच-समझ कर करनी होगी।

एक बात मैं यह बताना चाहता हूँ कि दूसरे देशों में यह है कि पुलिस के सामने अगर कोई कन्फेशन करता है, तो वह एडमिनिबिल होता है एक्टिस में। आज के कानून में यह है कि अगर एस० पी० और आई० जी० के सामने भी कोई कन्फेशन करेगा, तो वह एक्टिस में एडमिनिबिल नहीं होगा क्योंकि अंग्रेजों ने इस ऐजम्पशन से ला बनाया था कि हर पुलिसमैन वेईमान है। इस तरह से वह अपनी नजर से खुद ही गिर जाता है। जब हम ने ला के अन्दर उस को वेईमान मान लिया, तो उस को अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता है और वह अपने को छोटा समझने लगता है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि कम से कम एक गजेटेड

आफिसर के सामने जो कन्फेशन हो, वह एक्टिस में एडमिनिबिल माना जाना चाहिए।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: That will be misused.

श्री चरण सिंह : अगर पुलिस वाले सब वेईमान हैं,
Why should you have any police at all?

जरा सोच समझ कर बात कीजिए। (स्थवधान) मैं अर्ज कर रहा था कि इस मामले पर विचार करना होगा। अगर सब पुलिसमैन वेईमान हैं, तो मैजिस्ट्रेट कौन से खास आदमी हैं, सब थानों को बर्खास्त कर दीजिए। जापान और इंग्लण्ड में एक कांस्टेबिल को छोटे-मोटे जुर्म में जुर्मि करने का हक होता है। यहां पर क्या होता है कि छोटे मोटे केस भी अदालतों में छः छः महीने और साल-साल भर तक चलते रहते हैं। पुलिस वालों को 25 दफा जाना पड़ता है और गरीब आदमी को हजार दफा जाना पड़ता है। वहां छोटे छोटे मामले में पुलिस को जुर्मि करने का अधिकार है। अगर पुलिस को अपनी नजरों में बढ़ाना चाहते हो, तो इस पर विचार करना होगा।

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Sir, we do not agree with the Home Minister here. It is dangerous.

श्री चरण सिंह : आप फिर स्काटलैण्ड यार्ड और फेडरल ब्यूरो आफ अमेरिका की मिसाल न दीजिए। हर आदमी को इतना ही ईमानदार मान कर चलना पड़ेगा जितना कि आप अपने को समझते हैं, एक मैजिस्ट्रेट को समझते हैं। मेरा कहना यह है कि एक बात का तजुर्बा खराब है, अंग्रेजों के जमाने में तजुर्बे बहुत खराब हैं। आदमी चेंज करता, सरकमस्टांसिज चेंज करते हैं। आप सबको कंडेम करके चले; वे तो खुद महसूस करते हैं कि हम पर विश्वास नहीं है। मैंने उनसे एक बार कहा कि तुम एक्टिसिज की पैडिंग मत करो, झूठे केस न बनाओ, जो सही बात है, जुर्म सही है, उसे ही पेश करो। सब जानते

[श्री चरण सिंह:]

हैं कि पुलिस वालों को कोई शहादत देने को तैयार नहीं है, इसलिए झूठी शहादत करते हैं। मैंने उनसे कहा कि झूठी शहादत न करो, तो बोले साहब क्राइम्स बंद जायेंगे। मैंने कहा कि होने दो, फिर एम० पी० और एम० एल० ए० से कहेंगे कि बॉबों क्या करें। मैंने कहा कि किस चीज के लिए झूठ बोला जाए। साल भर के बाद मुजरिम जब छूट जायेंगे तो मैजिस्ट्रेट और सेसन जज अपने जजमेंट में कहेंगे कि आई ब्लेम दौ कांस्टेबल, कांस्टेबल ऐसा कर रहा है। अब आपकी आई० जी० पर विश्वास नहीं, सुपरिन्टेन्डेंट आफ पुलिस पर विश्वास नहीं और एक क्रिमिनल पर विश्वास है कि वह कहदे कि मैंने इनके मामले यह नहीं कहा था।

अध्यक्ष महोदय, ये कमीशनों की रिपोर्ट हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की जिम्मेदारी इन्टरनल विजिलेंस की है और रा बाहर की इंटेलिजेंस करता है। मुझे सालुम हुआ कि है आर्मी में एक इन्टे लिजेंस एजेंसी और है।

डा० कर्ण सिंह : प्रान्तों में भी हैं।

श्री चरण सिंह : प्रान्तों के अलग हैं। शायद इसका उनसे कोऑरडिनेशन रहता है। डा० कर्णसिंह जी ने इसके कोऑरडिनेशन के बारे में सुझाव दिया। उस पर एक फाइल चल रही है जिस पर विचार हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, एक साहब ने हिन्दी की बात कही, हिन्दी इम्पोज करने की बात कही। श्री श्रीमप्रकाश जी त्यागी ने उसका बहुत अच्छा उत्तर दिया कि इसे इम्पोज कोई नहीं करना चाहता। माननीय प्रधान मंत्री जी के इस पर दो-तीन बार बयान दो चुके हैं, एकाध बार किसी मीके पर मैंने भी बयान दिया है कि इस सिलसिले में गवर्नमेंट आफ इंडिया की जो पालिसी रही है, जनता पार्टी की गवर्नमेंट की भी वही पालिसी है और उसी

का अनुसरण करना चाहती है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं।

अब मनिपुरी भाषा, नेपाली भाषा एटथ शेड्यूल में शामिल हो जाए, जिसका जिक्र कल किया गया, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 344 में या किसी और आर्टिकल में यह जिक्र है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा होगी। यं शब्द हैं, या और भी शब्द हों, इस समय कांस्टीट्यूशन मेरे सामने नहीं है जो मैं बता सकू कि एग्जेक्ट क्या शब्द है। लेकिन एटथ शेड्यूलड में केवल 14 भाषाओं का जिक्र है। जिन भाषाओं की गणना की गयी है उनसे वह अपनी शब्दावली का एडिशन करें। 1954 में हिन्दी का एक कमीशन बैठ चुका है। उसके बाद वह एटथ शेड्यूल बेकार हो गया है। अब चाहे मनिपुरी भाषा हो, या नेपाली भाषा हो, वे उन शब्द गूल में दर्ज हों या न हों गवर्नमेंट आफ इंडिया की पालिसी है कि देश की जितनी भाषाएँ हैं उनका संवर्धन किया जाए, उनका विकास किया जाए, उनकी रक्षा की जाए। अब ये भाषाएँ एटथ शेड्यूल में हों या न हों इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। यह कानूनी पोजिशन है। मनिपुर के स्पीकर का एक लेटर आया था, उसका हमने जवाब दे दिया है।

माननीय मित्र मोहसिन साहब ने उर्दू की बात कही कि वहाँ उन्हें उर्दू में शपथ नहीं लेने दिया गया। वहाँ का जो आफिशियल लंगुएज एक्ट है, उसमें लिखा है कि वहाँ की भाषा हिन्दी होगी। हिन्दी के मायने यह नहीं कि संस्कृतनिष्ठ हिन्दी होगी। एकाध बार सवाल यह उठा था कि ईश्वर की बजाय खुदा की कसम खा ली जाए अगर इससे तसल्ली होती हो। अगर इस तरह की बात कहते तो वह समझ में आ सकती थी। लेकिन मोहसिन साहब को शिकायत करने का हक नहीं है। जब वह डिप्टी होम मिनिस्टर थे तो अब भी

मेरे पास उनके बयान की कापी हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि यू पी के अन्दर उर्दू को सफ़िकड आफिशयल लगुएज नहीं डिक्लेयर किया जा सकता है। आज वही सज्जन यह शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा भान दी प्लोर आफ दिस हाउस यह कहा था। इस वास्ते उनका कोई अधिकार नहीं है शिकायत करने का।

माननीय जगन्नाथ राव मुझे माफ करें एक बात कहने के लिए। वह शायद उड़ीसा से आते हैं। उन्होंने 356 में जो पावर्ज स्टेट गवर्नमेंट की हैं उनका जिक्र किया है। उसमें प्रेजीडेंट को पावर्ज हैं। अगर वह समझते हैं कि कोई सरकार ठीक से नहीं चल रही है, कांस्टीट्यूशनल ब्रेक डाउन लफ़्ज तो नहीं हैं लेकिन कुछ और लफ़्ज हैं कांस्टीट्यूशनल फ़ेल्योर शायद लफ़्ज है लेकिन उसका मंशा यह है कि प्रेजीडेंट प्रशासन को अपने हाथ में ले सकता है। अब उसमें क्या लफ़्ज जोड़ेंगे। यहां मैं कहना चाहता हूँ कि कानून को आप कितना ही एमंड कर लें, कितनी ही तरमीम कर लें अगर आदमी की तरमीम नहीं करते हैं तो संविधान की तरमीम करने से कोई काम चलने वाला नहीं है। कोई और बहन पैदा हो जाएगी, कोई और भाई पैदा हो जाएगा। इस आर्टिकल के बारे में जब कांस्टिट्यूट असेम्बली में यह कहा गया था कि इसका दुस्प्रयोग होगा तो डा० अम्बेदकर ने कहा था कि नहीं होगा, मैं नहीं समझता हूँ कि होगा और अगर इस आर्टिकल को लागू किया जाता है तो वह विद ए व्यू टू होल्डिंग इलेक्शंस किया जाएगा, फ़ौरन इलेक्शन करके दूसरी गवर्नमेंट को आने का मौका दिया जाएगा जैसे हमने किया है। प्रेजीडेंट को लिख कर दिया—देना पड़ता है—लेकिन मंशा था जल्दी से जल्दी इलेक्शन हों। शायद वह 352 को भूल गए हैं। यह निकलना चाहिए। एमरजेंसी का अधिकार किसी गवर्नमेंट को नहीं होना चाहिए। इस गवर्नमेंट को भी नहीं होना चाहिए। दुनिया में जहां तक मैंने पढ़ा है और मुझे कांस्टीट्यूशनल

एक्सपर्ट्स ने बताया है किसी भी डेमोक्रेसी में सिवाय ब्रिटेन के और वह भी वार टाइम में और कही एमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की जा सकती है। वह भी आटोमेटिकली नहीं, अगर जरूरी समझा जाए तो डिक्लेयर की जा सकती है और जैसे ही लड़ाई खत्म हो उसके एक या तीन महीने के बाद वह डिक्लेरेशन आटोमेटिकली वापिस हुआ समझा जाएगा। हमारे यहां जो गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट 1935 का था, ब्रिटेन के जमाने का, उसमें भी यह पावर्ज एमरजेंसी की नहीं थी। माननीय चट्टाण साहब, डा० कर्ण सिंह जी, श्री लक्ष्मण अगर मान लें तो 352 का एमंडमेंट आने वाला है और मैंने सुना है कि उसके पास होने में—कोई रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी। जनतंत्र में जो श्रद्धा रखते हैं और उधर बठने वाले दोस्तों की किसी इनफ़्लुएंस की वजह से कम हो गई थी, उस इनफ़्लुएंस के हट जाने के बाद मुझे यह मालूम हुआ है कि मेरे माननीय मित्र उसमें हमारी इमदाद करने को तैयार हैं। आर्टिकल 352 की डिक्लेशन की प्रांजो जलाने का विचार हम कर रहे हैं।

कमीशंस जो मुकर्रर हो गए हैं उनकी रिपोर्ट जल्दी आनी चाहिए, यह डा० कर्ण सिंह ने कहा है। मैं उनसे सहमत हूँ। मेरी भी इच्छा यही है। लेकिन क्या कठिनाइयां रही हैं? टर्म्स आफ रेफरेंस का एनाउंसमेंट होना चाहिये जज के नाम के साथ, जो कमीशन का हैड हो, चेयरमैन हो उसके साथ। हमें बताया गया है कि यह जरूरी है कि टर्म्स आफ रेफरेंस ऐसी होनी चाहियें जिनको हम समझते हैं कि हमारे पास एबीडेंस है। क्योंकि टर्म्स आफ रेफरेंस अगर वाइड रखते और बाद में सबूत नहीं मिले तो देश को और किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो टर्म्स आफ रेफरेंस के लिये एबीडेंस हो। फिर जनता से हम इनवाइट नहीं कर सकते कमप्लेंट्स। वह जज स्वयं ही कर सकता है, जैसे कि माननीय शाह ने 18 जून को एक महीने का मौका

[चरण सिंह]

दे कर सब से अपील की है, इनवाइट किया है कि जो शिकायतें लोगों के पास हों वह सब समारे पास भेज दो। तो इधर हम मुनासिब नहीं समझते थे कि सरकार की तरफ से इनवाइट करें कमप्लेंट्स और उधर यह जरूरी था कि टर्म्स आफ रेफरेंस ऐसे हों कि जिनकी ऐबीडेंस हो। तो इस बजह से कुछ देर लगी है। कुछ हमारे पास पहले से मौजूद था और कुछ जब जिक्र हुआ 7 अप्रैल को कि हम कमीशन आफ इनक्वायरी ऐपॉइंट करना चाहते हैं तो जनता ने स्वयं ही अपने आप भेजना शुरू कर दिया शिकायतें। उसके बाद जजों की स्वीकृति बगैरह वर्गरह। एक कमीशन तो ऐसा हुआ कि 7 जजों ने इन्कार कर दिया तब आठवें जज तैयार हुए। चाहते थे कि या तो रिटायर्ड जज हो, चैफ़ जस्टिस न हो तो रिटायर्ड जस्टिस आफ़ दी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रिटायर्ड चैफ़ जस्टिस। सविग जज को इसलिये नहीं ले सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट का काम रुकता है क्योंकि उनका नम्बर जजों का फ़िक्स्ड है, और रिटायर्ड जज हाई कोर्ट का भी नहीं चाहते थे। इसलिये इतना समय लगा।

अब मैं कहना चाहता हूँ कि यह तीन कमीशन हुए। एक कमीशन जो डा० जगन मोहन की अध्यक्षता में है वह नागरवाला अफेयर को देखेगा और बंसी लाल अफेयर को भी देखेगा। लेकिन बंसी लाल के दो कर्मों को देखने के लिये हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के दो रिटायर्ड जज रखे हैं। एक तो महत्वपूर्ण केस है वहां का-रवासा कांड, जिसकी बजह से श्रीमती चन्द्रावती को अपनी स्टेट मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है रवासा कांड ऐसा बीमत्स केस दुनिया में बहुत कम हुआ होगा जिसमें थाने के हवालात में बन्द कर के भाई और बहन को हुकम दिया गया कि दोनों नंगे हों। श्रीमती चन्द्रावती वहां की स्टेट मिनिस्टर थीं बंसी लाल जी

की सरकार में, वह आती हैं प्रधानमंत्री को पूरी डिटेल में सुनाती हैं कि क्या क्या हुआ। बजाय कोई इनक्वायरी करने के, सेन्ट्रल गवर्नमेंट से इनक्वायरी होने के, या चीफ़ मिनिस्टर से कोई जवाबतलब करने के, उन्हीं को मिनिस्ट्री से निकलना पड़ा। यह थी सरकार जिसके आप लोग रुकुन थे, डायमण्ड्स ज्वैल्स थे। तो दो कमीशन वहां बठे।

एक सज्जन कह रहे थे कि 150 आदमी जो मारे गये थे जिनकी लिस्ट सुनाया करते थे इलेक्शन मीटिंग्स में उसकी इनक्वायरी क्यों नहीं की। मैं तो तफ़्सील कोई नहीं सुनता था। मुजफ़्फ़रनगर में 48 आदमी, 18 अक्तूबर, 1976 को 43 आदमी और 19 अक्तूबर को 5 आदमी शूट कर दिये गये जबरिया नसबन्दी का विरोध करने के कारण। और वहां के जितने कांग्रेस के एम० एल० एज० थे, एक कम्युनिस्ट एम० पी०, और दो कांग्रेस के एम० पीज०, सब ने पूरी डिटेल में एक विविड डेस्क्रिप्शन इस बात का दिया कि वहां का डी० एम० और एस० पी० क्या कर रहे थे। बहुत लिखा उन्होंने मय नाम के, फैक्ट्स के साथ, यह नहीं कि बैंग ऐलीनेशनम किये हों, सब के नाम भी दे दिये 48 आदमियों के, और उन्होंने उनके नाम भी दिये जो जवान आदमी थे और जिनकी नसबन्दी जबरदस्ती करा दी गई।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : जरमन अखबारों ने लिखा है कि उन लाशों को जब ट्रक में डाला गया तो खून बह रहा था और कुत्ते चाट रहे थे।

श्री चरण सिंह : मैं नहीं समझता कि कुरेशी साहब उस वक्त कांग्रेस के मेम्बर थे या नहीं। शायद ऐसा मुझे लगता है कि आप उस वक्त कांग्रेस के मेम्बर नहीं होंगे।

SHRI PRASANNBHAI MEHTA (Bhavnagar): We were on that side then and we were not allowed to go to that city.

श्री चरण सिंह : एम० पी० यहां से देखने के लिये गये, उनको इजाजत नहीं दी उनको वापिस आना पड़ा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूँ कि रिटिन मैमोरैंडम साइन्ड वाईआन दी काँग्रेस लैजिस्लेटर्स, एम० एल० एज, एम०पी०, श्री फखरुद्दीनअली साहब मरहूम को दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर और जितने भी मिनिस्टर हैं, उन को दिया जाता है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को दिया जाता है । उसकी एक साइक्लोस्टाइल्ड कापी मुझे भी मिल जाती है । म 10 नवम्बर को पीने दो घंटे इस विषय पर बोला और मैमोरैंडम में से सारी बातें कहीं । यह सब कुछ हुआ । इसकी इन्क्वायरी करने के लिये इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज, गवर्नर के जमाने में एप्वाइन्ट कर दिये गये कि वह इसकी इन्क्वायरी करें । मोहसिन साहब जब कभी मुझे मिलेंगे, मैं उनसे पूछूंगा कि वह 150 कौन से बता रहे हैं ?

सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि यह मैमोरैंडम देने के बाद हमारी माननीया बहिन इन्दिरा गांधी यह कहती रहीं कि जो भी फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम हो रहा है, वह वालेन्टरी, रजामंदी से हो रहा है, और ये एलोगेशन्स अपोजिशन पार्टीज के बड़े हुए हैं ।

मैं यह कह रहा हूँ कि एमर्जेन्सी के जितने पाप हैं, वह एक तरफ और हमारी प्रधान मंत्री की रोजाना गलतबयानी, जानबूझकर गलतबयानी करना एक बात । इससे ज्यादा बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता ।

एक बात किसी साहब ने कही कि मौरल वैल्यूज का रीजनेरेशन होता है । अगर यह

हमारे साथी, और प्राइम मिनिस्टर रोजाना जानबूझकर गलतबयानी करने लगे, झूठ कहते हैं, मैं कहना नहीं चाहता झूठ लफज, तो मौरल रीजनेरेशन कैसे हो जाएगा ? दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर झूठ नहीं बोलता और हमारी बहिन कभी सच नहीं बोलती थीं ।

तो दो कमीशन यू०पी० में मुकर्रर हुए ।

एक तुर्कमान गेट पर हमने केवल फक्ट फाइन्डिंग कमीशन मुकर्रर किया है और उसकी रिपोर्ट शाह कमीशन के पास जायेगी, शाह साहब से बात कर ली है । 9,000 कंप्लेंट्स हैं उनके पास, जरा कल्पना कीजिये । मेरे ख्याल में और भी होंगी जो कि बहुत से लोगों ने दी नहीं होंगी । हो सकता है, इन में बहुत सी माइजर हों, फिर भी ढाई हजार सीरियस हैं । उनको देखने के लिये कितना समय चाहिए । मैं तो बिल्कुल सिम्प-याइज करता हूँ जस्टिस शाह के साथ कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है । आन-बल आदमी हैं, अपनी जिम्मेदारी निभायेंगे उन्होंने देश के प्रति अपना कर्तव्य समझा है । यह छोटी सी बात है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वह कोई, रमुनरेशन और एलाउंस नहीं लगे । हो सकता है, उसमें देर लगे । जितनी वह सहूलियत मांगेंगे आफिसर्स वगैरह की तों अच्छे काबिल आफिसर्स की टीम उन के साथ लगाई गई है, वह उनका दी जायंगी । लेकिन फिर भी इतनी बात क्लीयर है कि वह 6 महीने में अपनी रिपोर्ट दे नहीं सकते ।

एक और बात है, यह मामूली कमीशन नहीं है । दुनिया के इतिहास में ऐसा कमीशन आज तक नहीं बैठा है । नरम बर्न ट्रायल का लिमिटेड स्कोप था । लेकिन जो यह कमीशन बैठा है उसका इतना वाइड

(श्री चरण सिंह)

रेंजिंग स्कोप है कि ऐसा इतिहास में कोई नहीं है। लेकिन इतिहास में इतना बड़ा पाप और एनामिटी भी नहीं हुए हैं। इसलिये चाहे इस में साल लग जाये या डेढ़ साल लग जाये, हम परस्यू करेंगे और शाह साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वह तकनीफ उठाये और इस काम को पूरा करें। इतिहास उन को भी याद करेगा, आप लोगों को तो याद करेगा ही। लेकिन देर लगेगी।

एक साहब ने कहा कि हमारे चीफ मिनिस्ट्रों के खिलाफ तो बैठा दिया। मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे खिलाफ बैठा दीजिए, हम तो आपकी मदद करेंगे। आप बता दीजिये, बैठाने की जरूरत नहीं, अब लोक पाल बिल आ रहा है। जो पहले लोक पाल बिल तैयार हुआ था, जिसमें और अब के लोक पाल बिल में 4,5 विशेषताएं हैं। हमने आफिसर्स को इसमें नहीं रखा, मिनि टर्स केवल इसमें हैं। आफिसरों को रखने की जरूरत नहीं, वरना बहुत देर लगा जायेगी। विजिलेंस कमीशन बहुत होते हैं, उन में सब आफिसरों के बारे में हो सकता है। तो इससे उन का काम कम हो जायेगा।

दूसरी बात यह है कि हमने प्राइम मिनिस्टर को भी इसमें शामिल किया है, क्योंकि और मिनिस्टर्स ईमानदार हो ही नहीं सकते, अगर प्राइम मिनिस्टर ईमानदार न हों।

हमने एम० पी० ज० को भी उसमें रखा है, क्योंकि अगर पच्चीस सैर ईमानदार एम० पी० ज० कोई गुट बना लें, तो गवर्नमेंट चल ही नहीं सकेगी। पहले बिल में इनवेस्टीगेटिंग एजेन्सी का कोई इन्तजाम नहीं था। इनवेस्टीगेटिंग एजेन्सी गवर्नमेंट के डिप्लिन्ड और कंट्रोल से बाहर होनी चाहिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट के

मिनिस्टर्स की ही तहकीकात होगी, तो अगर हम ने आई० बी० या सी० बी० आई० या आई० सी० सिविल पुलिस को इनवेस्टीगेशन करने के लिए रखा, तो वह ठीक नहीं रहेगा। कल उनका यहा से किसी दूसरी जगह तबादला हो सकता है।

इसलिए हम ने लोक पाल को एक इंडिपेंडेंट इनवेस्टीगेटिंग एजेन्सी एपायंट करने का अधिकार दिया है, बिच बिल बी आःसरेबल ग्नोनली टु दि लोकपाल और नोवाडी एल्स, ताकि वह ईमानदारी से इनवेस्टीगेशन कर सक।

में समझता हू कि यह लोकपाल बिल बहुत जल्दी एक्ट बन जायेगा। और अगर माननीय श्री चव्हाण राज्य सभा में हमारी मदद कर दें, तो वह 5 अगस्त तक भी एक्ट बन सकता है।

SHRI KANWAR LAL GUPTA:
What is your reaction?

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN:
We have already accepted it in principle. Please bring the Bill.

श्री चरण सिंह : बड़ी अच्छी बात है। मैं उसे बहुत जल्दी कैबिनेट में लाने वाला हूँ।

उधर से एक सुझाव आया था— शायद माननीय डा० कर्णसिंह ने कहा हो— कि कमीशन के सामने जो बिटनेस पेश होंगे, उन्हें प्रोटेक्शन का एशोरेंस होना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कमीशन आफ गनबायरीज एक्ट में पहले से ही यह प्रोटेक्शन है कि उस में जो भी शहादत होगी उसकी बिना पर उस गवाह के खिलाफ कोई सिविल या क्रिमिनल केस नहीं दायर होगा। उन्हें पहले ही पूरी प्रोटेक्शन दी हुई है।

पता नहीं, कैसे डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कह दिया — कभी कभी हमारे यहां के लोग भलमनसाहत में कोई कोई बात कह जाते हैं, और डा० स्वामी तो अपने व्यूज के बड़े पक्के आदमी हैं, उनकी जुबान से निकल गया — कि हम फारगिव तो कर सकते हैं, फारगेट नहीं कर सकते। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी फारगिव या फारगेट कर सकते हैं। चरण सिंह भी बहैसियत चरणसिंह फारगिव कर सकता है। लेकिन बहैसियत इस गवर्नमेंट के एक जिम्मेदार मिनिस्टर के वह उन्हें फारगेट नहीं कर सकता है। जिन्होंने पाप किये हैं। इसका कोई सवाल नहीं है। यह मेरा आपका या किसी का जाती मामला नहीं है। बहैसियत एक गवर्नमेंट के हम पब्लिक के प्रति जिम्मेदार हैं, और आने वाले इतिहास के प्रति भी हम उत्तरदायी हैं। यह मिनिस्ट्री कोई साधुओं की जमात नहीं है। प्रशासकों की है। लिहाजा कोई फारगिव करने का सवाल नहीं उठता है, चाहे वह बहन हो, चाहे वह..... (व्यवधान) इसलिए नहीं कि महिला के तई कोई नर्म विचार नहीं होने चाहिए, बल्कि इसलिए कि उनके काम से लाखों महिलाओं को तकलीफ पहुंची है। इस लिए उसका कोई प्रश्न नहीं उठता है।

और बहुत सी बातें उठाई गई हैं और मैं उन सब का जबाब देना चाहता था। हो सकता है कि मैंने इस वक्त जो तकरीर की है, उसमें मुझ से कोई गलती हो गई हो। इधर के अपने साथियों से माफी मांगने की बात नहीं है लेकिन मेरे जो साथी उधर बैठे हैं, अगर मेरा कोई लफज उन्हें कड़वा लगा हो, तो मैं उनसे माफी चाहता हूँ।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि सदन इन डिमांडज को अपनी वीकृति प्रदान करे।

SHRI M. KALYANASUNDARAM: Law and order is, of course, the subject-matter concerning the States. But several Members from both sides have complained bitterly about atrocities on Harijans. May I ask the hon. Home Minister whether he can at least give instructions or write to all the Chief Ministers conveying to them the feelings of this House regarding those atrocities and asking them not only to prevent such atrocities but also to take proper action against those who were responsible for the atrocities? May I get a reply from the hon. Home Minister?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put all the Cut Motions together, except Cut Motion No. 41 moved by Shri Vayalar Ravi to the vote of the House.

All the Cut Motions, except No. 41, were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Cut Motion No. 41, moved by Shri Vayalar Ravi, to the vote of the House.

The question is:

"That the Demand under the Head Ministry of Home Affairs be Reduced by Rs. 100. (Failure to protect the Harijans from the atrocities.)" (41)

The Lok Sabha divided:

Division No. 5]

[18.43 hrs.

AYES

Ahmed Hussain, Shri
Alagesan, Shri O. V.
Austin, Dr. Henry
Balakrishniah, Shri T.
Banatwalla, Shri G. M.
Bhakta, Shri Manoranjan
Chandrappan, Shri C. K.
Chavan, Shri Yeshwantrao
Chettri, Shri K. B.
Damor, Shri Somjibhai
Dasappa, Shri Tulsidas
Faleiro, Shri Eduardo
Gopal, Shri K.
Kalyanasundaram, Shri M.
Karan Singh, Dr.
Khan, Shri Ismail Hossain
Kodiyani, Shri P. K.
Kolur, Shri Rajshekhar
Krishnappa, Shri M. V.
Kunhambu, Shri K.
Lakkappa, Shri K.
Laskar, Shri Nihar
Meduri, Shri Nageswara Rao
Murugaiyan, Shri S. G.
Wair, Shri M. N. Govindan
Nair, Shri N. Sreekantan
Pradhani, Shri K.
Pullaiah, Shri Darur
Qureshi, Shri Mohd. Shafi
Rao, Shrimati B. Radhabai Ananda
Ravi, Shri Vayalar
Reddy, Shri K. Obul
Reddy, Shri K. Vijaya Bhaskara
Sathe, Shri Vasant
Shinde, Shri Annasaheb P.
Stephen, Shri C. M.
Suryanarayana, Shri K.

Tombi Singh, Shri N.
Unnikrishnan, Shri K. P.
Venkataraman, Shri R.

NOES

Ahmad, Shri Halimuddin
Ahuja, Shri Subhash
Amin, Prof. R. K.
Ansari, Shri Faquir Ali
Argal, Shri Chhabiram
Arif Beg, Shri
Bagri, Shri Mani Ram
Bal, Shri Pradyumna
Balbir Singh, Chowdhry
Barkataki, Shrimati Renuka Devi
Bashir Ahmad, Shri
Bateswar Hemram, Shri
Berwa Shri Ram Karwar
Bhara Bhushan, Shri
Birendra Prasad, Shri
Borole, Shri Yashwant
Brahm Perkash, Chaudhury
Chand Ram, Shri
Chandrayati, Shrimati
Charan Singh, Chaudhuri
Chaturbhuj, Shri
Chaturvedi, Shri Shambhu Nath
Chaudhary, Shri Motibhai R.
Chaudhary, Shri Rudra Sen
Chauhan, Shri Nawab Singh
Chavda, Shri K. S.
Dandavate, Prof. Madhu
Dawn, Shri Raj Krishna
Deshmukh, Shri Ram Prasad
Dhandayuthapani, Shri V.
Dharia, Shri Mohan
Dhurve, Shri Shyamlal
Digvijoy Narain Singh, Shri
Durga Chand, Shri
Ganga Bhakt Singh, Shri
Ganga Singh, Shri
Gattani, Shri R. D.

Gowda, Shri S. Nanjesha
 Guha, Shri Samar
 Gulshan, Shri Dhanna Singh
 Gupta, Shri Kanwar Lal
 Hande, Shri V. G.
 Harikesh Bahadur, Shri
 Hazari, Shri Ram Sewak
 Hukam Ram, Shri
 Jasrotha, Shri Baldev Singh
 Kachwai, Shri Hukam Chand
 Kaldaty, Dr. Bapu
 Kamath, Shri Hari Vishnu
 Kapoor, Shri L. L.
 Kar, Shri Sarat
 Kasar, Shri Amrut
 Kaushik, Shri Purushottam
 Khan, Shri Kanwar Mahmud Ali
 Kishore Lal, Shri
 Krishan Kant, Shri
 Kureel, Shri R. L.
 Kushwaha, Shri Ram Naresh
 Mahala, Shri K. L.
 Mahi Lal, Shri
 Malhotra, Shri Vijay Kumar
 Malik, Shri Mukhtiar Singh
 Mallick, Shri Rama Chandra
 Mandal, Shri Dhanik Lal
 Mangal Deo, Shri
 Mankar, Shri Laxman Rao
 Manohar Lal, Shri
 Mehta, Shri Prasannbhai
 Mhalgi, Shri R. K.
 Mishra, Shri Janeshwar
 Mishra, Shri Shyamnandan
 Mondal, Dr. Bijoy
 Munda, Shri Govinda
 Munda, Shri Karia
 Murmu, Father Anthony
 Nahata, Shri Amrit
 Nathu Singh, Shri
 Nayar, Dr. Sushila
 Negi, Shri T. S.
 Pandeya, Dr. Laxminarayan
 Parmal Lal, Shri

Parmar, Shri Natwarlal B.
 Parulekar, Shri Bapusaheb
 Paswan, Shri Ram Vilas
 Patel, Shri Dharmasinhbhai
 Patel, Shri H. M.
 Patil, Shri Sonu Singh
 Patnaik, Shri Biju
 Patwary, Shri H. L.
 Phirangi Prasad, Shri
 Pradhan, Shri Gananath
 Pradhan, Shri Pabitra Mohan
 Raghavendra Singh, Shri
 Raghavji, Shri
 Rahi, Shri Ram Lal
 Rai, Shri Gauri Shankar
 Raj Narain, Shri
 Rajda, Shri Ratansinh
 Rakesh, Shri R. N.
 Ram, Shri R. D.
 Ram Awadhesh Singh, Shri
 Ram Dhan, Shri
 Ram Gopal Singh, Choudhary
 Ram Murti, Shri
 Ram Sagar, Shri
 Ramachandran, Shri P.
 Ramji Singh, Dr.
 Ramjiwan Singh, Shri
 Sahoo, Shri Ainthur
 Saini, Shri Manohar Lal
 Samantasinh, Shri Padmacharan
 Sarangi, Shri R. P.
 Sarda, Shri S. K.
 Sarkar, Shri Sakti Kumar
 Satapathy, Shri Devendra
 Satya Deo Singh, Shri
 Shakya, Shri Day Ram
 Shastri, Shri Bhanu Kumar
 Shastri, Shri Y. P.
 Shejwalkar, Shri N. K.
 Sheo Narain, Shri
 Shrikrishna Singh, Shri
 Shukla, Shri Madan Lal
 Singh, Dr. B. N.
 Sinha, Shri H. L. P.

Sinha, Shri Purna
 Sinha, Shri Satyendra Narayan
 Somani, Shri S. S.
 Suman, Shri Surendra Jha
 Suraj Bhan, Shri
 Surendra Bikram, Shri
 Swamy, Dr. Subramaniam
 Swatantra, Shri Jagannath Prasad
 Tej Pratap Singh, Shri
 Tiwari, Shri Brij Bhushan
 Tiwary, Shri D. N.
 Tiwary, Shri Madan
 Tur, Shri Mohan Singh
 Tayagi, Shri Om Prakash
 Ugrasen, Shri
 Vaghela, Shri Shankersinhji
 Vajpayee, Shri Atal Bihari
 Verma, Shri Chandradeo Prasad
 Verma, Shri R. L. P.
 Verma, Shri Raghunath Singh
 Verma, Shri Sukhdeo Prasad
 Yadav, Shri Hukmdeo Narain
 Yadav, Shri Jagdambi Prasad
 Yadav, Shri Narsingh
 Yadav, Shri Ramji Lal
 Yadava, Shri Roop Nath Singh
 Yadvender Dutt, Shri
 Yuvraj, Shri

MR. DEPUTY-SPEAKER: The result* of the division is:

Ayes: 40; Noes: 153.

The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Demands Nos. 51 to 61 to the vote of the House. The question is:

That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1978, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 51 to 61 relating to the Ministry of Home Affairs.

The motion was adopted.

*The following Members also recorded their votes:

AYES: Sarvshri Dhirendranath Basu, Kusuma Krishna Murthy, and Jalagam Kondala Rao.

NOES: Sarvshri Vinayak Prasad Yadav, Iqbal Singh Dhillon, Hari-shankar Mahale, Sushil Kumar Dhara, Surath Bahadur Shah, Ram Charan and Shrimati Mrinal Gore.

(Demands for Grants, 1977-78 in respect of Ministry of Home Affairs voted by Lok Sabha

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on account voted by the House on 30-3-1977		Amount of Demand for Grant voted by the House	
		Revenue Rs.	Capital Rs.	Revenue Rs.	Capital Rs.
51.	Ministry of Home Affairs	87,62,000	..	1,75,24,000	..
52.	Cabinet	64,73,000	..	1,24,45,000	..
53.	Department of Personnel and Administrative Reforms	2,73,08,000	..	3,83,84,000	..
54.	Police	70,50,83,000	2,16,67,000	139,03,11,000	40,33,33,000
55.	Census	1,26,79,000	..	2,53,59,000	..
56.	Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs	52,34,16,000	19,39,58,000	104,182,000	32,36,79,000
57.	Delhi	44,13,68,000	26,47,00,000	88,21,86,000	52,93,99,000
58.	Chandigarh	6,51,58,000	3,13,76,000	13,03,17,000	6,27,53,000
59.	Andaman and Nicobar Islands	7,74,24,000	3,77,87,000	15,42,47,000	7,41,75,000
60.	Dadra and Nagar Haveli	78,96,000	70,04,000	1,57,92,000	1,40,09,000
61.	Lakshadweep	1,52,34,000	52,13,000	3,04,69,000	1,04,25,000